लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc., in English/Hindi.]

2042(Ai)LSD—1.

विषय-सूची

अंक 10, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1964/ अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
225	सीमेंट का आयात	843—46
226	खनन इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम	346—48
227	गुड़ियों का निर्यात	848—50
228	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से शिष्टमण्डल	851–52
229	जस्ता गलाने के संयंत्र में पोलैंड की सहायता	853–54
230	आभूषणों का निर्यात	854–57
231	कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे	858—61
232	दिल्ली के मेन रेलवे स्टेशन के एक रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध जांच	861–62
233	चाय बागान उद्योग	862—64
*235	कोयले वाले क्षेत्र	864—66
236	सूती वस्त्र उद्योग	866—69

प्रश्नों के लिखित उत्तर

234	युगाण्डा में चीनी मिलें	869–70
237	मोटर गाड़ियों का निर्माण तथा मूल्य	870
238	रेलवे कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड	870–71
239	ब्रिटेन को निर्यात	871–72
240	तांबे के सम्भरण में कमी	872
241	आयात की गई कारों की बिक्री	872–73
242	रेलवे माल यातायात में कमी	873–74
243	रेल भाड़े में छूट	874
244	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	874–75
245	कारों का निर्माण	875–76
246	चाय उद्योग	876
247	कोयला धोने के कारखाने	876–77
248	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को ऋण	877

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

Friday, November 27, 1964/Agrahayana 6, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
225.	Import of Cement . .	843--46
226.	Syllabus of Mining Engineering .	246--48
227.	Export of Dolls .	848--50
228.	Delegation from G.D.R. .	851-52
229.	Polish Aid in Zinc Smelting	853-54
230.	Export of Jewellery . .	854-57
231.	Circular Railway in Calcutta . . .	858-61
232.	Enquiry against a Railway Official of Delhi Main .	861-62
233.	Tea Plantation Industry	862-64
235.	Coal Bearing Areas	864-66
236.	Textile Industry	866-69

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
234.	Sugar Mills in Uganda . .	869-70
237.	Production and Prices of Automobile	870
238.	Wage Board for Railway Workers.	870-71
239.	Exports to U. K. . .	871-72
240.	Shortage in Copper Supply	872
241.	Sale of Imported Cars .	872-73
242.	Fall in Railway Goods Traffic	873-74
243.	Rebate on Freight Charges	874
244.	Export of Iron Ore to Japan	874-75
245.	Production of Cars .	875 76
246.	Tea Industry .	876
247.	Coal Washeries . .	876-77
248.	Loans to TISCO AND HSCO .	877

प्रश्नों के लिखित उत्तर— क्रमश :

तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
249	भारतीय लौह अयस्क के बदले में जापानी इस्पात वस्तुओं का विनिमय	877–78
250	लौह अयस्क का उत्पादन	878
251	भारत-लंका चाय आयोग	879

अतारांकित
प्रश्न संख्या

553	सीतामढ़ी से सोनबरसा तक रेलवे लाइन	879
554	बेलाडिला में लौह अयस्क का खनन	880
555	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक संस्थायें	880
556	दक्षिण रेलवे पर टी० टी० ई०	881
557	किरीबुरु लौह अयस्क परियोजना .	881–82
558	पूर्वोत्तर रेलवे पर बस और रेलगाड़ी की टक्कर	882
559	जापानी व्यापार दल	882
560	मंडी का सेंधा नमक .	882–83
561	लखनऊ में ऐनक के शीशों का कारखाना .	883
562	रेलवे के लिए विदेशों से इस्पात की वस्तुएं .	883–84
563	रेलवे डाक्टर . .	884–85
564	कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग	885
565	ताज एक्सप्रैस गाड़ी . .	885–86
566	सम्पूर्ण गाड़ी फैक्टरी में गाड़ियों का निर्माण	886
567	इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में फालतू कर्मचारी	886
568	कच्चे लोहे के अभ्यंश	887
569	इस्पात उद्योग का विकास .	887–88
570	रेलगाड़ियों में जंजीर का खचा जाना	888
571	वाणिज्य मंत्रालय में समितियां .	888
572	इस्पात और खान मंत्रालय में समितियां .	888–89
573	इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय में कर्मचारी	889
574	ताम्बे का मूल्य . . .	889–90
575	भागलपुर मान्डर हिल रेलवे लाइन पर हाल्ट स्टेशन	890
576	एकस्व विधेयक . .	890
577	अफ्रीका में मीट्रिक प्रणाली का प्रचलन	890–81
578	रेलवे इंटरमीडिएट कालिज	891
579	कीन्या में जीपों का निर्माण	891

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
249.	Exchange of Japanese Steel Products for Indi an Iron Ore	877–78
250.	Iron Ore Production . .	878
251.	Indo-Ceylon Tea Commission	879

Unstarred Question Nos.		
553.	Railway line from Sitamarhi to Sonbarsa	879
554.	Iron ore mining at Bailladila .	880
555.	Industrial Cooperatives in Ahdhra Pradesh	880
556.	T. T. Es. on S. Railway	881
557.	Kiriburn Iron Ore Project . .	881–82
558.	Bus-Train Collission on N.E. Railway .	882
559.	Japanese Trade Team.	882
560.	Mandi Rock Salt .	882–83
561.	Optical Factory in Lucknow .	883
562.	Steel Material from Abroad for Railways	883–84
563.	Railway Doctors .	884–85
564.	Oil as subtitute for Coal	885
565.	Taj Express . . .	885–86
566.	Motor Coaches at the Integral Coach Factory	886
567.	Surplus Staff at Steel Controller's Office	887
568.	Pig Iron Quotas .	887–88
569.	Development of Steel Industry	888
570	Pulling of Alaram-Chains on Railways	888
571	Committees in Ministry of Commerce .	888–89
572	Committees in Ministry of Steel and Mines	888
573	Staff of Steel Controller's Office	888
574	Price of Copper	848–89
575	Halt on Bhagalpur Mandar Hill Railway Line .	889
576	Patents Bill . . .	889–90
577	Introduction of Metric System in Africe .	890
578	Railway Intermediate Colleges	890
579	Manufacture of Jeeps in Kenya	890–91

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः :

(तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
580	रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता	292
581	निर्यातकों को यात्रा की सुविधाएं	892–93
582	वृत चल चित्रों का निर्यात	893–94
583	अमेरिका को निर्यात	894
584	नमक का उत्पादन . . .	894–95
585	मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी	895
586	पुलिस के कुत्ते . . .	896
587	आगरा के समीप दुर्घटना .	896
588	खनिकों के लिए 'सेफ्टी कैप लैम्प' .	896
589	बरियम रसायन कारखाना .	897
590	प्लास्टिक की चूड़ियों का निर्यात	897
591	ऊपरी पुलों का निर्माण .	897–98
592	केरल में छोटे पैमाने के उद्योग . .	898
593	भारतीय कोयला	898
594	रेल के डिब्बे में पाया गया शव	899
595	मण्डी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम .	899
596	रबड़ की वस्तुओं का निर्माण . .	900
597	अंकलेश्वर राजपिपला लाईन पर पुल	900
598	रेलवे लाइनों की तोड़ फोड़	901–02
599	कोयले का परिवहन . .	902
600	ऊन का आयात .	903–04
601	कच्छ में भूरे कोयले का भंडार	904
602	कपड़े का उत्पादन . . .	904
603	अहमदपुर-कटवा तथा बर्दवान-कटवा रोड लाइन	904–05
604	लघु उद्योग .	905
605	फतुहा-इस्लामपुर रेलवे लाइन	905–06
606	विदेशों से डीज़ल इंजन .	906
607	पूर्वोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले .	906–07
608	भारतीय रेलों में चोरियां . .	907
609	पूर्वोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले .	907–08
610	दक्षिण रेलवे में मालगाड़ी का पटरी से उतरना	908
611	रेलगाड़ियों से चोरियां	909
612	निर्यात . .	909
613	दक्षिण रेलवे की रेल बस्तियां	909–10
614	निर्यात उद्योग सामग्री निगम	910

Starred Question No.	Subject	PAGES
580	Seniority of Railway Staff .	892
581	Travel facilities for Exportors	892-93
582	Export of Documentary Films	893-94
583	Exports to U.S.A.	864
584	Production of Salt .	894-95
585	H.M.T. Factory in M.P.	895
586	Police Dogs .	896
587	Accident near Agra . .	896
588	Safety Cap Lamps for Miners	896
589	Barium Chemicals Factory	897
590	Export of Plastic Bangles	897
591	Construction of over Bridges	897-98
592	Small Scale Industries in Kerala .	898
593	Indian Coal . . .	898
594	Body found in a Railway wagon . .	499
595	Mandi-Kulu Road Transport Corporation	199
596	Manufacture of Rubber Goods .	900
597	Bridges an Ankleswar-Rajapipla Line	900
598	Tampering with Railway Tracks	899
599	Transport of Coal	900
600	Import of Wool . .	900
601	Lignite Deposite in Kutch	901-02
602	Production of Cloth	902
603	Ahmadpur-Katwa and Burdwan-Katwa Road Lines .	903-04
604	Small Scale Industries	904
605	Fatwa-Islampur Railway Line	904-05
606	Diesel Engines form Abroad .	905
607	Corruption cases in N.E. Railway	905-06
608	Thefts on Indian Railways .	997
609	Corruption cases on N.E. Railway .	907-08
610	Derailment of Goods train on S. Railway.	908
611	Thefts form Trains	909
612	Exports	909
613	Railway Colonies of Southern Railway .	909-10
614	Export Industries Materials Corporation	910

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश:

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
615	बेल्लारी-होसपेट क्षेत्र में लौह-अयस्क निक्षेप	910
616	नेपाल से व्यापार .	911
617	भिलाई में स्लैग ग्रनूलेशन संयंत्र	911
618	अद्रक की किस्म पर नियंत्रण	911–12
619	आयात किये नमक के दाम .	912
620	फास्फोरस के तेजाब का कारखाना	912
621	निर्यात . . .	912–13
622	अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन . . .	913–14
623	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रिक्त स्थान .	491
624	(चान्दाक) भूगर्भीय सर्वेक्षण . .	914
626	विदर्भ में कोयला और लौह अयस्क के निक्षेप	914–15
627	भारतीय खान ब्यूरो . . .	915
628	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का लमडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन .	915–13
629	लघु उद्योग सेवा संस्थायें	916
630	उज्जैन-आगर रेल लाइन .	916–17
631	कोटा जंक्शन के समीप रेल की टक्कर .	917
632	कोटा रेलवे वर्कशाप	917–18
633	कलकत्ता के निकट बिजली से चलने वाली रेल गाड़ी की दुर्घटना	918

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(1) मुख्य मंत्री सम्मेलन में खाद्य जोनों का समाप्त करने तथा कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लाग करने के बारे में किया गया निर्णय

श्री हुकम चन्द कछवाय . 918

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् . . . 991

(2) न्यू जमेहारी खास कोयला खान में तालाबन्दी

श्री स० मो० बनर्जी . . 693

श्री संजीवय्या 963

(3) मरमागोआ पत्तन के कर्मचारियों की हड़ताल के समाचार

श्री स० मो० बनर्जी . . 965

श्री संजीवय्या . . 865

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रक्रिया) 921

राज्य सभा से सन्देश

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 923

Starred Question Nos.	Subject	PAGES
615	Iron Ore Deposit of Belary Hospet Area	810
616	Trade with Nepal	911
617	Slag Granulation Plant at Bhilai	911
618	Quality Control in Genger	911–12
619	Price of Imported Salt	912
620	Phosphoric Acid Plant	912
621	Exports	912–13
622	International Organisation for Standardisation	913–14
623	Vacancies for S.C. & S.T.	814
624	Geological Survey of Chanda	914
625	Dye Manufacturing Plant	914–15
626	Coal and Iron Ore Deposits in Vidarbha	915
627	Indian Bureau of Mines	915–16
628	Lumding Badarpur Hill Section N.F. Railway	916
629	Scale Industries Service Institutes	916–17
630	Ujjain-Agra Line	917
631	Collision near Kotah Junction	917–18
632	Kotah Railway Workshop	918
633.	Electric Train Accident near Calcutta	

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

(*i*) Decision taken at Chief Ministers Conference re: abolition of food zones and introduction of statutory rationing

Shri Hukam Chand Kachhavaiya 919

Shri C. Subramaniam 918

(*ii*) Lockout in New Jemehari Khas Colliery 918

Shri S. M. Banerjee 919

Shri D. Sanjivayya 963

(*iii*) Reported Strike by workers of Marmagoa Port 943

Shri S. M. Banerjee 965

Shri D. Sanjivayya 965

Re : Calling Attention Notice (*Procedure*) 621

Message from Rajya Sabha 923

Banaras Hindu University (Amendment) Bill—

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	924
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक . .	926
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री बड़े .	926
श्री यशपाल सिंह .	927
श्री स० मो० बनर्जी .	927
श्री जगन्नाथ राव	927
खण्ड 1 और 2 . .	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री जगन्नाथ राव . .	
भाण्डागार निगम (अनुपूरक) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री दा० रा० चव्हाण	923
श्री रंगा .	930
श्री यशपाल सिंह .	930
श्री बड़े . . .	931
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . .	931
श्री कृ० ल० मोरे . . .	932
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . .	932
श्री क० ना० तिवारी .	933
डा० मा० श्री० अणे .	933
श्री रा० गि० दुबे .	933
खण्ड 1 और 2 . .	
पारित करने का प्रस्ताव . .	
श्री दा० रा० चव्हाण . .	934
करों की (स्थायी) वसूली (संशोधन) विधेयक	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	
श्री रामेश्वर साहू . . .	935
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1964–65	
श्री स० मो० बनर्जी	938
श्री श० ना० चतुर्वेदी	940
श्री नारायण दाण्डेकर	940
श्रीमती सावित्री निगम .	942
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	942

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Subject	PAGES
Business of the House	924
Representation of the People (Second Amendment) Bill—	
Motion to consider	926
Shri Bade	926
Shri Yashpal Singh	927
Shri S. M. Banerjee	917
Shri Jaganatha Rao	927
Clauses 1 and 2	917
Motion to pass	
Shri Jaganatha Rao	
Warehousing Corportions (Supplementary) Bill—	
Motion to consider	919
Shri D. R. Chavan	930
Shri Ranga	910
Shri Yashpal Singh	930
Shri Bade	931
Shri Sivamurthi Swamy	931
Shri K. L. More	982
Shrimati Renu Chakravartty	932
Shri K. N. Tiwary	933
Dr. M. S. Aney	933
Shri R. G. Dube	933
Clauses 1 and 2	933
Motion to pass	
Shri D. R. Chavan	
Provisional Collection of Taxes (Amendment) Bill	934
Motions to consider and to pass	935
Demands for Supplementary Grants (General), 1964-65	938
Shri S. M. Banerjee	038
Shri S. N. Chaturvedi	940
Shri N. Dandekar	440
Shrimati Savitri Nigam	941
Committee on Private Members' Bills and Resolutions	332
Fifty-first Report	442

लाइसेंसों, परमिटों, आदि के वितरण के नियंत्रण के लिये बोड के बारें में संकल्प—अस्वीकृत

श्री त्रि० ना० सिंह 943

राष्ट्रीय एकता के बारें में संकल्प—वाद-विवाद स्थगित—

श्री सोनावने 946
श्री हाथी 946
श्री ही० ना० मुकर्जी 946
श्री स० मो० बनर्जी 947
श्री प्रकाशवीर शास्त्री 947
श्री बड़े 947
श्री अ० सि० सहगल 947
श्री च० का० भट्टाचार्य 947
श्रीमती सावित्री निगम 947
श्री पु० र० पटेल 948
श्री कपूर सिंह 948

गोआ के बारें में संकल्प—अवरुद्ध

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख 948
श्री स० मो० बनर्जी 949
श्री नम्बियार 949
श्री ही० ना० मुकर्जी 949
श्री प्रकाशवीर शास्त्री 950
डा० मा० श्री० अणे 950
श्री सोनावने 950

आणविक अस्त्रों के निर्माण के बारें में संकल्प

श्री हुकम चन्द कछवाय 951
श्री खाडिलकर 953
श्री प्रकाशवीर शास्त्री 954
श्री नम्बियार 956
श्री क० ना० तिवारी 956
श्री कपूर सिंह 958
श्री यशपाल सिंह 958
श्री च० का० भट्टाचार्य 959
श्री ह० ना० मुकर्जी 960
श्री बड़े 960
श्री लाल बहादुर शास्त्री 961

Resolution re : Board for the Control of Distribution of licences, Permits etc.—*Negatived*

Shri T. N. Singh . . . 943

Resolution re : National Integration—*Debate adjourned*

Shri Sonavane 946
Shri Hathi 946
Shri H. N. Mukerjee 946
Shri S. M. Banerjee 947
Shri Prakash Vir Shastri 947
Shri Bade 947
Shri A. S. Saigal 947
Shri C. K. Bhattacharyya 947
Shrimati Savitri Nigam 947
Shri P. R. Patel 948
Shri Kapur Singh 948

Resolution re : Goa—*Barred*

Shri Sivaji Rao S. Deshmukh 948
Shri S. M. Banerjee 949
Shri Nambiar 949
Shri H. N. Mukerjee 949
Shri Prakash Vir Shastri 950
Shri M. S. Aney 950
Shri Sonavane 950

Resolution re : Manufacture of nuclear weapons

Shri Hukam Chand Kachhavaiya 951
Shri Khadilkar 953
Shri Prakash Vir Shastri 954
Shri Nambiar 956
Shri K. N. Tiwary 956
Shri Kapur Singh 958
Shri Yashpal Singh 958
Shri C. K. Bhattacharyya 959
Shri H. N. Mukerjee 959
Shri Bade 960
Shri Lal Bahadur Shastri 961

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीड, श्री (गुडिवाडा)
अजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)
अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)
अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)
अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)
अलगेशन, श्री (चिंगलपट)
अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)
इम्बोचिबावा, श्री इजुकुढेक्कल (पोन्नाणि)
इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)
इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)
उटिया, श्री (शहडोल)

उ—क्रमशः

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पुद्दकोट्टै)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापट)

ए

एंथनी, श्री फेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)

कछवाय, श्री हुक्म चन्द (देवास)

कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य प्रदेश)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडाडी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)

कनकसवै, श्री (चिंदाबरम्)

कन्डप्पन, श्री (तिरूचेगोड)

कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)

कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)

कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)

करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)

कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)

कांबले, श्री तु० द० (लातूर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किशन वीर, श्री (सतारा)

किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

कुमारन, श्री मे० क० चिरयिन्कील)

क—क्रमशः

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)
कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० पद्मपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० मांडवी)
केप्पन, श्री चेरियन (मुबात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन, और दीव)
कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)
कोजलगी, श्री हे० वी० (बलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (करोड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबलराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेगन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थेंगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
थेदगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरापुर्व)
दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)
दाजी, श्री होमी (इंदौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री निगम तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (औग्रासम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्द हार्बर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)
दरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजी शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

दोराइ, श्री काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टई)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धूलेश्वर मीन, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरूचिरापल्लि)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नायर, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)

नायक, श्री मोहन (भजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)

पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)

पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)

पटेल, श्री पुष्पोत्तम दास र० (पाटन)

पटेल, श्री मानसिंह पु० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेवश्र (हाजीपुर)

पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्वकोणम्)

पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

प--क्रमशः

परमशिवन, श्री० स० क० (इरोड)

पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाटा)

पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)

पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)

पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)

पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर--दक्षिण)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई--दक्षिण)

पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)

पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (विसलेमपुर)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)

पाराशर, श्री (शिवपुरी)

पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)

पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)

पुरी, श्री दे० द० (कैथल)

पृथवीराज, श्री (दौसा)

पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)

प्रताप सिंह, श्री (सरमूर)

प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली--करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)

बदरुद्दजा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर).

फ--क्रमशः

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, सोनुभाई दागडू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बावलीवाल, श्री (दुर्ग)

ब

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौसी)

बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बृजराज सिंह--कोटा, श्री (झालावाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)

भ---क्रमशः

भट्टाचार्य (श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० वि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मेनन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)
मसूरिया, दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भंजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़---उत्तर)

म--क्रमशः

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता--मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डविड (लोहरदगा)
मूरमू, श्री सरकार (बलरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद, युसूफ, श्री (सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई--उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मकुन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

म---क्रमशः

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारावाड़---दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरमैया, श्री को० (गूंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बंसवारा)
रांउत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)

स--क्रमशः

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंडी)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
राम नाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलवर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलेम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा) :
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकट सुब्बा (तिन्डीवनम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजकोट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्भम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लास्मर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फरुखाबाद)

व

बर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
बर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
बर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
बर्मा, श्री सूरजमल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, श्री (विशाखापटनम)

व—क्रमशः

विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटा सुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास, (साबरमती)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)
शास्त्री, श्री लालबहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मुड्या)
शिव नारायण, श्री (बांसी)

श—क्रमशः

शिव प्रधासन, श्री (पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, (श्री दरभंगा)
श्रीनिवासन , डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मी मल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री य० ना० (सुन्दरगढ़)
सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद (छप्परा)
सिंह, श्री स० टी० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

स—क्रमशः

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)

सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)

सुब्बारामन, श्री (मदुरै)

सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)

सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)

सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)

सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)

सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)

सोनावने, श्री (पंढरपुर)

सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)

सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह, नटवरसिंह (कैरा)

सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)

स्वर्णसिंह, श्री (जलन्धर)

स्वामी, श्री मडलावेंकट (मसुलीपटनम)

स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)

स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)

स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम-स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)

हक, श्री मु० मो० (अकोला)

हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)

ह—क्रमशः

हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी. श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोंडा)
हिम्मतसिंहका, श्री (कच्छ)
हुक्म सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री
गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी
वैदेशिक कार्य मंत्री —श्री स्वर्ण सिंह
रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल
विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री —श्री अ० कु० सेन
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चह्वाण
इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर
संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला
श्रम और रोजगार मंत्री—श्री संजीवय्या
पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह
असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री रघुरामैया
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन
रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह
शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री—श्री हजरनवीस
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव
योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत
प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री— श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चह्वाण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री— श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

सामजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री—श्री भगवती

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० श० नास्कर

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव—श्री शिन्दे

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री डा० एरिंग

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव —श्री सै० अ० मेहदी

प्रधान मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित सेन

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री स० चु० जमीर

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव—श्री तिम्मय्या ।

तृतीय माला, खंड 35, अंक 10 शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1964/6 अग्रहायण/1886 (शक)
Third Series, Vol. XXXV No. 10 Friday, Nov. 27, 1964/Agrahayana 6, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

(दसवां सत्र / Tenth Session)

सत्यमेव जयते

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXV. contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1964/6 अग्रहायण, 1886 (शक)

Friday, November 27, 1964/Agrahayana 6, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. speaker in the chair

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदय : सचिव उस सदस्य का नाम पढ़ कर सुनायें जो संविधान के अन्तर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिये आये हों ।

सचिव : श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ।

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मुझे आपसे तथा आपके द्वारा सभा से श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का, जो श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के कारण रिक्त हुये स्थान पर उत्तर प्रदेश के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के लिये चुनी गयीं हैं, परिचय कराने में बड़ी प्रसन्नता है ।

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित (फूलपुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सीमेंट का आयात

225. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मन्त्री 11 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 135 के

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेंट की भारी कमी को पूरा करने के लिये सीमेंट का आयात करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना सीमेंट आयात किया जायेगा और किस देश से आयात किया जायेगा ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। यह निश्चय किया गया है कि सीमेंट का आयात न किया जाये।

Shri Vishram Prasad : Is it a fact that Russia is willing to give Cement to India in terms of rupee -payment and if so, whether Government propose to import Cement therefrom since many schemes are lying unimplemented due to acute storge of Cement ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र :इस प्रश्न के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये, जिनमें कि देश में सीमेंट का कुल उत्पादन तथा उसकी मांग भी सम्मिलित हैं, विचार किया गया है। केन्द्रीय-प्रायोजक-प्राधिकारियों अर्थात् प्रतिरक्षा, रेलवे, जल तथा विद्युत् आयोग की मुख्य आवश्यकताओं पर विचार किया गया है। विदेशी-मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुये सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सीमेंट का आयात करना आवश्यक नहीं है। सीमेंट की कमी जरूर है, किन्तु किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र की प्रगति में अवरोध डालने वाली सीमा तक नहीं है।

Shri Vishram Prasad : What steps are being taken by the Government to meet the shortage of Cement if they do not want to import it from abroad, for many schemes have beed left unimplemented due to its shortage and people in the Country are facing difficulties ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T.N. Singh) : Efforts have been made to meet this shortage by way of installing balancing equipments in all the factories. In addition to this, we have given incentives to all the existing factories so that they could increase production.

This has resulted in half a million tons of increased production than the last year, and we hope that this will further increase this year.

Shri Bagri : Will the Minister be pleased to State whether it is a fact that the acute shortage of Cement is also due to the fact that licences issued for manufacturing cement have been cancelled and new licences have not been issued so far to others in lieu thereof, and if so, when the Government propose to re-issue licences for a capacity of 10 lac tons of cement ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह सच है कि कुछ लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि सम्बन्धित फर्मों ने अपना काम प्रारम्भ नहीं किया, किन्तु हाल ही में 46 लाख टन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत 22 योजनायें आयेंगी, जिनमें 12 बिल्कुल नई हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश में सीमेंट के उत्पादन के लिये कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है और सीमेंट के उत्पादन के लिये मशीनें भी देश में ही बनाई जाती हैं ? क्या कारण है कि सरकार ने सीमेंट की कमी की ओर ध्यान नहीं दिया और क्यों . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल आयात करने का है। हम मुख्य विषय से हट रहे हैं :— अर्थात कमी क्यों हो गयी है, उत्पादन क्या है और अन्य बातें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उत्पादन के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कमी के कारण आयात करना आवश्यक हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब हमने आयात न करने का निश्चय कर लिया है।

श्री कपूर सिंह : सीमेंट के सम्बन्ध में हमारे वार्षिक उत्पादन तथा आवश्यकता में कितना अन्तर है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस समय उत्पादन 105 लाख टन है और आवश्यकता की पूर्ति करने में 20 से 25 लाख टन तक की कमी है।

श्रीमती सावित्री निगम : उपमंत्री महोदय ने कहा है कि वह इसका आयात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिये उन्हें अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। मैं जानना चाहती हूं कि इसका आयात उन देशों, अर्थात रूस और कुछ अन्य देशों से करने में क्या हानि है, जहां हमें रुपये के रूप में भुगतान करना होता है ?

अध्यक्ष महोदय : वे आयात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : चूंकि सार्वजनिक कार्यों में सीमेंट की बहुत अधिक खपत है और आम जनता को थोड़े सिमेन्ट के बोरों के लिये भी वर्षों तक प्रतीक्षा करके परेशान होना पड़ता है। अतः इसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार आम जनता के लिए कुछ सीमेंट का सम्भरण करन की बात सोच रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम सीमेंट की कमी को जितनी जल्दी हो सके, दूर करने के लिये भरसक कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में हमने कोटे निर्धारित करते समय, क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुये, विशेषकर छोटी सिंचाई परियोजनाओं की मांग को पूरा करते हुए, गैर सरकारी क्षेत्र की मांग को पूरा करने का यथा सम्भव प्रयत्न किया है।

Shri Onkar Lal Berwa : We give foreign exchange to the countries from which we import Cement. Do not they require such commodites which we can supply to them to save foreign exchange ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that he will not be importing cement.

Shri Vibhuti Mishra : Have Government given any directions to. State Governments that a certain percentage of cement may be given to the farmers for agricultural purposes so that there is an increase in the out put ?

Mr. Speaker : It is a different question.

Shri Vibhuti Mishra : It is a very important question. The farmers are not getting cement.

Mr. Speaker : The question is whether Government will import more cement.

Shri Vibhuti Mishra : He is also Minister of Industry add Supply.

श्री रामनाथन् चेट्टियार : हम किस मूल्य पर सीमेंट खरीद रहे हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम सीमेंट का आयात नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि हम आयात नहीं कर रहे हैं ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या उन कारखानों के लिये जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं मशीनें आयात करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा तथा कुछ समय के लिये इस मामले में आयात की मांगों को पूरा करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा अथवा रुपया मुद्रा का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ? क्या इस पहलू पर विचार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी संगत नहीं है । अगला प्रश्न ।

खान इंजीनियरी का पाठ्यक्रम

\+
*226 { **श्री रा० गि० दुबे** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या इस्पात तथा खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान इंजीनियरी का प्रशिक्षण देने वाली प्रत्येक संस्था द्वारा अपनाये गये मापदण्ड तथा पाठ्यक्रमों के प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिये एक बोर्ड बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की रचना तथा निर्देश-पद क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) खान इंजीनियरी शिक्षा सम्बन्धी संयुक्त बोर्ड की रचना तथा कार्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3479/64]**

श्री रा० गि० दुबे : क्या बोर्ड ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन अथवा कुछ सिफारिशें पेश की हैं ?

श्री तिम्मय्या : जी हां । बोर्ड ने अक्तूबर, 1964 में हुई अपनी बैठक में कुछ सिफारिशें की थीं । वे इस प्रकार हैं :—खनन इंजीनियरी में एक फैलोशिप योजना प्रारम्भ की जानी चाहिये;

वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद के राष्ट्रीय पंजी एकक को खान इंजीनियरों की विभिन्न श्रेणियों की नौकरी सम्बन्धी स्थिति का निर्धारण करना चाहिये और खनन उद्योग में स्नातक शिशिक्षु योजना आरम्भ करनी चाहिये ।

श्री रा० गि० दुबे : इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री तिम्मय्या : इन तीन सिफारिशों में से पहली दो सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये हमने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद से कार्यवाही करने के लिये कहा है तथा तीसरी सिफारिश के लिये हम ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के खान उद्योग से इस योजना के चालू करने की प्रार्थना की है ।

Shri Yashpal Singh : Whether it is a fact that the students had gone on strike and it was called off on the assurance that there would be uniformity of syllabus ? Whether this demand of the students has been accepted ?

श्री तिम्मय्या : यह सही है कि हड़ताल हुई थी परन्तु बोर्ड स्थापित होने के पश्चात् उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी थी ।

श्री दासप्पा : क्या पाठ्यक्रम तथा स्तर का पुनर्विलोकन इस लिये किया गया है कि खान इंजीनियरों में फैली हुई बेकारी दूर की जाये ?

श्री तिम्मय्या : केवल यही कारण नहीं था । कई संस्थायें, जिन का प्रबन्ध गैर सरकारी निकाय तथा राज्य सरकारें करती हैं–ऐसी हैं जिनके पाठयक्रम तथा स्तर समान नहीं हैं । उन में समन्वय लाने के लिये ही यह बोर्ड स्थापित किया गया था ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या पाठ्यक्रम का पुनर्विलोकन करते समय सरकार ने खान इंजीनियरों के नियोजन के विस्तार को ध्यान में रखा था ?

श्री तिम्मय्या : जी हां। चौथी योजना के दौरान अपेक्षित खान इंजीनियरों की संख्या जानने के लिये इस बोर्ड ने विशेषतया कुछ अध्ययन दल बनाये हैं । उन्होंने एक अध्ययन दल इस बात की जांच के लिये भी बनाया है कि पढ़ कर निकलने वाले इंजीनियरों तथा उन के लिये नियोजन अवसरों में कहां तक उचित संतुलन स्थापित हो सकता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या पिछले दो या तीन वर्षों से कालेजों से निकलने वाले खान इन्जीनियरों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि उनको नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि उन का सम्बन्ध केवल खानों से ही होता है ? क्या इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को बहुत से अभ्यावेदन भी मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री तिम्मय्या : हमें अभ्यावेदन मिले थे तथा इस समस्या को हल करने के लिये ही हमने यह बोर्ड बनाया था जो इस विषय की अब देखरेख कर रहा है ।

Shri Kishan Pattnayak : Is it a fact that Mining Engineers do not secure employment on the basis of their degrees and for that they have to undergo a training for a period of two years and then to obtain a certificate from the manager ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P.C. Sethi): Yes, Sir. The mining engineers do not secure employment just after odtaining thier degrees. They undergo training for a period of two years and appear in the examination, held at Dhanbad. They get Service only after passing that examination.

Shri Sheo Narain : Whether some special scholarships are given to Harijan students who undergo mining training ?

श्री तिम्मय्या : : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रंगा : क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण को बड़ी संख्या में अधिक खान इंजीनियरों की आवश्यकता थी तथा हमारे देश में खान संसाधनों के सर्वेक्षण में काफी मात्रा में काम नहीं हुआ था ? यदि हां, तो फिर इन खान स्नातकों तथा खान इंजीनियरी में प्रशिक्षित व्यक्तियों में बेकारी कैसे आ गई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : हमें न केवल भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के लिये, अपितु खान ब्यूरो के लिये भी खान इंजीनियरों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है । इन में से बहुत से लोग खान उद्योग, कोयला क्षेत्रों तथा दूसरे स्थानों पर काम कर रहे हैं। इतना होने पर भी यदि लोग आवश्यकता से अधिक हैं तो उसका कारण यह है कि बहुत से लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं । यह सुनिश्चित करने के लिये कि उनको रोजगार मिले, हम ने एक समिति नियुक्त की है जो इन लोगों को रोज़गार दिलाने के प्रश्न पर विचार करेगी, हम अवश्य ही उनके विषय में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

गुड़ियों का निर्यात

*227. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अफ्रीकी–एशियाई देशों में भारतीय गुड़िया बड़ी लोकप्रिय हो गई है और कई पड़ौसी देशों में उनके निर्यात की बड़ी गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों ने भारतीय गुड़ियों में रुचि दिखाई है और पिछले वित्तीय वर्ष में गुड़ियों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). कितनी गुड़ियों का निर्यात हुआ है इसके अलग आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि ये खिलौनों के अन्तर्गत आ जाती हैं। एक विवरण जिसमें निर्यात किये गये खिलौनों (धातु, लकड़ी, शिक्षा सम्बन्धी खिलौनों और कलात्मक खिलौनों) के आंकड़े दिये हुए हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3480/64] इससे यह पता लगता है कि हमारे खिलौने विभिन्न देशों में कितने पसन्द किये जाते हैं । 1963–64 में 78 हजार रु० के खिलौने बाहर भेजे गये । अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने खिलौनों की किस्म, नमना आदि सुधारने के लिये विभिन्न कदम उठाये हैं । इस दिशा में निर्यात काफी मात्रा में बढ़ाने के लिये काफी समय लगेगा क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब हम हाथ की बनी या अंशतः हाथ व अंशतः मशीन की बनी गुड़ियों के स्थान पर बहुत बड़ी मात्रा में स्वचालित ढंग के विविध नमूनों वाले खिलौनों का उत्पादन आरम्भ करेंगे ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : विवरण से पता चलता है कि कुवैत को छोड़ कर दूसरे अरब व अफ्रीकी देशों में हमारी गुड़िया और खिलौने बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हैं । क्या मैं यह जान सकता हूं कि वहां इनको लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार क्या विशेष पग उठा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं ने पहले ही बता दिया है कि निर्यात केवल 78,000 रुपये का हुआ है जो बहुत बड़ी राशि नहीं है । कुवैत को 10,000 रु० का निर्यात भी बहुत थोड़ा है जब हम निर्यात को एक बड़ी चीज मानते हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जो देश इन में रुचि रखते हैं उनमें इसे लोकप्रिय बनाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : बात यह है कि जहां माननीय सदस्य के विचार से हम ने काफी कुछ किया है, वह भी कुछ नहीं है । 10,000 रु० का निर्यात कुछ नहीं होता । भारतीय खिलौनों और गुड़ियों के निर्माण के तरीकों में बुनियादी कठिनाई यह है कि यह दस्तकारी उद्योग है और इस देश में विशेषरूप और आकार के खिलौने स्वचालित यंत्रों आदि से बनाना, जैसे कि जापान बनाता है, कठिन है । इसलिये यह धीमी गति वाला धंधा है और हम धीमे-धीमे ही इसमें प्रगति कर रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : देश में किन-किन शहरों और कस्बों में खिलौना उद्योग विशेषता प्राप्त कर रहा है और केन्द्र की ओर से इस उद्योग को आर्थिक दृष्टि से क्या सहायता दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कुल मिला कर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो किन "शहरों" में यह सब कुछ हो रहा है, यह प्रश्न कसे उठा ?

श्री मनुभाई शाह : हम तो केवल निर्यात की बात कर रहे हैं । स्थानीय निर्माण के सम्बन्ध में बड़े-बड़े क्षेत्र ये हैं---आंध्र, मैसूर, मद्रास, केरल, गुजरात तथा पन्जाब, हालांकि हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में खिलौने और गड़िया बनती हैं, जहां उनके अपने क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक तथा समाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव होता है । परन्तु यही मूख्य क्षेत्र हैं ।

Shri Tulsi Das Jadhav : Doll making is a good cottage industry. Do the Government propose to assist such small scale Industiries by helping and encouraging them ?

Mr. Speaker : It is a good suggestion that you have given.

Shri Tulsi Das Jadhav : What endeavours are being made ?

Mr. Speaker : Your suggestion has been noted and it will be considered.

डा० सरोजिनी महीषी : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या गुड़िया बनाने के उद्योग के अनुसंधान केन्द्रों पर किये गये अनुसंधान को कार्यरूप दिया जाता है और गुड़िया निर्माण केन्द्रों को क्या प्रोत्साहन दिया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाने का प्रयत्न कर रहा था कि मैं ने जो कुछ भी पहले कहा है वह निर्यात व्यापार के संबंध में था । जहां

तक स्थानीय उत्पादन का संबंध है, सरकार ने चार वर्ष हुए खिलौना व गुड़िया विशेषज्ञों की एक तालिका नियुक्त की थी। वह इस उद्योग को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा काम कर रही है। पर जहां तक विदेशों का संबंध है हमारी उन के साथ कोई होड़ नहीं है और हमारी बनी हुई वस्तुएं अधिक मात्रा में पसंद नहीं की जातीं।

श्री कपूर सिंह : सरकार ने खिलौनों व गुड़ियों के बनाने की कला को उन्नत करने के लिये यदि कोई पग उठाये हैं तो वे क्या हैं, जिनसे भारतीय गुड़ियां सजीव और भावना भरी लग सकें जिनकी उनमें कमी है।

श्री मनुभाई शाह : मैंने पहले ही बता दिया है कि अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड बड़े पैमाने पर गुड़िया व खिलौने बनाने के लिये ऋण, मशीनें, कच्चा माल और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कर रहा है। परन्तु हम अभी निर्माण या किस्म या उपभोक्ता की पसंद के मामले में उस स्तर पर नहीं पहुंच पाये हैं जिसकी विदेशों में मांग है।

श्री कपूर सिंह खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : सजीवता के पहलू का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री कपूर सिंह : हमारी गुड़िया बनानी की कला बहुत निम्न स्तर की है।

अध्यक्ष महोदय: यह तो उन्होंने भी कहा है।

Shri Yashpal Singh : The answers so far given have failed to reveal as to which State produces most popular dolls ?

श्रीमती सावित्री निगम : इस के अतिरिक्त, हमारी गुड़ियों के बहुत कम निर्यात का एक कारण प्रचार की कमी है। क्या मंत्री महोदय विभिन्न देशों में भारतीय गुड़ियों के प्रदर्शन के लिये प्रदर्शन-कक्ष खोलने का विचार रखते हैं?

श्री मनुभाई शाह : प्रचार की कोई कमी नहीं है। मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो मैं ने पहले कही है कि जब तक आधुनिक डिज़ाइन, स्वचालित हरकत और विभिन्न प्रकार के पुर्ज़े तथा बदलते हुए नमूने नहीं बनाये जाते, जिन पर समय लगता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें और भी बहुत सी वस्तुएं बेचनी हैं, और तभी हम ऐसी धीमी चाल वाले काम पर शक्ति केन्द्रित कर सकते हैं।

श्री (शं० न०) चतुर्वेदी : क्या हम अभी तक गुड़ियों व बिना मशीन वाले खिलौनों का आयात करते हैं? यदि हां, तो कितनी मात्रा में और हम उनके लिये क्या व्यय कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या हम गुड़ियां आयात करते हैं?

श्री मनुभाई शाह : जी नहीं।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से शिष्टमण्डल

+

*228. श्री विभूति मिश्र :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :
श्री राम सवक यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1964 के प्रथम सप्ताह में पूर्वी जर्मनी से औद्योगिक विशेषज्ञों का एक शिष्टमंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उस के आने का प्रयोजन क्या था; तथा

(ग) क्या उसकी भारत सरकार से कोई बातचीत हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अक्तूबर, 1964 में पूर्वी जर्मनी से औद्योगिक विशेषज्ञों का एक शिष्टमंडल भारत आया था ।

(ख) उसके आने का प्रयोजन मशीनरी सम्बन्धी वस्तुओं के सम्भरण के विषय में बातचीत करना था ।

(ग) जैसा कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के सरकारी अधिकारी पहले ही भारत सरकार के अधिकारियों से व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत कर चुके हैं; इसलिए इस गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों से न तो बातचीत की है और न ही ऐसी इच्छा प्रकट की ।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know which machines are imported from there by the Government of India for their use ?

Shri Manubhai Shah : Machine Tools and x-ray films of G.D. R. are very popular. Different types of machines required for running factories are imported from there.

Shri Bibhuti Mishra : I want to know the difference of cost, if we import it from other countries.

Shri Manubhai Shah : We do not purchase from any country at higher price. We purchase at international price. We buy at the same price from G.D.R. as from America or West Germany.

श्रीमती सावित्री निगम : व्यापार अन्तर बराबर रखने के लिए हम क्या वस्तुएं उन्हें बदले में भेजते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इस के साथ विशेष रूप से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है । पिछले चार सालों में व्यापार पांच छः गुना हो गया है ।

हम परम्परागत तथा नई वस्तुएं उन को बेचते हैं, विशेषरूप से 43 प्रतिशत निर्मित वस्तुएं ।

Shri K. N. Tiwary : Is there any expert on small scale industries included in this delegation ? If so, has he given any proposal to the Government of India for the development of small scale industries? Are they prepared to make any investment in small scale industries ?

Shri Manubhai Shah : There are many people who are interested in small scale industries. They have put forward proposals to the Small Scale Industries Corporation and different enterprises. So far as the question of investment is concerned, socialist countries do not invest in other countries.

श्री रा० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि दोनों देश की बातचीत सरकारी स्तर पर ही हुई, अथवा एक ओर तो उद्योगपति थे और दूसरी ओर सरकार थी ?

श्री मनुभाई शाह : यह पूर्णतः गैर-सरकारी प्रतिनिधिमण्डल है और गैर-सरकारी स्तर पर ही बातचीत कर रहा है ।

श्री बासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ऋण प्रत्याभूति प्रणाली जारी करने जा रही है ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि सभा को विदित है, हम ने पहले ही ऋण तथा प्रत्याभूति प्रणालियां जारी कर दी हैं । इस सम्बन्ध में हम ने इस वर्ष 50 करोड़ रुपये निर्यातकों को ऋण के रूप में दिये हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच है कि इस प्रतिनिधिमण्डल ने भारत सरकार को लम्बे समय के लिये तथा आसान किश्तों पर भुगतान के लिये बड़ी सहायता देने का सुझाव दिया है । परन्तु इस को हालस्टीन सिद्धान्त के अनुसार, अर्थात् यदि हम पूर्वी जर्मनी से सहायता लें तो पश्चिमी जर्मनी से सहायता बन्द हो जायेगी, अस्वीकार कर दिया गया है ।

श्री मनुभाई शाह : प्रश्न का अन्तिम भाग ठीक नहीं है । हम ने उसे अस्वीकार नहीं किया । हम जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से निगमानुनिगम के आधार पर ऋण लेने को तैयार हैं । जैसे हमारा राज्य व्यापार निगम उन के निगम से ऋण ले, परन्तु सरकारों के स्तर पर यह सम्भव नहीं है ।

जस्ता गलाने के संयत्र में पौलेण्ड की सहायता

+

*229. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री बृजराज सिंह/कोटा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड के सहयोग से भारत में जस्ता गलाने का संयंत्र स्थापित करने के लिए वार्ता आरम्भ की गयी है; और

(ख) क्या पोलैण्ड के विशेषज्ञों ने इस बारे में कोई सम्भावना प्रतिवेदन दिया है ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी हां। देश में पोलैण्ड की सहायता से जस्ता प्रद्रावण शाला की स्थापना के बारे में भारत सरकार के साथ बात-चीत करने के लिए पोलैण्ड के दो तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल 6 अक्टूबर, 1964 से 16 अक्टूबर, 1964 तक भारत में था।

(ख) जी हां।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान के ज़ावार क्षेत्र में कच्चा जस्ता पाया जाता है और इस की बहुत पहले से जानकारी प्राप्त है। ऐसा होते हुए भी क्या कच्चा जस्ता विदेश से आयात करने का विचार है? जब देश में देसी जस्ता उपलब्ध है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री तिम्मय्या : यह सच नहीं है। राजस्थान का प्रस्तावित जस्ता गलाने का संयंत्र ज़ावार के स्थानीय निक्षेपों पर आधारित होगा तथा केरल में अलवाय के स्थान पर जो संयंत्र होगा वह आयात किये हुए कच्चे जस्ते पर आधारित होगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान में यह संयंत्र लगाने का प्रश्न कब से विचाराधीन है और इस कारखाने को लगाने के बारे में निर्णय लेने में दस साल का समय क्यों लगा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : राजस्थान का प्रस्तावित संयंत्र गैर सरकारी क्षेत्र में है और इस में कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं। राजस्थान सरकार की सहायता के होते हुए भी समवाय को कठिनाइयां पेश आ रही हैं। अब हम विचार कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार को यह कार्य अपने हाथ में ले कर सहायता करनी चाहिये अथवा इसे सरकारी क्षेत्र में ले।

Shri Yashpal Singh : Has any other country also offered collaboration in this Plant ?

श्री संजीव रेड्डी : अभी तो यह केवल पोलैण्ड तक ही सीमित है ।

Shri Onkar Lal Berwa : What amount will be required for the establishment of this project ? What will be the requirement of the foreign exchange and what will be the share of Government of India ?

श्री संजीव रेड्डी : परियोजना प्रतिवेदन के पूरा होने के पश्चात् ही पता चलेगा कि इस पर कितना खर्चा आयेगा तथा कितनी विदेशी सहायता हमें मिलेगी ।

Shri Sheo Narain : I want to know the names of other parts of the country where smelting plants are proposed to be established by the Government ?

श्री संजीव रेड्डी : अभी मेरे मित्र, संसदीय सचिव, ने कहा है कि एक संयंत्र जावर में तथा दूसरा केरल में लगाना है और तीसरे के लगाने के विषय में विचार किया जा रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Minister has told that the work of the project will start after the project is given a final shape. May I know how much time will be taken in finalising the project and when its work will start ?

श्री संजीव रेड्डी : इसमें समय लगता है । आरम्भ में, इस परियोजना से संबंधित प्रतिवेदन में एक वर्ष लगेगा । इस परियोजना से संबंधित प्रतिवेदन के तैयार हो जाने के पश्चात् मशीनों आदि के लिए आर्डर देने होंगे । मेरा विचार है कि इसमें 2 या 3 वर्ष लग जायेंगे ।

आभूषणों का निर्यात

\+
*230. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के जौहरियों को हीरों, कीमती जवाहिरात और अन्य आभूषणों की बिक्री बढ़ाने के लिए विदेशों में कार्यालय खोलने का परामर्श दिया है;

(ख) क्या सरकार ने मोती जड़े हुए आभूषणों के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है;

(ग) पिछले वर्ष मोतियों, कीमती जवाहिरात और आभूषणों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(घ) भारतीय निर्यातकों द्वारा रखे गये मूल्यों तथा इस क्षेत्र में हमारे दो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी, इजरायल और बेल्जियम के निर्यातकों द्वारा रखे गये मूल्यों में क्या अन्तर है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां । सरकार ने आभूषण निर्माताओं को सलाह दी है कि वे भारतीय दस्तकारी तथा हथकरघा निर्मित वस्तु निर्यात निगम सीमित, नई दिल्ली, के सहयोग के साथ विदेशों में आभूषणों के लिए प्रदर्शन केन्द्र खोलें । यह निगम इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठा रहा है ।

(ख) मोतियों, कीमती हीरे जवाहारात, कम कीमती जवाहिरात, परिष्कृत या अपरिष्कृत हीरों, आभूषणों में जड़े या न जड़े हीरों का निर्यात, निर्यात नियंत्रण आदेशानुसार निर्बाध रूप से करने दिया जाता है। परन्तु इसके लिए रक्षित बैंक की अनुमति अनिवार्य है।

(ग) मोतियों, कीमती तथा कम कीमती हीरे जवाहिरात और आभूषणों आदि के निर्यात से आय बहुत बढ़ी है और 1963–64 में 11.53 करोड़ रुपये की आय हुई तथा 1964–65 के पूरे वर्ष में 14 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है।

(घ) इन चीजों में कोई मानक चीजें नहीं होतीं, इसलिए भारतीय निर्यातकों द्वारा कथित मूल्यों की तुलना इजरायल तथा बेजिल्यम के निर्यातकों द्वारा कथित मूल्यों से करना सम्भव नहीं हो सका है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, रूपांकन, तराशकारी तथा कारीगरी के आधार पर इनका मूल्य निर्धारित होता है। इस बात में भारत के मूल्यों की तुलना की जा सकती है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जौहरियों के लिए कौनसी विशेष सुविधाएं दी गई हैं ?

श्री मनुभाई शाह : समस्त निर्यात इस बात पर आधारित है कि हम जो भी कीमती जवाहिरात आयात करते हैं, फिर से उनको तराशना तथा परिष्कृत करना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में कीमती जवाहिरात प्राप्य नहीं है। इनका शत प्रतिशत निर्यात करना होता है और इसके लिए जो भी सुविधा हो सकती है, दी जाती है। यही कारण है कि इनके निर्यात में वृद्धि हुई है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मंत्री महोदय ने जौहरियों से जो उत्तर प्राप्त किये हैं क्या वे सरकार की आशा के अनुकूल हैं ?

श्री मनुभाई शाह : आशा से भी अधिक हैं।

श्री अन्सार हरवानी : क्या सरकार को विदित है कि निर्यात की अपेक्षा अधिकांश जवाहिरात गुप्त रूप से बाहर ले जाये जाते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यहां तस्करी व्यापार का प्रश्न नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय : जिन प्रदर्शनियों में भारत ने पहिले भाग लिया था क्या उनमें कभी भारतीय जवाहिरात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रखे गये थे ?

श्री मनुभाई शाह : प्रदर्शित की जाने वाली मुख्य चीजों में भारतीय जवाहिरात भी होते हैं। मास्को में इनकी बड़ी प्रशंसा हुई है। कुवैत में स्वयं वहां के अमीर ने बहुत से भारतीय जवाहिरात खरीदे। न्यूयार्क मेले के 'इंडयन प्लाजा' में दो विशेष पैविलियन भारतीय जवाहिरातों के हैं . . . . . **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी जौहरियों को बुलाऊंगा।

Shri R. S. Tiwary : Just now the Minister has told that it is exported after the permission of the Reserve Bank of India is obtained. The Reserve Bank has not accoreded permission for sale of the diamonds found at Panna and as such their prices have gone down.

Shri Manubhai Shah : We cannot sell them without the permission of the Reserve Bank since everything is sold only after its value is assessed. There is a great demand of diamonds of Panna. If they are surplus, jweellers and other persons will purchase them.

Shri R. S. Tiwary : The diamonds of Panna have not been sold.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि 'कुन्दन आभूषण' बनाने वाले जौहरियों ने शिकायत की है कि उनको पर्याप्त सहायता तथा सोना नहीं मिल रहा है और उसी कारण कुन्दन आभूषणों का निर्यात घट रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : यह ठीक है । कुन्दन आभूषण 80 प्रतिशत सोने से बनाये जाते हैं और दुर्भाग्यवश स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अनुसार कुन्दन आभूषण बनाने वालों को सोना देना बहुत कठिन हो गया है । हाल ही में हमने एक योजना तैयार की है जिसके द्वारा सोना रिजर्व बैंक के स्टाक से निगम को उपलब्ध किए गए सोने में से दिया जाएगा । आशा है कि सोना शीघ्र दे दिया जाएगा और स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अनुसार इसका हिसाब उचित ढंग से रखा जाएगा क्योंकि इन नियमों का भी पालन किया जाना है । शायद वे भी इसका लाभ उठाएंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : (उठीं) ।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, आभूषणों के विषय में महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

श्री नाम्बियार : निर्यात के लिए नहीं ; वे तो आयात चाहती हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कुल कितना कोटा इन निर्यातकों को दिया जा रहा है क्योंकि जब तक इनको कच्चा माल नहीं मिलता, ये आभूषणों को नहीं बना सकते ? कोटा देते समय क्या इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इन जौहरियों को दिए गये कोटे का अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है और उसे देश के अन्दर ही उपयोग में लाने के लिये नहीं रखा जाता ?

श्री मनुभाई शाह : इस योजना में कोटा पद्धति नहीं रखी गई है । कम से कम यह शर्त लगा दी गई है कि कोई भी आयात नहीं कर सकता ; कस्टम क्लीअरेन्स पर्मिट की व्यवस्था मौजूद है ; विदेशी मुद्रा की अनुमति नहीं दी जाती और न ही आयात करने के लाइसेंस दिए जाते हैं । केवल सामान्य कस्टम क्लीअरेन्स पर्मिट दिए जाते हैं । जब तक किसी लेन देन में 25 प्रतिशत की शुद्ध बचत दिखाई नहीं जाती, उसको करने की अनुमति नहीं दी जाती ।

Shri Bade : Is it a fact that although the Panna mines have been nationalised neither an export nor any direction has been provided by the centre ? What arrangements are being made by the centre in this matter ?

Shri Manubhai Shah : The subject of diamond mines relates to my colleague, Shri Sanjiva Reddy. This quistion does not fit in this subject. Those mines contain highly precious diamonds but the quantity extracted is very small. Their demand in India, however, is very great.

Shri Bade : What direction has been provided by the Centre?

Shri Manubhai Shah : This has nothing to do with that.

श्री नम्बियार : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण में विशेषतया त्रिचिरापल्ली और अन्य स्थानों से निकाले गये कृत्रिम हीरों की विदेशों में अधिक मांग है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस को उन आभूषणों की सूची में शामिल कर लिया गया है जिन का निर्यात किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां । रत्न काटने की संश्लिष्ट कला का, जो कि दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है, अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग होता है । वास्तविकता तो यह है कि हम ने कोयम्बटूर के निकट मेट्टूप्पालायम् में संश्लिष्ट रत्न बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था । अब उस कारखाने की क्षमता दुगनी हो गई है और आशा है कि दो वर्षों में इस की क्षमता चौगनी हो जायेगी ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that our export of these articles to East Germany, where we have no embassy, is the least ?

Shri Manubhai Shah : I have just said that there has been phenomenal rise in our import and export trade with East Germany. Our import and export trade with such a small country has been to the tune of Rs. twenty crores.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार जानती है कि उन की गलत स्वर्ण नीति से आभूषणों के प्रति हमारी सुरुचिपूर्ण अनुभूति शुष्क होती जा रही है और इसके फलस्वरूप कारीगरी का ह्रास होता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर ध्यानपूर्वक पुनर्विचार करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : इसके कारण भारत की खपत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है । रत्नों को कच्चे माल के रूप में आयात किया जाता है और इस से तैयार किये माल को निर्यात के लिये उपलब्ध किया जाता है । इससे हुई शुद्ध आय से देश में धन और आभूषणों में वृद्धि होती है ।

श्री श० (न०) चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय आभूषणों की जितनी मांग है उस की पूर्ति के लिये उत्पादन क्षमता पर्याप्त है और यदि नहीं तो सरकार द्वारा उस उद्योग को, जो विदेशी मुद्रा कमाने का एक उत्तम साधन है क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : वर्तमान उत्पादन काफी नहीं है, हम केवल इस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । मेरे विचार में इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता ।

तारांकित प्रश्न संख्या 231 के (दारे) में

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : 131 ।

अध्यक्ष महोदय : 231 : प्रश्न काल में सदस्यों को सतर्क रहना चाहिय ।

कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे

+

*231. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० के० देब :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ब० कु० दास :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई नया प्रस्ताव अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिस में कलकत्ता की परिवहन समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया है और नगर के व्यापारिक और दफ्तरों वाले क्षेत्रों तक तथा उन से उपनगरीय यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये नगर में वत्ताकार रेलवे बनाने की योजना पर पुर्नविचार करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये प्रस्ताव पर रेलवे मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विषय विचाराराधीन है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव पर 1914 से विचार किया जा रहा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1953 में राय समिति ने भी इस पर विचार किया और तत्पश्चात् कलकत्ता में रेलवे विद्युतिकरण सम्बन्धी सारंगपणि प्रतिवेदन में भी, जो कि जून, 1956 में प्रकाशित हुआ था, विचार किया गया था, और उन्होंने यह सिफारिश की थी कि रेलवे को अपने हित में वृत्ताकार रेलवे परियोजना को चालू करना चाहिये और तब यह रेलवे द्वारा निर्णय किया गया था कि इस परियोजना को रेलवे विद्युतिकरण परियोजना के तृतीय चरण में चालू कर दिया जायेगा––

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इतना लम्बा नहीं होना चाहिये ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में इतनी देरी का क्या कारण है, जब कि दिल्ली जैसे स्थान में, जहां पर विद्युतीकरण नहीं है, एक ऐसी वृत्ताकार रेलवे चालू करने और अन्य बात पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री (सा०) का० पाटिल) : यह एक बहुत कठिन समस्या है। यद्यपि आवश्यकता को मान लिया गया है । किन्तु यह परियोजना इतनी सरल नहीं जितनी कि प्रतीत होती है क्योंकि पहले तो इस पर काफी धन लगेगा और दूसरे यह वाणिज्यिक दृष्टि से भी लाभदायका नहीं है । रेलों को वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाता है । हम आवश्यकता को मानते हैं और हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि हम अपने और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच इस को कैसे संभव बना सकेंगे ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : विशिष्ट आपत्ति क्या है? क्या ऐसा केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं किया जा रहा है, और यदि हां, तो बम्बई और मद्रास में उपनगरीय रेल सेवा के सम्बन्ध में क्या अनुभव है?

श्री स० का० पाटिल : यदि इस योजना को कुछ वर्ष पहले चालू किया जाता जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, तो इस पर सम्भवतः बहुत कम लागत आती । यद्यपि इस के बारे में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, किन्तु आशा है कि इस पर कोई पचास करोड़ रुपये की लागत आयेगी । इस को चलाने में वर्तमान दरों के आधार पर वार्षिक हानि लगभग पांच करोड़ रुपये की होगी । इसलिये विचार इस बात का करना है कि केन्द्रीय सरकार और पंश्चिम बंगाल सरकार मिल कर इस हानि को पूर्णतः समाप्त करने के बजाये उस को कैसे कम कर सकती हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय मंत्री के कथन से क्या हम यह समझ जायें कि परियोजना के बारे में मुख्य आपत्तियां आर्थिक हैं न कि प्रविधिक ?

श्री स० का० पाटिल : पहली बात तो यह है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है । केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में यातायात इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि किसी न किसी स्तर पर यह करना ही होगा । यदि इस सम्बन्ध में कोई प्राविधिक कठिनाइयां होंगी तो उन पर काबू पाया जा सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भीड़भाड़ के समय में वाणिज्यिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बसों अथवा ट्रकों को चलाना सम्भव नहीं होता है, क्या यह ठीक नहीं होगा कि हम रेलवे को तुरन्त चालू कर दें, क्योंकि मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि हमें यह करना ही पड़ेगा ? क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि यह जो पांच करोड़ रुपये की हानि है, जिस का अनुमान सम्भवतः सरकार द्वारा लगाया गया है, जन संख्या की द्रुतगति से वृद्धि होने से वर्षानुवर्ष कम नहीं होती रहेगी ?

श्री स० का० पाटिल : मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसा करना ही पड़ेगा । हाल के सप्ताहों में इस विषय पर काफी गरमागरमी रही है और हम भी अपनी ओर से कुछ कार्यवाही कर रहे हैं । परन्तु मुख्य तथ्य यह है कि क्या यह सम्भव होगा कि वर्तमान दरों को, जोकि सभी स्थानों पर अब प्रचलित हैं, लागू किया जा सकेगा । चूकि रेलों पर एक ही दर लगाई जाती है और विशेष दरें नहीं लगाई जातीं; अथवा क्या इन दरों को बढ़ाने के लिये कोई अन्य विधान बनाना आवश्यक होगा ? इस प्रश्न के साथ कई व्यवहारिक कठिनाइयां जुड़ी हुई हैं । परंतु मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि इस को अब काफी समय तक रोका नहीं जायेगा ।

श्रीमती रेणुका राय : मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि जो विलम्ब हुआ है उसके कारण परियोजना के लिये अब धन की दुगनी आवश्यकता हो गयी है। यदि कुछ और विलम्ब हो जाय तो सम्भवतः उसके लिये और भी अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, इस बात को दृष्टि में रखते हुए, मैं यह जानकारी चाहती हूं कि क्या वह इस मामले में शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री सं० का० पाटिल : यह तो समस्या को फिर से दोहराना है। चूंकि हम व्यापारिक आधार पर काम करते हैं अतः हमें पहले यह निर्णय करना है कि यह रेलवे के अन्तर्गत नहीं है और इन मामलों को केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार पर ही छोड़ दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के विभिन्न उत्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलकत्ता में एक वृताकार रेल-लाइन-निर्माण के लिये अन्तिम निर्णय ले लिया गया है किन्तु कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी हैं। क्या मैं ऐसा मान लूं कि वृताकार रेल-लाइन-निर्माण के लिये निर्णय लिया जा चुका है और यदि हां, तो क्या यह कार्य अगली योजना में पूरा किया जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : यदि ऐसा कोई निर्णय लिया जाता तो उसकी घोषणा मैंने कर दी होती। इस विषय में अभी निर्णय नहीं लिया गया है, इसीलिए यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है।

श्री शिंकरे : माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि रेलें साधारण मानक दरों पर चलायी जा रही हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय को विदित है कि गोआ में रेलें अभी भी पुरानी निर्धारित दरों पर ही चल रही हैं जो कि देश की आम दरों से अधिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना दे रहे हैं न कि सूचनार्थ प्रश्न कर रहे हैं।

श्री शिंकरे : प्रश्न यह है--यदि ऐसा है . . .

श्री नम्बियार : वह यह जानना चाहते हैं कि इसका अभी तक प्रमापीकरण क्यों नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने ऐसा कहा ?

श्री शिंकरे : हम सरकार से यह सूचना प्राप्त करना चाहते हैं कि इस दिशा में वह क्या करने का विचार रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री स० का० पाटिल : यह कार्यवाही के लिये एक बहुत अच्छा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जब प्रश्न की अनुमति ही नहीं दी, तो माननीय मंत्री महोदय ने इसका उत्तर क्यों दिया ?

श्री स० का० पाटिल : मुझे खेद है।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या इस वृताकार-रेल-लाइन-योजना का पूरा व्यय रेलवे मंत्रालय ही करेगा, अथवा इसका व्यय, रेल मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा मिलजुल कर वहन किया जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : वास्तव में इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या इस वृत्ताकार रेल-लाईन के विषय में नई दिल्ली और कलकत्ता के बीच कोई बातचीत हुई है ?

Shri Yashpal Singh : You should give due consideration to interest of those Members who have put this question keeping in view the interest of Bengal.

Mr. Speaker : 'Thakur Saheb' I always keep your interest in view on some occasions, your interest itself demands that I should not allow you to speak.

Enquiry against a Railway official of Delhi Main Station

*232. { Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Gulshan :

will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 288 on the 18th September, 1964 and state,

(a) whether the enquiry against the official concerned of Delhi Main Station has been comlpeted; and

(b) If so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The investigation officer has completed the enquiry and is to submit his Report shortly,

(b) Does not arise.

Shri Onkar Lal Berwa : What is the reason for the delay in submission of the Report ?

Dr. Ram Subhag Singh : He gave his final statement in the month of July after which it was referred to the Deputy Chief Personnel officer requesting him to offer his suggestions regarding disciplinary action against the official concerned. Now the position is that he has almost completed his report which is likely to be made available very soon.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the Report, when submitted, will be placed on the Table of the House ?

Dr. Ram Subhag Singh : On receipt of the Report, steps would be taken accordingly.

Shri Gulshan : May I know whether he is the same official who was given a reward of five hundred repees and granted extension also ?

Dr. Ram Subhag Singh : Yes, Sir. He is the same official who was given a reward of five hundred rupees.

Shri Gulshan : Is it a fact . . .

Mr. Speaker : It may be taken up afterwards.

Shri Gulshan : May I understand that it was a reward for corruption ?

Mr. Speaker : Next question.

चाय बागान उद्योग

+

*233. { श्री रामेश्वर टांटिया : श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में चाय बागान उद्योग में सुधार करने की एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सरकार देश में चाय बागान उद्योग के सुधार के लिये निरन्तर विचार तथा उपाय कर रही है ।

(ख) तथा (ग). 10.05 करोड़ रुपये तक व्यय वाली कई प्रायोजनाएं पहले से ही चल रही हैं । इन प्रायोजनाओं की मुख्य विशिष्टिताओं तथा उन पर होने वाले कुल खर्च की जानकारी देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या एल० टी०—3481/64]

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि चाय बागानों ने, जिनके लिये 10 करोड़ रुपये ऋण मंजूर किया गया था, केवल थोड़ी सी धन-राशि का ही उपयोग किया है ? क्या यह भी सच है . . .

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न में एक साथ कई प्रश्न नहीं होने चाहियें । मैं केवल एक प्रश्न की ही अनुमति दूंगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : यह पहिले प्रश्न से सम्बन्धित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि, क्या यह सच है कि कछार व त्रिपुरा में छोटे बागान इन ऋणों का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उनकी आय इतनी अपर्याप्त है कि उन्हें इस बात का सन्देह है कि वे इन ऋणों को वापिस लौटा सकेंगे । यदि यह सच है तो ऐसे कौन से अतिरिक्त उपाय . . .

अध्यक्ष महोदय : फिर से एक ही प्रश्न में तीसरा प्रश्न किया जा रहा है । मैं अब उन्हें किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री मनुभाई शाह : श्रीमान्, प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में, जिसमें कि प्रश्नों का एक तांता था, मैं यह कह सकता हूं कि 10 करोड़ रुपये में से 8.12 करोड़ रुपये पहले ही व्यय किये जा चुके हैं । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे एक छोटी धनराशि नहीं समझेंगे ।

श्रीमान्, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह सच है कि कछार के बागान अधिक ऋणों का उपयोग नहीं कर सके । किन्तु इसका कारण यह है कि उनके पास यथोचित प्रतिभूति नहीं है

जिसकी आवश्यकता, कोई भी ऋण देने के लिये, इस सदन को भी महसूस होगी। बावजूद इसके उन बागानों को, जिनकी हालत गिरी हुई है, कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए, जैसा कि सदन को विदित है, हमने एक उच्च-स्तरीय चाय-वित्त समिति नियुक्त कर रखी है, जिसकी सिफारिशें सरकार को शीघ्र ही प्राप्त होने वाली हैं। मुझे आशा है कि भारत के इस मूल निर्यात उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के हेतु चाय-बागान उद्योग को बहुत बड़ी सहायता प्रदान की जायेगी।

श्री रामेश्वर टांटिया : खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही तीन प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री रामेश्वर टांटिया : श्रीमान, मैंने केवल एक ही प्रश्न पूछा है। मुझे दूसरा प्रश्न करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। वह एक और प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामेश्वर टांटिया : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि चाय देश में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में द्वितीय स्थान पर है और यह विदेशी-मुद्रा का अर्जन करने वाला उद्योग है, क्या सरकार कछार त्रिपुरा जैसे छोटे बागानों को ऋणों के अतिरिक्त कुछ अन्य रियायतें देने के लिये विचार करेगी ताकि वे बागान अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकें ?

श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य इस तीन पृष्ठ के विवरण को देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि मद (6) के अन्तर्गत सहकारी चाय-कारखानों के लिये इस प्रकार के सभी प्रकार की व्यवस्था की गयी है जिनके अन्तर्गत नीलगिरी, केरल, पंजाब, कांगड़ा तथा उत्तर प्रदेश में कई योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। यदि माननीय सदस्य कछार में अभिरुचि रखते हैं तो हम वहां के लिये भी उन योजनाओं की मंजूरी दे देंगे।

श्री हेम राज : क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसमें वर्तमान छः प्रतिशत ब्याज की दर को कम करके, वही दर निर्धारित करने की व्यवस्था की गयी है जिस दर पर चाय बोर्ड को ऋण दिया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य उस समिति के एक सदस्य हैं, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। हमें इसके प्रतिवेदन पर शीघ्र ही कार्यवाही करनी पड़ेगी। अतः वह प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have got a formula regarding allocation of funds for the gardens of Assam and those in the northern region of Uttar Pradesh particularly Dehradun gardens ?

Shri Manubhai Shah : Whole of India is one. This is 'All India Scheme'. Each and every area applying for it will have it granted subject to terms and conditions being acceptable.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि चाय उन महत्वपूर्ण मदों में से एक है जिस पर इंगलैण्ड द्वारा हाल ही में लगाये गये अतिभार का असर नहीं पड़ेगा, क्या मैं जान सकती हूं कि वाणिज्य मन्त्रालय ने जिस कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप) की स्थापना, निर्यातकों पर ब्याज भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये की थी, उसकी सिफारिशों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : निर्यात पर कार्यकारी दल ने एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि महिला सदस्य की उद्देश्य-पूर्ति शीघ्र ही हो जायेगी। प्रतिवेदन सक्रिय रूप से हमारे विचाराधीन है। मुझे आशा है कि सभी मन्त्रालय इस आवश्यकता को महसूस करेंगे और हम उस पर उपरिसीमा निर्धारित करने में सफल होंगे।

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाय की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, क्या चाय बागान के स्वामियों ने भारतीय बागान उद्योग में सुधार करने के लिये कोई उत्साह दिखाया है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां। प्रत्येक काम उद्योग के सहयोग से ही हो रहा है। जैसा कि सभा को पहले ही विदित है, 1962 से लेकर जब से हमने चाय को बड़े पमाने पर निर्यात करना आरम्भ किया, हमारा निर्यात 1963 में सात करोड़ रुपये बढ़ा तथा इस वर्ष नौ करोड़ रुपया बढ़ा और हमें आशा है कि शीघ्र ही दस या ग्यारह करोड़ रुपये का और बढ़ जायेगा।

श्री जो० ना० हजारिका : क्या चाय बागान स्वामियों ने विशेष कर आसाम स्थित कछार वालों ने बागान वित्त योजना से कोई लाभ उठाया है और यदि हां, तो योजना के उद्घाटन से अब तक कुल कितने एकड़ और भूमि में चाय बोई गई है ?

श्री मनुभाई शाह : मेरे पास प्रदेशवार आंकड़े नहीं हैं परन्तु यदि माननीय सदस्य उत्सुक हों तो कछार तथा त्रिपुरा में दिये गये ऋण के आंकड़े मैं उन्हें बता सकता हूं। इस प्रयोजन के लिये रखे गये साढ़े दस करोड़ रुपयों में से साढ़े आठ करोड़ रुपये चाय वित्त समिति ने व्यय कर दिये हैं। इस के अतिरिक्त जो समिति हमने नियुक्त की है वह इस योजना के अधीन सहायता के रूप में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तनों का सुझाव देने वाली है।

श्री कुन्हन : इस प्रयोजन के लिये रखी गई कुल राशि में से केरल राज्य के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है तथा अब तक उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

कोयले वाले क्षेत्र

\+

*235. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री उइके :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री चांडक :
श्री बाकलीवाल :
श्री वाडीवा :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री र० स० तिवारी :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि जब

भारत सरकार कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम के अनुसार कोयले वाले क्षेत्रों के अर्जन का अन्तिम निर्णय करेगी तो राज्यों की आय काफी कम हो जायगी ; और

(ङ) यदि हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है कि राज्य सरकारों को, जिन्हें योजना के लिये संसाधन जुटाने में पहले ही काफी कठिनाई हो रही है, राजस्व में यह हानि न हो ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय के हाल ही में दिए एक निर्णय में तय किया है कि ऐसी भूमि, जिसमें किसी तीसरे पक्ष का अधिकार न हो, और जो कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अवाप्त की गई हो, उसमें केन्द्रीय सरकार सब भूमि तथा उसकी खनिज सम्पत्ति की पूरी तथा सम्पूर्ण स्वामी हो जायगी, और राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में राजस्व प्राप्ति की अधिकारी नहीं होगी। दो राज्य सरकारों ने इसके फलस्वरूप होने वाली राजस्व हानि के विरुद्ध प्रतिवेदन किया था।

यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (लि०) राज्य सरकारों को दिये जाने वाले धन की उचित राशि अपनी कोयला उत्पत्ति की आय से प्रदान करे जो कि उसे इन परिस्थितियों में अवाप्त क्षेत्रों से प्राप्त हुई हो।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये अभ्यावेदन के अनुसार उस सरकार को कितने राजस्व की हानि होने की सम्भावना है तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कितनी सहायता देने के लिये विचार कर रहा है ?

श्री तिम्मय्या : इन परिस्थितियों के अन्तर्गत अर्जित किये गये क्षेत्रों से निकालने वाले कोयले का ही भुगतान होना चाहिये। राशि की गणना करने के लिये . .

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस अधिनियम के कारण होने वाली हानि के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या लिखा है तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इसको कहां तक वहन करेगी ? यह मेरा प्रश्न है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : इस के लिये एक दूसरा प्रश्न पूछा जाना चाहिये क्योंकि सभी राज्य सरकारों के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

Shri Bade : Have the State Government requested for the payment of Compensation of the loss before acquiring the land ?

श्री संजीव रेड्डी : उन के अभ्यावेदन से ही सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को यह हिदायतें दी थीं कि वह उन्हें प्रतिकर दे।

Shri Bade : How much compensation has been demanded by the State Government ?

श्री संजीव रेड्डी : यह किसी विशेष क्षेत्र से निगम द्वारा प्राप्त किये गये कोयले की मात्रा पर निर्भर करता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the difference of the sum as indicated in the report and that mentioned in the decision of the High Court and when the payment is likely to be made ?

The Deputy Minister in the Ministery of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi) : The question is not very clear. The third party risk is covered in it. The question is about the virgin area only. It arises out of the decision of the Supreme Court. The decision has not yet been taken as regards the amount and for that a separate notice is required.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: When it is likely to be given?

Shri R.S. Tiwary : Have the Government of Madhya Pradesh requested that they are undergoing a loss and thus will be short of the many required even for the Five year plan. The coal mines there are the largest in the country. In view of that, when will the Central Government consider over this matter or have they informed the State that the matter is under consideration ?

Shri P. C. Sethi : This question does not relate to all the coal mines and is concerned with those only which are affected by the decision of Supreme Court and among them those which are covered under the third party risk and for which royalty has to be given.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस विषय पर बिहार सरकार ने भी कोई अभ्यावेदन भेजा है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री संजीव रेड्डी : हमें बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश से अभ्यावेदन मिले हैं । उन्हीं पर ही यह निर्णय लिया गया था तथा तद्नुसार निगम को हिदायतें दी गई थीं ।

श्री राधेलाल व्यास : जब मध्य प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने, जहाँ कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा राजस्व का एक बड़ा साधन है, कड़ा विरोध किया है, तब क्या केन्द्रीय सरकार ने सम्बद्ध राज्य सरकारों को पूरी तरह से प्रतिकर देने के लिये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार किया है ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरी बिहार के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत हुई थी तथा इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । इस से अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता ।

सूती वस्त्र उद्योग

\+

*236. श्रीमती रेणुका राय :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती वस्त्र उद्योग को आधुनिक मशीनें लगाने के लिये विशेष प्रोत्साहन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रोत्साहन क्या है ; और

(ग) इन प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप 1964-65 में निर्यात से कितनी आय होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सूती वस्त्र मिलों को अपनी निर्यात आय का 25 प्रतिशत वस्त्र मिलों की मशीनों की अनुमति-प्राप्त मदों का आयात करने में उपयोग करने की इजाजत है ।

(ग) 1964-65 के लिये निर्धारित सूती वस्त्र का निर्यात लक्ष्य 66 करोड़ रु० है । इस आधार पर सूती वस्त्र की मिलें लगभग 16.5 करोड़ रु० मूल्य की मशीनों के लिये हकदारी का उपार्जन कर सकती है ।

श्रीमती रेणुका राय : यह देखने के लिये कि आधुनिक मशीनों पर व्यय होने वाला 25 प्रतिशत वास्तव में इसी प्रयोजन पर व्यय हो रहा है तथा इसको विदेश यात्रा तथा अन्य ऐसे प्रयोजनों पर व्यय नहीं किया जा रहा है क्या कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : नहीं श्रीमन् । यह केवल मशीनों के आयात पर ही हो रहा है और किसी पर नहीं ।

श्रीमती रेणुका राय : परन्तु क्या उस को देखने के लिये कोई नियंत्रण हैं ।

श्री मनुभाई शाह : जी हां, पूर्ण नियंत्रण है ।

श्रीमती रेणुका राय : आधनिक ढंग से उद्योग के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण द्वारा बहुत से व्यक्तियों में बेकारी बढ़ जायेगी । क्या ऐसे उपाय किये गये हैं कि इन व्यक्तियों को किन्हीं अन्य स्थानों में नियुक्त किया जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि सभा को पहले ही विदित है सूती वस्त्र, कपास तथा अन्य ऐसे उद्योंगों में आधनिकीकरण करना 1957 में ही देश ने स्वीकार कर लिया था । उस समय ऐसा करने से किसी को खेद नहीं हुआ था क्योंकि न तो कोई व्यक्ति बेकार ही हुआ था तथा न ही फालतू घोषित किया गया था । आधुनिकीकरण और विकास में संतुलन स्थापित रहना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ राय : भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को इतनी सुविधाओं देने से क्या भारतीय उपभोक्ता को भी लाभ हुआ है ?

श्री मनुभाई शाह : भारतीय सूत्री वस्त्र उद्योग में कोई विदेशी कर्मचारी नहीं है ।

श्री विश्वनाथ राय : भारतीय उपभोक्ता ।

श्री मनुभाई शाह : सभी भारतीय उपभोक्ता हैं ।

Shri K.N. Tiwary : For the development of textile industry incentive has been given for its modernisation. Will other industries like sugar also get the same?

श्री मनुभाई शाह : हमारे बड़े बड़े उद्योगों जैसे कि खनन उद्योग, चीनी उद्योग, खाज़ उद्योग, सूती वस्त्र, कपास इत्यादि के कारखानों का आधुनिकीकरण हो गया है ।

सभी को सुविधायें दी गई हैं। क्योंकि आधुनिकीकरण के बिना न तो मूल्य में कमी हो सकती है तथा न ही कोटि में सुधार ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have given any loan to some industrialists in this connection, if so, how much ?

Shri Manubhai Shah : Loans are given for industrialisation which includes modernisation also.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या आधुनिकीकरण के बाद इसकी हथकरघा उद्योग से काफी प्रतियोगिता होगी। क्या इस आधुनिकीकरण योजना के बाद धोतियां हथकरघा उद्योग के लिये रक्षित रखी जायेंगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया गया है कि अभी कितनी प्रतिशत कपड़ा मशीनों का आधुनिकीकरण किया जाना है और हाल के वर्षों में कितनी प्रतिशत मशीनों का आधुनिकीकरण किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : इस बारे में हम बहुत पीछे हैं। अभी तक 20–25 प्रतिशत मशीनों का ही आधुनिकीकरण किया गया है और अभी 75 प्रतिशत मशीनों का आधुनिकीकरण और किया जाना है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या आधुनिकीकरण का मतलब कोयले के बदले बिजली का प्रयोग किया जाना है ।

श्री मनुभाई शाह : यह कोई आधुनिकीकरण नहीं है । हां यह आधुनिकीकरण का एक तरीका अवश्य है । इस आधुनिकीकरण का मतलब है स्वचालित करघे, हाइड्रो कैसाब्लान्सा, हाइड्रो लिफ्ट, विभिन्न प्रकार के स्वचालित वाइन्डर और अन्य बातें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का ध्यान हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बक द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से किये गये त्रैमासिक पुनरीक्षा की ओर दिलाया गया है जिसमें विश्व बैंक के एक प्रतिनिधि ने यह सिफारिश की है कि ये सब विकासशील देश, अपनी मशीनों का आधुनिकीकरण करने के लिये, जिसमें कपड़ा मशीनें भी शामिल हैं, पुरानी मशीनें खरीद सकते हैं जो लागत के 30 से 75 प्रतिशत मूल्य पर मिल सकती हैं ? इस बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

श्री मनुभाई शाह : हमने इस पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया है । हम हर मशीन पुरानी लेने के विरुद्ध हैं क्योंकि दूसरे देश में वे बेकार हो चुकी हैं और इसको खरीदना केवल अपनी जिम्मेदारियां ही बढ़ाना है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि मंजूर किये गये आयात के अभ्यंश में रुपया भुगतान क्षेत्रों से मशीनों का आयात शामिल है या नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां । इसका स्वागत है । हम रुपये में भुगतान वाले देश से मशीनों के आयात के लिये विशेष सुविधाएं देते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कपड़ा उद्योग में श्रमिक, उनके संघ और संस्थाएं इस आधुनिकीकरण के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि

उनमें यह आशंका है कि इसके बाद छंटनी होगी । उनके हितों का संरक्षण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि छंटनी न हो और आधुनिकीकरण भी हो जाये ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो भारतीय श्रम सम्मेलन के अभिसमय के अनुसार आधुनिकीकरण किया जा रहा है ।

Shri D.N. Tiwary : May I know whether licences have been given for the import of modern machineries or second hand modern machineries for the establishment of textile mills in Bihar ?

Shri Manubhai Shah : This does not arise out of this question.

श्री तुलशीदास जाधव : क्या ऐसी भी कोई कपड़ा मिल है जिसको आधुनिकीकरण के लिये मशीनें आयात करने की अनुमति नहीं है और जो आधुनिकीकरण के लिये मशीनों के अभाव में बन्द पड़ी हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह पूरा आधुनिकीकरण नहीं है बल्कि इसका एक भाग है । जो निर्यात नहीं कर रहे हैं उनको यह सुविधा नहीं दी जा रही है लेकिन वे वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त कर सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

युगान्डा में चीनी मिलें

*234. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 3 अक्टूबर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1761 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगान्डा में चीनी उद्योग का विस्तार करने के संबंध में कम्पाला में हुए करार के ज्ञापन का इस बीच अनुसमर्थन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसे कब तक कार्यरूप देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). युगांडा में चीनी मिलों की स्थापना करने के लिये भारत और युगांडा की सरकारों के बीच हुए करार के ज्ञापन संबंधी अनुसमर्थन के दस्तावेज का औपचारिक आदान-प्रदान अभी पूरा होना है । साथ ही साथ सविस्तत प्रायोजना विषयक अध्ययन करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं, तत्पश्चात् प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जायेगा। एक विवरण जिसमें संक्षेप में प्रायोजना की रूपरेखा दी गई है, सदन की मेज़ पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार तथा युगांडा सरकार के बीच हुए एक करार के ज्ञापन के अधीन, जो कि युगांडा में चीनी उद्योग का विकास करने से सम्बन्धित सहयोग के बारे में है, जिस पर 18 सितम्बर, 1964 को कम्पाला में हस्ताक्षर हुए थे, भारत ने युगांडा में 4 कारखाने लगा कर वहां के चीनी उत्पादन में 1,00,000 टन की वृद्धि

करना मान लिया है । कारखानों की इमारतों के लिये अपेक्षित सामान के अतिरिक्त सभी मशीनें तथा उपकरण भारत से भेजे जायेंगे । इन कारखानों तथा एस्टेटों पर स्वामित्व रखने के लिये युगांडा में एक चीनी विकास निगम की स्थापना की जायेगी । इस निगम की इक्विटी पूंजी भारत सरकार तथा इसके द्वारा मनोनीत, युगांडा सरकार और युगांडा के निजी निवेशकर्ताओं द्वारा 45:45:10 के अनुपात में दी जायगी । निगम का महाप्रबन्धक भारत की ओर से मनोनीत किया जायेगा और वह चीनी के उत्पादन के प्रारम्भ से ले कर 6 वर्ष तक इस पद पर बना रहेगा । कारखानों तथा खेतों को दिन प्रति दिन के कार्य का उत्तरदायित्व उस पर होगा और उसे पर्याप्त अधिकार प्राप्त होंगे । कारखानों और खेतों में विभिन्न पदों को सम्हालने के लिये युगांडा के नागरिकों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध भी भारत की ओर से किया जायेगा। चीनी के इन कारखानों में सम्पूर्ण निवेश अनुमानतः 12 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये के बीच होगा।

मोटर गाड़ियों का निर्माण तथा मूल्य

*237. **श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में मोटर गाड़ियों के तीन निर्माताओं का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) सरकार मोटर गाड़ियों का अधिक संख्या में निर्माण करने के लिये उनके साधनों के एकीकरण की आवश्यकता के बारे में, वर्तमान किस्म की मोटर गाड़ियों के सुधार करने तथा उनके अधिक मूल्य को कम करने के बारे में उन्हें किस सीमा तक सहमत कराने में सफल हुई है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) देश में मोटर गाड़ियों के तीन निर्माताओं के किसी भी सम्मेलन के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कारों के उत्पादन खर्च में कमी करने और उनके उत्पादन में सुधार करने की दृष्टि से निर्माताओं को प्राप्त निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं का एकीकरण करना चाहिये, इस सुझाव पर निर्माताओं का उत्साहवर्द्धक उत्तर नहीं मिला है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*238. **श्री नम्बियार :**
श्री अ० क० गोपालन :
डा० सारादीश राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे कर्मचारियों के लिए एक पृथक मंजरी बोर्ड बनाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक बनाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) रेल कर्मचारियों के वेतन-मान उन वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं जिन्होंने समग्र रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के ढांचे और सेवा की शर्तों की जांच की थी । सरकार रेल कर्मचारियों के लिए अलग मजूरी बोर्ड स्थापित करना आवश्यक नहीं समझती ।

ब्रिटेन को निर्यात

*239. **श्री सोलंकी :**
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओझा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री कजरोलकर :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री हेडा :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री महानन्द :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने हाल में भविष्य में होने वाले सभी आयात पर आयात-शुल्क लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका हमारे निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो किस रूप में ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 27 अक्टूबर, 1964 से ब्रिटिश सरकार ने खाद्यान्न के सामान, बिना तैयार तम्बाकू तथा मूल कच्चे माल को छोड़ कर अन्य सभी आयातों पर 15 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा दिया है ।

(ख) इस समय यह बता पाना समय से पूर्व होगा कि इससे हमारे निर्यात बाजार पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहा जाता है कि यह शुल्क अस्थायी प्रकार का है। फिर भी, कपड़े के धागे, नारियल जटा की वस्तुओं, ऊनी कालीन तथा कम्बल आदि, जूट के सामान तथा इंजीनियरिंग के सामान पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा।

यदि यह सरचार्ज जारी रहा, तो भारत को एक वर्ष में 10 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की हानि होगी। भारत ने सख्ती से यह अभ्यावेदन किया है कि अपने देश की विदेशी मुद्रा की अधिक आवश्यकता को देखते हुए विदेशी मुद्रा की इतनी हानि असह्य होगी।

तांबे के संभरण में कमी

*240. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े, मध्यम तथा छोटे पैमाने के सभी उद्योगों में तांबे की बढ़ती हुई कमी महसूस की जा रही है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इस महत्वपूर्ण अलौह धातु की कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) उत्पादन के देशी साधनों का किस सीमा तक उपयोग किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) उद्योग की आवश्यकताओं में वृद्धि, विदेशी मुद्रा की सीमित मात्रा में उपलब्धता और आयात किये हुए तांबे के मूल्य में वृद्धि के कारण प्रदाय मांग से कम होता है।

(ख) और (ग). देश के तांबे-भण्डारों का पता लगाने और उन का विकास करने के कार्य-क्रमों को हाथ में लिया गया है। यह आशा की जाती है कि चौथी योजना के दौरान में भण्डारों के विकास और उत्पादन में वृद्धि सम्भव होगी।

आयात किये गये संकेन्द्रणों[1] पर आधारित तांबा प्रद्रावण शाला स्थापित करने की सम्भावनाओंका समन्वेषण भी प्रस्तावित है।

आयात की गई कारों की बिक्री

*241. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई कारों की बिक्री के लिये मांगे गये नीलामी टेंडर 28 अक्तूबर, 1964 को खोले गये थे;

[1]Concentrates.

(ख) यदि हां, तो कितनी कारें बिक्री के लिये रखी गई थीं, उन में से कितनी बिकीं तथा किस मूल्य पर बिकीं और उनकी बिक्री से प्राप्त मूल्यों तथा भारत में सड़क पर चलती हुई उन कारों के लागत मूल्यों में कितना अन्तर है; और

(ग) कारों की बिक्री से प्राप्त अधिक से अधिक और कम से कम मूल्य कितना था तथा वह किस किस्म की कारें थीं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 11 कारों के लिए मोहरबन्द टेंडर मांगे गये थे। 18 नवम्बर, 1964 तक 42 कारें दी गई। बाकी कारें धीरे धीरे दी जा रही हैं। टेंडरों में मिले मूल्यों की तुलना नई कारों के साथ करना कठिन है क्योंकि नई विदेशी कारों के आयात पर, विशेषाधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर, पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ग) उच्चतम मूल्य, 1962 मॉडल की शेवरलेट ब्लेयर के लिये 80,470.50 रु० था तथा न्यूनतम मूल्य, 1960 मॉडल की वार्सजावा के लिये 2,800 रु० था।

रेलवे माल (यातात) में कमी

***242. श्री यु० सिं० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में रेलवे माल यातायात बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कमी के कारणों की जांच करने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे सड़क यायायात से प्रतिद्वंद्विता की जा सके ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं। चालू योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में यातायात में उत्तरोत्तर लगभग 366 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के केवल पहले छः महीनों में पिछले वर्ष के इन्हीं छः महीनों के मुकाबले माल यातायात में कुछ थोड़ी गिरावट आयी है।

(ख) जी हां।

(ग) हाल के वर्षों में दूसरे देशों की तरह इस देश में भी कुछ तरह के माल, खासतौर पर ऊंची दर वाले माल, रेल से न भेज कर सड़क से भेजे जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से सड़क परिवहन के कुछ स्वाभाविक लाभ और रेल भाड़े के ढांचे के कारण है।

राष्ट्रीय परिवहन की एक उपयुक्त दीर्घकालीन नीति निश्चित करने और रेल तथा सड़क परिवहन में समन्वय लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपनाने के प्रश्न पर परिवहन नीति और समन्वय नाम की एक उच्चस्तरीय समिति विशेषज्ञ की दृष्टि से विचार कर रही है। इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है जब तक समिति की सिफारिशें नहीं मिल जातीं और उन पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर लेती तब तक रेल प्रशासन खास तौर पर रेलवे की परिवहन व्यवस्था को सुधारने पर जोर दे रहे हैं। इस दिशा में रेल प्रशासन ने जो कदम उठाये हैं उनमें "शीघ्र परिवहन सेवा" चालू करना, एक्स्प्रेस मालगाड़ियों का चलाना, परीक्षण के रूप में 'कन्टेनर सर्विस" शुरू करना, जहां कहीं आवश्यक हो भाड़ा-दरों में समंजन

करना, आउट एजेंसियों के जरिये रेल और सड़क की मिली-जुली परिवहन व्यवस्था का प्रबन्ध करना, नगर बुकिंग एजेंसियां खोलना और घर से माल ले जाना और उसे घर तक पहुंचाने आदि की व्यवस्था करना शामिल है।

रेल भाड़े में छूट

*243. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे निर्यात के कुछ माल पर रेल भाड़े में छूट देती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह छूट सभी निर्यात योग्य वस्तुओं के लिये है; और

(ग) जब से भाड़ा रियायतें दी गई हैं तब से अब तक इन रियायतों की धन की दृष्टि से कितनी रकम हो गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। रेल भाड़े में छूट निर्यात की जाने वाली केवल कुछ निश्चित वस्तुओं पर दी जाती है।

(ग) इस रियायत में दी गयी छूट की कीमत के आंकड़े केवल 1960–61 से उपलब्ध हैं और इस प्रकार हैं :—

वर्ष	रियायत में दी गयी छूट की कीमत
1960–61	56,93,100 रुपये
1961–62	66,97,500 रुपये
1962–63	1,37,18,000 रुपये
1963–64	90,69,900 रुपये

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

*244. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरीबुरु खानों से 1964 से 20 लाख टन लौह अयस्क का संभरण करने के लिये जापान से एक करार हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय होगा तथा करार को किस सीमा तक लागू कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जापान को संभरण किये जाने वाले लौह-अयस्क की कीमतों तथा अन्य शर्तों के बारे में करार के अनुसार बातचीत चल रही है । संभरण का कार्य इस वर्ष अप्रैल में ही आरम्भ होना था, परन्तु अब इसके सितम्बर, 1965 तक प्रारम्भ होने की आशा है । माल सुपुर्दगी के कार्यक्रम में देर होने का कारण यह है कि बन्दरगाह पर यांत्रिक लदान की सुविधाएं समय पर पूर्ण रूप में लागू न हो सकीं, क्योंकि बन्दरगाह क्षेत्र की भूमि नर्म थी । इस अन्तरिम काल में 3,50,000 टन किरीबुरु लौह अयस्क का संभरण करने के लिये जापान की इस्पात मिलों से एक संविदा किया गया तथा इसे भेजने के सम्बन्ध में प्रगति हो रही है ।

कारों का निर्माण

*245. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मा० ला० जाधव :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री दीनन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री 18 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कारों के मूल्य कम करने तथा उनको अधिक संख्या में बनाने के लिये इस बीच क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने के लिये छोटी कार परियोजना को पुनः आरम्भ करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जैसा कि 18-9-64 को तारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर में बताया जा चुका है, कारों के उत्पादन खर्च में काफी कमी करने की प्रमुख सम्भावना इसी में है कि उनका उत्पादन अधिकतम किया जाये । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कारों के तीन निर्माताओं के सामने निम्नलिखित वैकल्पिक प्रस्ताव रखे :—

(1) कार निर्माण की वर्तमान सुविधाएं एक सामान्य एकक में एकत्र कर दी जायें और वह एकक एक या अधिक से अधिक दो किस्मों की कारें बनाये जिससे विद्यमान सुविधाओं का अधिक अच्छा इस्तेमाल किया जा सके तथा अत्यन्त मितव्ययितापूर्ण ढंग से विस्तार किया जा सके ।

(2) अधिक विस्तार करने के लिये विद्यमान कार निर्माताओं में से किसी एक निर्माता का चुनाव किया जा सकता है । इसका चुनाव प्रमुख रूप से उसकी आवश्यकता, विदेशी मुद्रा प्रबन्ध तथा मूल्य कम करने के बारे में आश्वासन देने पर प्रतिद्वंदिता के आधार पर किया जाना चाहिये ।

ऊपर बताये गये वैकल्पिक उपायों के बारे में निर्माताओं का उत्तर उत्साहवर्द्धक नहीं मिला है। दो निर्माताओं ने तो यह कहा है कि यदि उनकी उत्पादन क्षमता 50,000 कार प्रति वर्ष तक बढ़ा दी जाती है तो भी मूल्य वर्तमान स्तर से लगभग 750 रुपये से अधिक कम न होगा।

(क) कारों का मूल्य अधिक होने के कारण स्थानीय रूप से खरीदे गये सहायक पुर्जों का मूल्य अधिक होना है। इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है जिससे जहां कहीं पर आवश्यक हो वहां इसमें सुधार करने वाली कारवाई की जा सके।

(ख) कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिये नये वैकल्पिक उपाय खोजे जा रहे हैं। इन उपायों में छोटी कारें बनाने की प्रायोजना को पुनः आरम्भ करना भी शामिल है। जिन प्रायोजनाओं के चलाये जाने की सम्भावना है उनके बारे में कुछ भारतीय तथा कुछ विदेशी पार्टियों से बातचीत की जा रही है। चूंकि अभी यह बातचीत शुरू ही हुई है इसलिये उसका ब्योरा बता सकना कठिन है।

चाय उद्योग

*246. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 11 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 413 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार द्वारा नियुक्त की गई चाय वित्त समिति ने यह सिफारिश की है कि चाय उद्योग को दो प्रकार की सहायता की आवश्यकता है--प्रथम तो उसे करों से कुछ राहत दी जाय तथा दूसरे बाह्य साधनों से उसके लिये विकास निधियां बनाई जायें ;

(ख) इन दो प्रकार के सहायता कार्यक्रमों को कहां तक लागू किया गया है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये इस उद्योग को अनुमानतः कितनी पूंजी की आवश्यकता है तथा इस को पूरा करने के लिये धन की व्यवस्था किस प्रकार करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) सरकार द्वारा नियुक्त की गई चाय वित्त समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और उसे शीघ्र ही सरकार के सम्मख प्रस्तुत करने की आशा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Coal Washeries

*247. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :
Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have set up three new Coal washeries;

(b) if so, thier capacity;

(c) whether they have started functioning; and

(d) whether Government propose to set up some more washeries in the public sector during the remaining period of the Third Five Year Plan ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b). Government have set up three coal washeries in the third plan period, as under :—

Washery	Coal input Capacity especially in milion tonnes
Dugda I	2.40
Bhojudih	2·00
Patherdih	2.00

(c) Yes, Sir.

(d) Yes, Sir.

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को ऋण

*248. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री ह० च० सोय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 25 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 399 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिए गए ऋण की वसूली के बारे में उनके द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). जी हां। यह निर्णय किया गया है कि मामला प्रशुल्क-आयोग को परामर्श के लिए भेज दिया जाए।

भारतीय लौह अयस्क के बदले में जापानी इस्पात वस्तुओं का विनिमय

*249. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लौह अयस्क के बदले में जापानी इस्पात वस्तुओं के विनिमय के बारे में जापानी इस्पात उद्योग ने कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) प्रस्तावित वस्तु विनिमय के द्वारा उड़ीसा की नई किरीबुरू लौह खानों से भेजे जाने वाले लौह अयस्क के लिए 1963 में हुए समझौते का क्षेत्र कितना बढ़ जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) जापानी इस्पात मिलों को किरीबुरू खानों से लौह अयस्क का सम्भरण करने से उल्लिखित ज्ञापन पत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

लौह अयस्क का उत्पादन

*250. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी--जून, 1964 की अवधि में 1963 की इसी अवधि की तुलना में देश में लौह अयस्क के उत्पादन में कोई कमी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की लौह अयस्क खानों में इसी अवधि में क्रमशः कितने प्रतिशत कमी आई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी हां । जनवरी—जून, 1964 की अवधि में लौह अयस्क के उत्पादन में 1963 के वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 373,516 मीट्रिक टन की कमी हुई है।

(ख) उत्पादन में कमी कई कारणों से थी, जैसे कि :

(1) इस्पात-संयंत्रों द्वारा कम मात्रा में अपक्रम के कारण संचयों का इकट्ठा हो जाना ;

(2) मशीनों के विभन्जन के कारण उत्पादन का बन्द हो जाना ;

(3) कुछ छोटे खान मालिकों द्वारा उत्पादन कम कर देना ;

(4) कुछ खनिकर्म क्षेत्रों में पिण्ड-अयस्क की अपेक्षा "सूक्ष्मक" की मात्रा में वृद्धि का होना और परिणामस्वरूप दलन-संयंत्रों में उच्च प्रतिशतता में अपव्यय का होना है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र की खानों से उत्पादन में कमी लगभग 7.7 प्रतिशत और गैर सरकारी क्षेत्र की खानों से लगभग 2 प्रतिशत थी ।

भारत-लंका चाय आयोग

*251. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में ही जब लंका के आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार तथा संभरण मंत्री ने नई दिल्ली का दौरा किया था उस समय क्या उनके साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय किया गया था कि एक संयुक्त भारत-लंका चाय आयोग बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य होंगे तथा इस आयोग के क्या कृत्य होंगे; और

(ग) इस निर्णय के अनुसरण में इस बीच क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). अस्थायी रूप से यह मान लिया गया है कि भारत तथा श्री लंका सरकारों के अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग स्थापित किया जाये जो कि दोनों देशों की चाय की बिक्री का विकास करने और संसार के विभिन्न प्रदेशों में बिक्री संवर्धन अभियान चलाने के लिये उचित कदम उठाये। श्री लंका सरकार की औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सीतामढ़ी से सोनबरसा तक रेलवे लाइन

553. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी प्रक्रम पर पूर्वोत्तर रेलवे पर सीतामढ़ी से सोनबरसा तक एक रेलवे लाइन स्थापित करने के प्रश्न का परीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी, हां ।

(ख) 19.32 मील लम्बी मीटर लाइन का प्रारम्भिक इंजिनियरी और यातायात सवक्षण 1948 में किया गया और यह लाइन अलाभप्रद पाई गई । 1955 में परिव्यय के अनुमान का पुनरीक्षण किया गया और वह 66.99 लाख रुपए निकला । इस लाइन का वर्तमान परिव्यय इससे भी अधिक होगा तथा यह लाइन और भी अलाभप्रद रहेगी । इस लाइन के अलाभप्रद होने के कारण, रेलवे के किसी भी पंचवर्षीय योजना में इसके निर्माण का कार्य सम्मिलित नहीं किया गया । जोगबनी होकर सीतामढ़ी से सोनबरसा तक सब ऋतुओं में चलने वाली एक सड़क पहले से ही मौजूद है ।

बेलाडिला में लौह अयस्क का खनन

554. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बेलाडिला क्षेत्र से कितने मीट्रिक टन लौह अयस्क अगले पांच वर्षों में खान से निकाला जायेगा ;

(ख) कितने मीट्रिक टन लौह अयस्क इस क्षेत्र से पहले ही निकाला जा चुका है ; और

(ग) बेलाडिला क्षेत्र से खान से निकाले गए लौह अयस्क का कुल मूल्य कितना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मध्य प्रदेश में बेलाडिला पर्वत श्रेणी में लौह अयस्क के 14 पृथक् भंडार हैं। आजकल, जापान को निर्यात करने के हेतु 40 लाख टन साइज अयस्क* (40.64 लाख मीट्रिक टन) के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भंडार संख्या 14 का विकास कर रहा है। इसके लिए 55 लाख टन (55.88 लाख मीट्रिक टन) के लगभग खनिज अयस्क को खान से निकालने की आवश्यकता होगी। 1966 के अन्त तक इस खान पर कार्य आरम्भ हो जाएगा।

20 लाख से 40 लाख टन लौह अयस्क के उत्पादन के लिए बेलाडिला क्षेत्र में दूसरे भंडार पर आधारित एक खान का विकास करने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग). क्योंकि भंडार संख्या 14 पर अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी अयस्क खान से नहीं निकाला गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक (संस्थाय

555. **श्री द० ब० राजू** : क्या उद्योग तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल आन्ध्र प्रदेश में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ; और

(ख) वे किस प्रकार का कार्य करती हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 31 मार्च, 1964 को आन्ध्र प्रदेश में 3837 सहकारी समितियां थीं।

(ख) ये समितियां निम्नलिखित उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को करने में लगी हुई हैं :—

(1) हाथ करघा
(2) खादी तथा ग्रामोद्योग
(3) नारियल जटा
(4) लघु उद्योग
(5) ताड़ गुड़
(6) नीरा
(7) हस्तशिल्प

*†Sized Ore.

दक्षिण रेलवे पर टी० टी० ई०

556. **श्री द० ब० राजू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में दक्षिण रेलवे द्वारा कितने अतिरिक्त ट्रेवलिंग टिकट एक्जामिनर नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) इसी अवधि में उन ट्रेवलिंग टिकट एक्जामिनरों ने बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों से दंड के रूप में कितना धन वास्तव में एकत्रित किया ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 28.

(ख) कोई नहीं; ये ट्रेवलिंग टिकट एक्जामिनर टिकट जांचने के लिए नहीं लगाए गए हैं, वरन् लम्बी दूरी की यात्रा के डिब्बों तथा शयन यानों* में जिनमें बिना टिकट यात्रा करने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है, यात्रियों की सुविधा हेतु रखे गये हैं ।

किरीबुरू लौह अयस्क परियोजना

557. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला के दक्षिण पूर्व में स्थित किरीबुरू स्थान पर हाल ही में लौह अयस्क परियोजना का उद्घाटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की भावी संभावनायें क्या हैं;

(ग) क्या इस परियोजना में विदेशी पूंजी का भी सहयोग है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए समझौते की क्या शर्तें हैं तथा उसमें भारत का क्या अंशदान है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां । इस परियोजना का उद्घाटन भारत के उप-राष्ट्रपति ने 12-11-64 को किया था ।

(ख) जापान को निर्यात करने के हेतु 20 लाख टन साइज अयस्क * के वार्षिक उत्पादन के लिए इस किरीबुरू लौह अयस्क परियोजना का विकास किया गया है । 1965 के मध्य तक इस गति से इसका निर्यात आरम्भ हो जाने की आशा की जाती है । फिलहाल तो विशाखापटनम् बन्दरगाह पर जो सुविधाएं हैं उन्हीं को प्राप्त करते हुए वहां से 3,50,000 टन किरीबुरू अयस्क निर्यात करने का प्रबन्ध किया गया है ; अब तक इस मात्रा में से 40,000 टन अयस्क जहाज द्वारा भेजा है । किरीबुरु अयस्क का बोकारो इस्पात कारखाने के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव भी है ।

*Sleeper Coaches.
*Sized Ore.

(ग) इस परियोजना में कोई विदेशी पूंजी नहीं लगनी है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर बस और रेलगाड़ी की टक्कर

558. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 अक्तूबर, 1964 की रात को पर्वोत्तर रेलवे की छपरा भटनी मुख्य लाइन पर पचरूखी तथा सीवान रेलवे स्टेशनों के बीच बस और रेलगाड़ी की टक्कर हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे ; और

(ग) क्या आहत यात्रियों को कोई नगद प्रतिकर दिया गया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) हां ।

(ख) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों को गहरी चोट लगी, जिनमें से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । इसके अतिरिक्त 8 व्यक्तियों को हल्की चोटें लगीं ।

(ग) एक व्यक्ति की विधवा को 400 रुपये तथा एक व्यक्ति को जिसको हल्की चोटें लगी थीं 40 रुपए अनुग्रहात् दिए गये हैं । दूसरे व्यक्तियों द्वारा रकम स्वीकार नहीं की गई ।

हाल ही में एक मृत व्यक्ति की विधवा से एक दावा आया है ।

जापानी व्यापारी दल

559. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी व्यापारियों का एक दल भारत आया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल के क्या मुख्य उद्देश्य हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) जी हां । 12 नवम्बर, 1964 को हुए किरीबुरु लौह अयस्क खनन परियोजना के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए एक जापानी इस्पात शिष्टमंडल भारत आया । यह शिष्टमंडल दिल्ली भी आया और उसने भारत सरकार से किरीबुरु परियोजना के अधीन जापान को 20 लाख टन लौह अयस्क के निर्यात से संबंधित विभिन्न मामलों पर आरम्भिक चर्चा की ।

मंडी का सेंधा नमक

560. **श्री हेम राज** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में अब तक विभिन्न राज्यों को आवण्टित मंडी के सेंधा नमक की मात्रा (राज्य-वार) क्या है ; और

(ख) इस अवधि में वास्तव में कितना सेंधा नमक भेजा गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालम में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र): (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना नीचे विवरण में दी गई है :—

राज्य का नाम	1962		1963		1964 (जनवरी से अक्तूबर)	
	नियत किया गया	प्रदान किया गया	नियत किया गया	प्रदान किया गया	नियत किया गया	प्रदान किया गया
	(मीटर टनों में)		(मीटर टनों में)		(मीटर टनों में)	
1. हिमाचल प्रदेश	2,294	1,841	2,240	1,700	1,800	1,235
2. पंजाब	1,120	945	1,795	1,363	1,500	672
3. जम्मू-काश्मीर .	746	725	747	665	600	385
4. उत्तर प्रदेश	37	37	37	37	40	9
5. विविध	149	125	149	109	150	114

लखनऊ में एनक के शीशों का कारखाना

561. श्री राम हरख यादव : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में लखनऊ में ऐनक के शीशों का एक कारखाना स्थापित करने की परियोजना का सरकार ने अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना किसी ब्रिटिश फर्म की सहकारिता में आरम्भ होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके समझौते का क्या ब्योरा है तथा इस परियोजना में केन्द्रीय सरकार कितना अंशदान कर रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां । सशर्त अनुमोदन का पत्र जारी कर दिया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सहकारिता समझौते की प्रति की प्रतीक्षा है । इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ भी अंशदान नहीं कर रही है ।

रेलवे के लिए विदेशों से इस्पात की वस्तुएं

562. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में इस्पात की वस्तुएं विदेशी अभिकरणों से क्रय करने का सरकार का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो लगभग कितनी मात्रा में तथा उसका मूल्य क्या होगा ; और

(ग) विदेशी स्रोतों से उसके क्रय करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) तथा (ख) 1964-65 के दूसरे अर्धक के दौरान विदेशों से लगभग 70,000 मीट्रिक टन इस्पात (लगभग 4.3 करोड़ रुपए मूल्य का) क्रय करने का प्रस्ताव है। यह भारतीय रेलवे की इस अवधि की कुल आवश्यकता का थोड़ा सा भाग है ।

(ग) इसका कारण यह है कि कुछ वस्तुएं स्वदेश में ही उपलब्ध नहीं हैं और दूसरी वस्तुओं के लिए स्वदेशी क्षमता पर्याप्त नहीं है ।

रेलवे डाक्टर

563. **डा० शि० कु० साहा :**
श्री सुधांशु दास :
श्री गो० कु० सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **रेलवे** में तथा केन्द्रीय सरकार में डाक्टरों की नियुक्तियों के समय उनके वेतन-क्रम, पदोन्नत्ति एवं राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित के रूप में अधिकारी पदनाम के सम्बन्ध में विषमताएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की विषमताएं हैं तथा सरकार इनको दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तथा (ख) असैनिक पदों पर और रेलवे दोनों में डाक्टरों को आरम्भ में असिस्टेंट सर्जनों के रूप में भर्ती किया जाता है। रेलवे पर इन डाक्टरों को तृतीय श्रेणी में भरती किया जाता है तथा इनको 335—20—475—25—575—द० रो०—25—650 रुपये का वेतनमान दिया जाता हैं जिसमें उनके वेतन का 20 प्रतिशत प्रैक्टिस न करने के प्रतिबन्धित भत्ते के रूप में सम्मिलित है और यह भत्ता 125 रुपये न्यूनतम होता है। जबकि असैनिक पदों पर डाक्टर द्वितीय श्रेणी में भरती किये जाते हैं और उनको 325—25—500—30—590—द० रो०—30—800 रुपये का वेतन मान दिया जाता है जिसमें उनके वेतन का 25 प्रतिशत प्रैक्टिस न करने के भत्ते के रूप में सम्मिलित है और यह भत्ता न्यूनतम 150 रुपये तथा अधिकतम 400 रुपये होता है। असैनिक पदों पर नियुक्त किये गये इन असिस्टेंट सर्जनों को प्रथम श्रेणी के पदों के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत स्थानों के लिए आगे उन्नति दी जाती है। प्रथम श्रेणी के पदों के शेष $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत स्थान सीधी भरती द्वारा भरे जाते हैं। रेलवे में, इन असिस्टेंट सर्जनों को उनकी 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अवैतनिक राजपत्रित मान दिया जाता है और वे द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट मैडिकल पदाधिकारियों के रूप में अगली उन्नति पाने के योग्य हो जाते हैं । ये असिस्टेंट मैडिकल पदाधिकारी प्रथम श्रेणी के जिला मैडिकल पदाधिकारी पदों के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत स्थानों के लिए उन्नति पा सकते हैं और इन जिला मैडिकल पदाधिकारियों के पदों के $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत स्थानों को सीधी भरती द्वारा भरा जाता है ।

असैनिक तथा रेलवे मैडिकल विभागों में चल रही विषमताओं का कारण रेलवे में बिल्कुल भिन्न परिस्थितियां हैं। उदाहरणार्थ रेलवे में डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है जबकि असैनिक क्षेत्र में ऐसा किया गया है। क्योंकि रेलवे सबसे बड़ा नियोजक है इसलिए रेलवे की सेवा में डाक्टरों की असाधारण संख्या है और इसी से वहां पर समस्त डाक्टरों को राजपत्रित कोटि में रखना संभव नहीं होगा। जगन्नाथ दास वेतन आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था और उसने रेलवे में चल रही डाक्टरों की स्थिति को स्वीकार किया है और कहा है कि केन्द्रीय सरकार में रेलवे ही मैडिकल कर्मचारियों का सबसे बड़ा नियोजक है। इसलिए असैनिक क्षेत्र में भरती, उन्नति इत्यादि सम्बन्धी नीति रेलवे में भी अपनाना व्यवहार्य नहीं है।

कोयले के स्थान में तेल का प्रयोग

564. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक अध्ययन दल ने अपना यह विचार व्यक्त किया है कि भारत के अनेक स्थानों में कोयले की अपेक्षा तेल बहुत कम खर्च वाला रहेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) पूंजी से होने वाले लाभ तथा आयातित उत्पादों के सम्बन्ध में अर्थ-व्यवस्था से होने वाले व्यय के बारे में कुछ धारणायें बनाने के पश्चात् विश्व बैंक अध्ययन दल ने यह अनुमान लगाया है कि कोयले के स्थान पर, जो दक्षिण तथा पश्चिम भारत में दूर के स्थानों को भेजा जाता है, जलाने के तेल के प्रयोग से अर्थ-व्यवस्था से होने वाले वास्तविक व्यय में काफी बचत होगी।

(ख) अध्ययन दल के प्रतिवेदन और सिफारिशों पर इस समय सरकार विचार कर रही है।

ताज एक्सप्रेस गाड़ी

565. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई ताज एक्सप्रेस रेल गाड़ी देहली और आगरा के बीच नियमित रूप से चलती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुखप्रद गाड़ी चलाने का प्रयोग हर प्रकार से सफल रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ताज एक्सप्रेस 1 अक्तूबर, 1964 से चलाई गई है। इन गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ से यह ज्ञात होता है कि ये बहुत लोकप्रिय हो गई हैं।

सम्पूर्ण गाड़ी कारखाने में गाड़ियों का निर्माण

566. क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरम्बूर, मद्रास में इंटेग्रेल कोच फैक्टरी में नियमित रूप से निर्माण के आधार पर 25 के० डब्ल्यू० ए० सी० मोटर गाड़ियां निर्माण करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है और इस के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3482/64]**

इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय में फालतू कर्मचारी

567. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित लौह तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के फालतू कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों के बराबर वैकल्पिक रोज़गार दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी फालतू घोषित किये गये हैं ;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको वैकल्पिक रोज़गार दिया गया है; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको अभी वैकल्पिक रोज़गार दिया जाना शेष है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ). कलकत्ता स्थित लौह और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में आगामी वर्ष के मध्य तक विभिन्न वर्गों के 200 कर्मचारियों के फालतू होने का अनुमान है। इस कार्यालय के कर्मचारियों की आवश्यकताओं का क्रमबद्ध अध्ययन आरम्भ किया जा चुका है। कितने कर्मचारी फालतू होंगे इसका पता इस अध्ययन के परिणाम प्राप्त होने पर ही लगेगा।

अब तक वास्तव में 65 व्यक्तियों की छंटनी की गई है और इन सब को वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध किया गया है।

कच्चे लोहे के अभ्यंश

568. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में केन्द्र द्वारा अपर्याप्त सम्भरण किये जाने के कारण, छोटे एककों को, कच्चे लोहे का अभ्यंश नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कच्चे लोहे की वार्षिक मांग कितनी है ; और

(ग) 1964 में यह मांग कहां तक पूरी की गई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बहुत से छोटे एककों को उनकी पूर्ण आवश्यकतानुसार ढलाई घरों में प्रयोग में आने वाला कच्चा लोहा नहीं मिल रहा है क्योंकि पूर्ण आवश्यकतायें/मांगें वर्तमान उपलब्धि से अधिक हैं। इसलिये सभी ढलाई घरों की चाहे वे छोटे हों या बड़े, आवश्यकताओं के कुछ भाग को ही पूरा किया जाना सम्भव है। ढलाई घरों में रद्दी ढलवां लोहा भी प्रयोग में लाया जाता है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(ख) तथा (ग). वर्ष 1964-65 के लिये उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से, उनसे सम्बन्धित ढलाई घरों सम्बन्धी प्राप्त मांगें इस प्रकार हैं :—

उत्तर प्रदेश .	305,000 मीट्रिक टन
पश्चिम बंगाल	196,000 मीट्रिक टन

एक समान आधार के न होने के कारण, जिस पर कि इन ढलाई घरों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को निर्धारित किया जा सके, राज्यों को उपलब्ध सम्भरण का आवंटन पिछले वर्षों में भेजे गये ढलाई घरों में प्रयोग में आने वाले कच्चे लोहे के अनुपात के आधार पर नियत किया जाता है, न कि प्राप्त मांगों के आधार पर। वर्ष 1964-65 के दौरान उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को किये गये सम्भरण की अधिकतम सीमा इस प्रकार है :

उत्तर प्रदेश	33,850 मीट्रिक टन
पश्चिम बंगाल	56,790 मीट्रिक टन

उत्तर प्रदेश को 5000 मीट्रिक टन मिश्रित श्रेणी से घटिया लोहे का तदर्थ आवंटन भी किया गया है।

Development of Steel Industry

569. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are considering some new plan for the development of the steel industry in the country;

(b) if so, the tonnage of steel ingots to be produced under the new plan; and

(c) the period for which the plan has been prepared ?

The Minister of Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy) : (a) to (c). Government are at present engaged in the formulation of the Fourth Five Year Plan for iron and steel.

The revised target for the production of steel by the end of the Fourth Five Year Plan is 14 to 14.5 million tonnes of ingots. However, a final decision on the target for production has yet to be taken.

Pulling of Alarm Chains on Railways

570. { **Shri Naval Prabhakar :**
{ **Shri Y. S. Chaudhary :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of alarm-chain pulling on the various Railways in the country;

(b) how these figures compare with those of 1962-63; and

(c) the measures taken or proposed to be taken by the Railway Administration to check the cases ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House. [*Placed in library. See* No. LT 3483/64].

वाणिज्य मंत्रालय में समितियां

571. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कुल कितनी समितियां और उप-समितियां कार्य कर रही हैं ; और

(ख) इन समितियों के कुल कितने सदस्य हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) लगभग 18 समितियां (यह संख्या पूरी नहीं हैं परन्तु इसमें अधिकांश समितियां शामिल हैं) ।

(ख) लगभग 292 ।

इस्पात और खान मंत्रालय में समितियां

572. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कुल कितनी समितियां तथा उप-समितियां कार्य कर रही हैं ; और

(ख) इन समितियों के कुल कितने सदस्य हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 30।

(ख) 560।

इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय में कर्मचारी

573. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित लौह और इस्पात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के फालतू कर्मचारियों को, जिन्हें कलकत्ता के आय-कर विभाग में लगा दिया गया है, वरिष्ठता और वेतन-संरक्षण नहीं दिया गया है और न ही उनकी सेवाओं की निरन्तरता को स्वीकार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस अन्याय को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) कलकत्ता स्थित लौह तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के फालतू कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल के आय-कर आयुक्त के कार्यालय में इस प्रकार नौकरी दिलाई गई है कि उनकी सेवा की निरन्तरता बनी रहे। उनके पूर्व वेतन को संरक्षण दिये जाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। छंटनी किये गये कर्मचारियों द्वारा पहले कार्यालय में की गई सेवा साधारणतया नये कार्यालय में वरिष्ठता के लिये नहीं मानी जाती।

ताम्बे का मूल्य

574. **श्री हेडा** : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में ताम्बे के मूल्य बढ़े हैं ;

(ख) उद्योगों को, विशेषकर ऐसे लघु उद्योगों को, जो ताम्बे का प्रयोग करते हैं, ताम्बे का सम्भरण करते रहने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या निर्यात करने वाले उद्योगों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ताम्बे के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिनाई होते हुये भी ताम्बे के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है। ताम्बे के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि होने के कारण ताम्बे की ऐसी मात्रा पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा जो कि ताम्बा प्रयोग करने वाले उद्योगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। फिर भी यह ध्यान रखा गया है कि छोटे और बड़े पैमाने के उपभोक्ताओं को उपलब्ध ताम्बे का वितरण भली प्रकार हो । लघु उद्योगों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि होने के कारण ताम्बे के आयात में जो कमी हो गई है उसे पूरा करने के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

अलौह धातु नियंत्रण आदेश, 1958 (संशोधित रूप में) के अन्तर्गत ताम्बे के मूल्य और वितरण पर नियन्त्रण रखा जाता है। यह आदेश अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया है।

(ग) जी हां। ऐसे उद्योगों को निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत ताम्बा आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जाता है।

भागलपुर–मान्डर हिल रेलवे लाइन पर हाल्ट स्टेशन

575. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे की मान्डर हिल रेलवे लाइन पर सांझा में हाल्ट स्टेशन बनाने का निर्णय कब किया गया था ; और

(ख) वहां टिकट बेचने के लिये क्या किसी ठेकेदार को नियुक्त किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) मई, 1963 में।

(ख) हाल्ट स्टेशन बनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं परन्तु बिहार सरकार से इस हाल्ट स्टेशन के नाम के बारे में निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। हाल्ट स्टेशन के नाम के बारे में निर्णय हो जाने के पश्चात् उपयुक्त ठेकेदार की नियुक्ति की जायेगी।

एकस्व विधेयक†

576. **श्री यशपाल सिंह :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकस्व विधेयक का प्रारूप अन्तिम रूप से तैयार हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक के कब तक पुरःस्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख) एकस्व विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। लोक-सभा के वर्तमान सत्र में इसके पुरःस्थापित किये जाने की सम्भावना है।

Introduction of Metric System in Africa

377. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :
Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an officer of the Government of India was sent to the South East Arican counfies to advise them on the adoption of metric system there; and

†Patents Bill.

(b) the amount of expenditure incurred by the Government of India in this behalf ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) About Rs. 17,000/- for a period of 6 months.

रेलवे के इंटरमीडिएट कालिज

578. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री 3 दिसम्बर, 1963 के अतारांकित **प्रश्न** संख्या 1035 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के इंटरम डिएट कालिजों की नवीं और दसवीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले स्नातकोत्तर अध्यापकों को 200—400 का वेतन-क्रम नहीं मिलता जो रेलवे के उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में नवीं और दसवीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले स्नातकोत्तर अध्यापकों को मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने ऊपर उल्लेख की गई समान योग्यता प्राप्त अध्यापकों में विद्यमान विषमता को दूर करने के लिये कोई आदेश जारी किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). रेलवे हाई स्कूल के अध्यापक का उच्चतम वेतनक्रम 120—300 रुपये (पी० एस०)/170—380 रुपये (ए० एस०) है और यह वेतनक्रम रेलवे इंटरम डिएट कालेजों के हाई स्कूल अनुभागों में नवीं और दसवीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को दिया गया है।

जो अध्यापक इन्टरमीडिएट कालेज में 11वीं कक्षा को पढ़ाते हैं—अर्थात् विद्यालय का प्रथम वर्ष, उनका वेतन-क्रम 250—530 रुपये होता है (जिसका प्रारम्भ 280 रुपये से होता है)। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों का अधिकतम वेतन-क्रम 200—400 रु० (पी० एस०)/250—470 (ए० एस०) होता है, और यह वेतन-क्रम उन अध्यापकों के लिये भी निर्धारित किया गया है जो रेलवे के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 11वीं कक्षा को पढ़ाते हैं।

कीन्या में जीपों का निर्माण

579. { **श्री वारियर** :
श्री दाजी :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीन्या में एक भारतीय सार्थ को चार पहिये वाली जीप का निर्माण करने का अनुज्ञा दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता

580. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलव कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी सेवा की अवधि को दृष्टि में रखते हुये निर्धारित की जाती है अथवा उनके ऊंचे वेतन-क्रम में पदोन्नति की तिथि को ध्यान में रख कर की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि क्लेम्स ट्रेसर्स (उत्तरी रेलवे) की वरिष्ठता की सूची को बार-बार पुनरीक्षित किया जाता है और वे व्यक्ति जो जनवरी, 1960 की सूची में सर्वाधिक कनिष्ठ थे, अपने वरिष्ठ कमचारियों को अधिक्रमण कर के सूची में आगे निकल गये हैं और मार्च, 1962 की वरिष्ठता-सूची के अनुसार सर्वाधिक वरिष्ठ हो गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्लेम्स ट्रेसर्स की वरिष्ठता की सूची में बार-बार परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सामान्य रूप से निकटतम नीचे के वेतन-क्रम में वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये, उच्चतर वेतन-क्रम में पदोन्नति की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित की जाती है।

(ख) आपत्तियों की जानकारी हेत, अस्थायी वरिष्ठता-सूचियों को पहिले परिचालित किया जाता है, तदुपरान्त अन्तिम सूचियां निकाली जाती हैं। जनवरी, 1960 तथा मार्च, 1962 में कोई वरिष्ठता की सूची नहीं निकाली गयी थी। ये सूचियां अन्य तिथियों में निकली थीं।

(ग) विभिन्न विभागों के क्लेम्स ट्रेसर्स को ध्यान में रखते हुये उनकी वरिष्ठता को निर्धारित करने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने में रेलवे प्रशासन को जो समय लगा उसके कारण ये परिवर्तन हुये थे।

कुछ प्रभावित कर्मचारियों ने न्यायालय में लेख याचिका दायर की है और मामला न्यायाधीन है।

निर्यातकों को यात्रा की सुविधायें

581. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापारियों तथा निर्यातकर्ताओं को निर्यात बाजारों की खोज में जो विदेश-यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं उनके निवारण के लिये कोई योजना को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उन्हें विदेशों में व्यापारिक मेले तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये क्या अवसर प्रदान किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) . सरकार के पास, विदेशों में निर्यात बाजार की खोज करने वाले निर्यातकर्ताओं के विदेश-भ्रमण करने में सहायता देने के लिये निम्नलिखित योजनायें हैं :—

(एक) भारत का रिजर्व बैंक, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर निर्यात गृह के प्रार्थना पत्र मिलने पर, एक निर्धारित विदेशी मुद्रा की धन-राशि को उन्हें देने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये तैयार है, जिससे कि प्रतिनिधि लोग, हर अवसर पर, बिना रिजर्व बैंक की स्वीकृति के, निर्यात सम्बन्धी कार्य के लिये विदेशों की यात्रा कर सकते हैं ।

(दो) उक्त सुविधा उन सभी व्यापार गृहों को दी गयी थी जिनका गत दो-तीन वर्षों से अधिक समय से औसत वार्षिक निर्यात 20 लाख रुपये से कम नहीं है ।

(तीन) उन व्यापारियों को जो कि उक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं, रिजर्व बैंक सामान्य प्रक्रिया के अनुसार विदेशी मुद्रा देने के लिये प्रार्थना पर विचार करता है । उपयुक्त मामलों की सिफारिश भारत के रिजर्व बैंक को की जाती है ।

(ग) उन विदेशी प्रदर्शनियों/मेलों में जिनका संगठन भारत सरकार करती है, अथवा उनमें भाग लेती है, भाग लेने वाले दलों को निम्न प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं :—

(एक) भारत सरकार प्रदर्शनी में रखी जाने वाली वस्तुओं का, भारत के किसी पत्तन से गन्तव्य स्थान तक ले जाने तथा भारत के पत्तन में वापिस आने तक का परिवहन व्यय वहन करती है ।

(दो) विदेशों में भारतीय मण्डप की व्यवस्था तथा प्रबन्ध कार्य का संगठन करने के लिये तथा प्रचार एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों में जो व्यय होता है उसे भारत सरकार वहन करती है ।

(तीन) मेलों तथा प्रदर्शनियों की अवधि के दौरान जो व्यापार सम्बन्धी पूछ-ताछ विदेशी क्रेता संघ से होती है उन्हें शीघ्र ही उन मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले भारतीयों के पास भेजा जाता है ताकि वे सार्थक व्यापार समझौते कर सकें ।

(चार) भाग लेने वाले सार्थ, जो कि अपने प्रतिनिधियों को किसी समझौता और सौदा तय करने के लिये उन मेलों/प्रदर्शनियों में अपने खर्चे पर भेजना चाहते हैं, उनकी पात्रार्थ, एक उचित समय की अवधि के लिये विदेशी मुद्रा देने की सिफारिश की जाती है ।

इसके अलावा उन व्यापारियों के लिये भी विदेशी मुद्रा की सिफारिश की जाती है जो कि उन प्रदर्शनियों, मेलों में भाग लेते हैं जिनमें कि भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है ।

वृत्त चलचित्रों का निर्यात

582. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वृत्त चलचित्रों के, विशेष कर वाणिज्य शाखाओं एवं टेलीविजनों में प्रयोग के लिये विदेशों में निर्यात करने की गुंजाइश के विषय में विचार किया है ; और

(ख) सरकार ने इस दिशा में मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन को क्या सुविधायें दी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां । वाणिज्यिक तथा वाणिज्यिकेतर लाभ के लिये वृत चल-चित्रों को विदेशों में निर्यात किया जाता है ।

(ख) सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के फिल्म डिवीजन ने 'इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड' के साथ एक करार किया है जिसके अनुसार फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित चल चित्रों को, जो कि विदेशों में प्रदर्शन के लिये उपयुक्त समझे जाते हैं, विदेशों में टेलीविजन तथा सिनेमागृहों में वाणिज्यिक लाभ की दृष्टि से दिखाये जाते हैं, और आय का आधार 50 : 50 होता है ।

(फिल्म डिवीजन द्वारा पांच चल-चित्र विदेशों में टेलीविजन तथा रंग-मंच सम्बन्धी प्रदर्शनों के लिये पहले ही उपलब्ध कर दिये गये हैं) ।

अमेरिका को निर्यात

583. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका में, जहां कि हमारे देश के रेयन रेशे, महीन जरीदार वस्त्र, मखमल, कलावृत चूड़ियां, ऐनकों के फ्रेम तथा टैराजो टाइल्स की बहुत बड़ी मांग है, इन वस्तुओं के निर्यात में शीघ्र वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) उक्त वस्तुओं के निर्यात से जनवरी से सितम्बर, 1964 तक क्या आय हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) रेयन, महीन जरीदार वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कलावृत चूड़ियां तथा ऐनकों के फ्रेमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये पहले से ही योजनायें लागू हैं । इन वस्तुओं का "न्यूयार्क वर्ल्ड ट्रेड फेअर" "न्यूयार्क विश्व व्यापार मेला" में प्रमुख रूप से प्रदर्शन भी किया गया था । हाल ही में एक अध्ययन दल चूड़ियों के निर्यात की गुंजाइश का पता लगाने के लिये अमरिका गया था ।

(ख) जनवरी से सितम्बर, 1964 तक की अवधि में इन वस्तुओं का तथा तदनुरूप वस्तुओं का अमेरिका को निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों का विवरण (सब से बाद के महीने तक जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं) सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-3484/64**] सब वस्तुओं के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये वस्तुयें भारतीय व्यापार वर्गीकरण में रखी गई वस्तुओं के साथ ठीक तौर पर समान नहीं हैं ।

नमक का उत्पादन

584. **श्री जना** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितना नमक का उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) वर्ष में समुद्री जल से कितने नमक का उत्पादन किया जाता है ; और

(ग) क्या समुद्री नमक तथा अन्य स्रोतों से उत्पादित नमक के गुण-प्रकार अथवा उत्पादन मूल्य में कोई अन्तर होता है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) लगभग 45 लाख टन ।

(ख) लगभग ३० लाख टन ।

(ग) आमतौर से नमक का गुण-प्रकार समान ही होता है, चाहे वह नमक समुद्र के खारे पानी से बनाया गया हो, अथवा भूमिगत जल से उत्पादित हो या तालाब के खारे पानी से उसका उत्पादन किया गया हो । फिर भी समुद्री तथा भूमिगत नमक में मेगनेशियम तथा कैलशियम साल्ट मिले हुए होते हैं । तालाब के नमक में केवल सोडियम सल्फेट होता है । रासायनिक दृष्टि से ये तीनों प्रकार के नमक विशुद्ध नहीं होते । इन नमकों में सोडियम क्लोराइड 95से98 प्रतिशत तक होता है । ये सब प्रकार के लवण मानव-उप ोग के लिये ठीक हैं । हिमाचल प्रदेश के मण्डी स्थान से जो चट्टानी-नमक का उत्पादन किया जाता है वह निम्न श्रेणी का होता है किन्तु इस स्रोत से सीमित उत्पादन होता है जो कि 4000 टन से अधिक नहीं है । समुद्री नमक का उत्पादन मूल्य अन्य स्रोतों के नमक की अपेक्षा आमतौर पर कम होता है । तथापि श्रमिकों की विद्यमान स्थिति के कारण कुछ मामलों में समुद्री लवण का उत्पादन-मूल्य अधिक भ: हो जाता है ।

मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी

585. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री उइके :
श्री चांडक :
श्री बाकलीवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वाडीवा :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की एक इकाई का मध्य प्रदेश में स्थापना के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रार्थना को स्वीकार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार से कई प्रार्थनापत्र आ चुके हैं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की एक इकाई की स्थापना उनके राज्य में की जाये । मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, की जिन ५ नई इकाइयों की स्थापना चतुर्थ योजना काल में करना चाहती है उन में से तीन विद्यमान इकाइयां, जो पिंजौर (पंजाब), कलामसेरी (केरल) तथा सन्तनगर (हैदराबाद) में हैं, उनके प्रसार के रूप में किया जायेगा । चौथी इकाई की स्थापना 1969-70 तक की जायेगी । अतः इसकी स्थापना के विषय में अभी विचार करना उपयुक्त नहीं है ।

पुलिस के कुत्ते

586. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के अपराधों का पता चलाने के लिए पुलिस के कुत्ते किस हद तक सहायक सिद्ध हुए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मेरे विचार से माननीय मंत्री का संकेत रेलवे रक्षा दल के कुत्तों की ओर है। ऐसे कुत्तों के दल का प्रयोग उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम रेलवे में किया जाता है। पूर्व तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कुत्तों को अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रेलवे रक्षा दल 'पुलिस' के कुत्तों का प्रयोग रक्षा तथा अपराध का पता चलाने के लिये किया जाता है। इन छः रेलवे खण्डों में 39 अवसरों पर इन कुत्तों का इस वर्ष में अब तक सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। 6 अवसरों पर असैनिक पुलिस ने वहां हुए अपराधों का पता चलाने के लिए रेलवे रक्षा दल के कुत्तों की सेवायें प्राप्त कीं। इन सेवाओं के अतिरिक्त यार्डों तथा कर्मशालाओं की निरंतर निगरानी के लिए वे प्रयोग में लाये जाते हैं।

आगरा के समीप दुर्घटना

587. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के आगरा–ग्वालियर सेक्शन में घेर रेलवे स्टेशन की सहायक लाइन पर 20 अक्तूबर, 1964 को एक मालगाड़ी का इंजन तथा कुछ डिब्बे पटरी से उलट गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना की जांच रेलवे अधिकारियों की समिति ने की थी जिस का प्रतिवेदन परि-निरीक्षणाधीन है।

खनिकों के लिये 'सेफ्टी कैप लैम्प'

588. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान संगठन, भारतीय खान संघ और भारतीय खान स्वामी संगठन की संयुक्त कार्यकारी समिति ने कोयले के मूल्य में वृद्धि की मांग की है। जिस का कारण मुख्य खान निरीक्षक द्वारा जारी की गई हिदायतों को क्रियान्वित करना है ताकि 31 दिसम्बर, 1964 तक सभी खनिकों को 'सेफ्टी कैप लैम्प' दिये जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). जी, हां। पिछले दो वर्षों में इस विषय पर इस उद्योग ने कई अभ्यावेदन भेजे थे––परन्तु उन को यह बताया गया था कि 'इलेक्ट्रिक कैप लैम्प' की आवश्यकता तभी होती है जबकि खानों में काम होता हो––इसलिये मूल्य में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय का पालन करने में उद्योग को समय देने के लिये 'इलैक्ट्रिक कैप लैम्प' दिये जाने की व्यवस्था को खानों में लागू करने की अनुमति दी गई थी। इस विषय पर हाल ही में उद्योग से एक नया अभ्यावेदन मिला है जो विचाराधीन है।

'बेरियम' रसायन कारखाना

589. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या उद्योग तथा सम्भरण मंत्री 6 मार्च, 1964 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 952 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामवरम में बेरियम रसायन कारखाने को चालू करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) ऐसा बताया जाता है कि जून 1964 में उत्पादन कार्यक्रम के पहले प्रक्रम में कारखाने के परीक्षात्मक प्रयोग के समय रोटरी भ ठी में कुछ विशेष त्रुटियों के कारण कारखाना चालू करने में देरी हुई थी ।

(ख) ऐसा स्पष्ट ही है कि कारखाने के स्वामी, अपने विशेषज्ञों द्वारा, संयंत्र में पाई गई त्रुटियों को दूर करने के लिये, एक विख्यात ब्रिटिश कम्पनी जोकि रसायन उत्पादन का ही कार्य कर रही है, की सेवायें प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिये इस समय इस विषय पर सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

प्लास्टिक की चूड़ियों का निर्यात

590. **श्री उमानाथ :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक की चूड़ियों के निर्यात को बढ़ाने के लिये एक निगम स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निगम का कार्य क्षेत्र और ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद्, चूड़ी उद्योग के परामर्श से प्रस्तावित निगम के कार्य-क्षेत्र और ब्यौरा तैयार कर रहा है ।

ऊपरी पुलों का निर्माण

591. **श्री प० कुन्हन :**
श्री नम्बियार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में कितने ऊपरी पुलों का निर्माण आरम्भ किया गया था ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे के पारली नगर में रेलवे के ऊपरी पुल का निर्माण कार्य इस अवधि के लिये निर्धारित किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 1963–64 में 34 ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया था ।

(ख) और (ग). नहीं, श्रीमन् । सड़क के ऊपरी पुल के निर्माण की योजना राज्य सरकार ने 1964–65 में बनाई थी परन्तु धन के अभाव के कारण इस को 1965–66 के लिये स्थगित कर दिया है ।

केरल में छोटे पैमाने के उद्योग

592. **श्री प० कुन्हन :**
श्री नम्बियार :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये 1961–62, 1962–63, 1963–64 में केरल को कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) इस ऋण को विभिन्न उद्योगों के लिये कितनी श्रेणियों में बांटा गया ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क)

1961–62	8.87 लाख रुपये
1962–63	14.52 लाख रुपये
1963–64	20.73 लाख रुपये ।

(ख) राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता विभिन्न विकास शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है, पृथक्-पृथक् उद्योगों के लिए नहीं । मांगी गई जानकारी केवल राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी ।

भारतीय कोयला

593. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात तथा खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था में धातुशोधन सम्बन्धी प्रयोजन के लिये भारतीय कोयले और आयात किये गये कोक-कोयले के संमिश्रण से हुए प्रयोग के परिणाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था ने आस्ट्रेलिया से कोयले के नमूने प्राप्त किये हैं ताकि इन कोयलों को भारत के कोयलों में संमिश्रण करने की योग्यता का पता चल सके । इस संस्था द्वारा किये गये परीक्षणों से पता चलता है कि भारत के जिस कोयले को आस्ट्रेलिया के कोयले में पूरी तरह संमिश्रण किया जा सकता है वह कनहन घाटी में होता है । परन्तु कन्हन घाटी के कोयले को जब उसी मात्रा में भारत के अच्छी किस्म के कोक-कोयले में मिलाया जाता है तो उसी से वही परिणाम निकलते हैं जो आस्ट्रेलिया के कोयले में मिलाने से निकलते हैं

रेल के डिब्बे में पाया गया शव

594. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 अक्तूबर, 1964 को सदर बाजार रेलवे स्टेशन पर रेल के डिब्बे में एक अधेड़ आयु के व्यक्ति का शव पाया गया ;

(ख) यदि हां, तो मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई ; और

(ग) क्या रेलवे के डाक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिस ने चिकित्सा सहायता देने से इन्कार कर दिया था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) शव-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार मृत्यु प्राकृतिक कारणों (देहशोथ) से हुई। एक व्यक्ति जोकि भिखारी मालूम होता था, प्लेटफार्म पर लेटा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी चिरकालिक रोग से पीड़ित था। रेलवे डाक्टर बुलाया गया जिस ने उस की देखभाल की। असैनिक चिकित्सालय में रोगी-वाहन की अनुपलब्धता के कारण मृत व्यक्ति को बहुत प्रयत्न करने पर भी चिकित्सालय न भेजा जा सका।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मण्डी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम

595. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने मण्डी-कुल्लू सड़क निगम में शुरू से ले कर अब तक कितनी धनराशि लगाई है ;

(ख) इस मार्ग पर कितने छकड़े, बसें तथा ट्रक चलाये गये हैं ;

(ग) इन में से किन के पास (i) पंजाब, और (ii) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये परमिट हैं ;

(घ) इस निगम ने शुरू से लेकर अब तक वर्षवार कितना धन कमाया है ; और

(ङ) इस उपक्रम में भाग लेने से रेलवे को कितना लाभांश मिला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3485/64]**

रबड़ की वस्तुओं का निर्माण

596. { श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ की वस्तुओं का निर्माण करने वाला उद्योग, हमारी आवश्यकता की सभी वस्तुओं के निर्माण के लिये आत्म-निर्भर हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो रबड़ की बनाई गई ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन का अभी आयात किया जाता है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) नीचे दी गई रबड़ की बहुत सी वस्तुओं में देश आत्म-निर्भर हो गया है :—

मशीनी, निस्त्राक्ति (एक्सट्रूडेड) तथा ढली हुई रबड़ की वस्तुएं जैसे कि रबड़ के जूते, 'वी' और पंखा पट्टी, रेलवे तथा मोटरगाड़ी के रबड़ के बने पुर्जे, रबड़ के कॉट और एप्रन, शल्य चिकित्सा सम्बन्धी दस्ताने, टैनिस की गेंन्द, टायर रिट्रैडिंग कम्पाउड, वनस्पति दूध के झाग से बना रबड़, मोटरगाड़ी तथा साइकिल के टायर और ट्यूब।

(ख) निम्नलिखित विशेष मदों का अभी आयात किया जाता है :—

रबड़ के कम्बल, लाइफ जैकेट्स एण्ड रैफट्स, रबड़ की गर्भनिरोधक वस्तुएं, चिकित्सा सम्बन्धी तथा शल्य चिकित्सा सम्बन्धी रबड़ की विशेष वस्तुएं, जिन टायर और टयूबों का देश में निर्माण नहीं किया जाता है तथा रबड़ के संसिक्ट (इम्प्रैगनेटेड) होज़।

अंकलेश्वर-राजपिपला लाईन पर पुल

597. **श्री छोटूभाई पटेल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर–राजपिपला छोटी लाईन पर पुलियों और पुलों की हालत बहुत खराब है और इस कारण इस लाइन पर रेल गाड़ियों को आना जाना काफी अधिक अनियमित है ;

(ख) यदि हां, तो उन की मरम्मत कब तक होने वाली है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). इस खण्ड में पुलों के गडर जो कि पिटे लोहे के बने हैं, इतने मज़बूत नहीं हैं कि तीव्रगति के भार को सहन कर सकें । कम खर्ची संबंधी वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छोटी लाईनों में पुनः गर्डरों के लगाने के काम को स्थगित कर दिया गया है और इसी लिये रेलों की तेज़ गति पर 1-10-1964 से पाबंदी लगा दी गई है । स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के हित में तथा अंकलेश्वर पर बड़ी लाईन की गाड़ियों के साथ संबंध बनाये रखने के लिये गाड़ियों के समय में उपयुक्त परिवर्तन कर दिया गया है ।

रेलवे लाइनों की तोड़-फोड़

869 श्री सुब्बारायन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अक्टूबर 1964 से निरन्तर तीन बार मद्रास के समीप रेलवे लाइनों पर तोड़-फोड़ हुई ;

(ख) यदि हां, तो कहां और कैसे ;

(ग) अपराधियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या तोड़-फोड़ उपद्रव की कार्यवाही होने का संदेह था और यदि हां तो इन उपद्रवों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) घटनाएं इस प्रकार हैं ।

(1) 19-10-1964 को चिंगलपुट-मद्रास खण्ड में कोडम्बक्कम रेलवे स्टेशन पर एक स्थान पर स्विच के नीचे से बोल्ट तथा फिश प्लैट्स ग़ायब पाये गये और दो नीचे के बोल्ट नीचे के ब्लाक तथा रेल के सिरे में लगा दिये गये थे जिसके कारण दो सिरे $2\frac{1}{2}$ इंच अन्दर की ओर खिंच गये थे ।

(2) 20-10-1964 को अरकोणम-मद्रास खण्ड में सेत्रापेट रोड स्टेशन पर एक जगह नीचे के ब्लाक की फिटिंग हटी हुई देखी गयीं और फिश प्लेट्स और बोल्ट और नट नजदीक ही गिरे मिले ।

(3) 24-10-64 को विल्लूपुरम्-चिंगलपुट खण्ड में पादालम और करूणागुंजी स्टेशनों के बीच पुल संख्या 227 के बीच में 76/6 किलो मीटर पर एक जाइंट पर फिश-प्लेटों का एक जोड़ा ग़ायब पाया गया । एक फिश प्लेट आर० एस० जाइंट और दूसरी गाड़ी की पटरी तथा रक्षण पटरी के बीच जाइंट से 12 इंच दूरी पर रखी हुई पायी गयी । इस्पात की 43 चाबियां जिनके दांत ढीले थे ग़ायब पायी गयीं । पटरी के दाहिनी ओर से ढीले दांत वाली 3 चाबियां भी ग़ायब पायी गयीं ।

(ग) पुलिस को इन घटनाओं की सूचना तुरन्त ही दे दी गई थी । पुलिस के एक कुत्ते तथा रेलवे संरक्षण बल के दो कुत्तों को भी जांच में मदद करने के लिए लाया गया था ।

(घ) पुलिस की जांच जारी है ।

रोकथाम के निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) रात के समय लाइनों पर गैंगमैन की गश्त ;

(2) मद्रास डिवीज़न क्षेत्र में खुली लाईन पर दिन रात गैंगमैन की गश्त ;

(3) मद्रास–विल्लूपुरम, मद्रास–काटपाडी तथा मद्रास–गुमिडीपूंडी खण्डों में लाईन तथा महत्वपूर्ण पुलों पर गश्त लगाने के लिए सशस्त्र पुलिस बल तथा रेलवे संरक्षण बल तोड़-फोड़ के विरुद्ध प्रचार करके स्थानीय गांवों का सहयोग प्राप्त करना और अपराधियों की जानकारी देने वाले व्यक्तियों को योग्य पुरस्कार देना ।

कोयले का परिवहन

599. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना कन्ट्रोल वाले कोयले की किस्मों के परिवहन के लिये माल डिब्बों के सम्भरण की क्या प्रक्रिया है ;

(ख) क्या बिना कन्ट्रोल वाले कोयले की किस्मों को लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाना है और क्या उस कोयले के लिये माल डिब्बे सप्लाई करने के लिये अग्रिम सूचना देनी पड़ती है ; और

(ग) क्या रेलें बिना किसी प्रतिबन्ध के विनियंत्रित वस्तुओं को लाने ले जाने के कार्यक्रम स्वीकार करने के लिए असमर्थ हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) बिना कन्ट्रोल के कोयले के परिवहन के लिए माल डिब्बों की सप्लाई के लिए प्रक्रिया इस प्रकार है कि सम्बन्धित कोयला खानों को अपना कार्यक्रम उस महीने से 15 दिन पहले कि जिसमें वे कोयला भेजना चाहते हैं रेलवे के नियतन कार्यालय को सीधे ह भेजना होता है । इस शर्त में अब छूट दे दी गई है । अब कोयला खानें चालू महीने में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकती है परन्तु कार्यक्रमों के प्रस्तुत करने और उस कार्यक्रमों से सम्बद्ध मांगों के स्वीकार होने के बीच कम से कम 10 दिन का अन्तर होना चाहिये । प्रचलित प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए विनियंत्रित कोयला लादने वाली कोयला खानों को दैनिक मांग के आधार पर रेलवे डिब्बे अलाट करती है । उसी नियतन के अनुसार माल डिब्दे सप्लाई किये जाते हैं ।

(ख) और (ग) बिना कन्ट्रोल का कोयला लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । परन्तु विभिन्न कोयला क्षेत्रों से स्थानान्तरण प्रत्येक क्षेत्र पर लागू क्षेत्रीय योजना और परिवहन के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण के अनसार निश्चित किया जायगा और मांगें (क) में बताये गये अनुसार हैं ।

ऊन का आयात

600. श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी कपड़ा उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने बड़ी मात्रा में ऊन आयात करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा, उसकी किस्म तथा उसकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) किस अभिकरण के द्वारा यह आयात किया जा रहा है ;

(घ) देसी ऊन को अच्छा बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि धीरे धीरे विदेशी ऊन की जगह देसी ऊन का प्रयोग किया जा सके ; और

(ङ) पिछले वर्ष भारत में कुल कितना ऊनी कपड़ा तैयार किया गया और इसमें से कितना निर्यात संवर्धन योजना के अधीन अथवा अन्य प्रकार से निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) जी नहीं । सरकार ने ऊन उद्योग के लिए आवश्यक सीमित मात्रा में सभी प्रकार का कच्चा ऊन मंगाने की अनुमति दी है। अक्टूबर, 1964 से सितम्बर 1965 की अवधि के लिये उस आयात का मूल्य 5 करोड़ रुपये है । इसके अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन योजना के अधीन आयात लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये तक का हुआ । इस प्रकार कुल मिला कर 7 से 8 करोड़ रुपये का आयात होगा जिससे उद्योग के लिये 130 से 150 लाख पौण्ड कच्ची ऊन का आयात होगा । इसके अलावा उद्योग को छूट होगी कि वह कच्चे माल की प्राप्ति की वृद्धि के हेतु ऊन में कृत्रिम धागे भी मिला सके । उद्योग की आवश्यकतायें पूरे वर्ष के लिये लगभग 18 से 20 करोड़ रु० की होंगी पर विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बढ़ती हुई आयात संभव न हो सकेगी । इसके अतिरिक्त 20 से 30 लाख पौंड देसी ऊन उपयोग में लाई जा रही है । वरसटेड कताई के लिये भारतीय ऊन अधिक उपयुक्त नहीं है ।

(ग) आयात वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा किया जाएगा ।

(घ) ऊन का उत्पादन बढ़ाने और उसके वर्गीकरण तथा विपणन के तरीके सुधारने के लिये निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अधिक ऊन प्राप्ति के लिये भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिये अनुसंधान योजनायें आरंभ की गयी हैं ।

(ख) चालू योजना अवधि में एक केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन संस्थान स्थापित किया जा रहा है ।

(ग) दूसरी योजना की अवधि में 305 भेड़ विस्तार केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। तीसरी योजना में इन केन्द्रों को और दृढ़ किया जाएगा तथा अतिरिक्त केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।

(घ) पहली पंच वर्षीय योजना से 46 भेड़ प्रजनन फ़ार्म स्थापित किये जा चुके हैं ।

(ङ) चालू योजना की अवधि में एक योजना भेड़ों की ऊन की कटाई तथा उसका वर्गीकरण की राजस्थान में आरम्भ की जा रही है ।

(च) वर्ष 1963–64 में ऊनी कपड़ों का उत्पादन 171.3 लाख मीटर तक था। 10.4 लाख मीटर कपड़ा जिसका मूल्य 1.45 करोड़ रुपये था इस अवधि में निर्यात किया गया ।

कच्छ में भूरे कोयले के भण्डार

601. **श्री ओझा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कच्छ में भूरे कोयले के बहुत बड़े भंडार मिले हैं ; तथा

(ख) इसकी मात्रा का क्या अनुमान है और इन भंडारों को कैसे उपयोग में लाया जाएगा ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) काफी समय से भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण को कच्छ में भूरे कोयले के होने की जानकारी है ।

(ख) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा कच्छ ज़िले के उमरसार क्षेत्र में भूरे कोयले के भंडार का अनुमान 108.7 लाख मेट्रिक टन का लगाया गया है । ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार भूरे कोयले का उपयोग बिजली के उत्पादन में लगाने पर विचार कर रही है ।

कपड़े का उत्पादन

602. **श्री ओझा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर 1964 में कपड़े और धागे के उत्पादन में अत्याधिक वद्धि हुई है ।

(ख) यह वृद्धि किन मुख्य कारणों से हुई ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) (एक) पिछले महीनों की अपेक्षा तकलों व करघों का अधिक उपयोग; तथा

(दो) सितम्बर, 1964 में छुट्टियों का अपेक्षाकृत कम होना ।

अहमदपुर–कटवा तथा बर्दवान–कटवा रोड लाइनें

603. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेकलाड एण्ड कं० लिमिटेड द्वारा चालित अहमदपुर से कटवा व वर्दवान से कटवा तक छोटी रेलवे लाइनें शीघ्र ही बन्द की जाने वाली हैं ; तथा

(ख) यदि हां तो बढ़ हुए यातायात की दृष्टि से क्या इन लाईनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) रेल मंत्रालय को इन लाइनों के बन्द करने के प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग

604. श्री हेडा : क्या उद्योग तथा सम्भरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के पहले दो वर्षों व दूसरी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों में अंशकाल तथा पूरे काल के लिये रखे गए कर्मचारियों की अलग अलग संख्या क्या है ;

(ख) पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उपक्रमों का राष्ट्रीय आय में योगदान ;

(ग) चौथी योजना में लघु उद्योगों के विकास पर प्रस्तावित व्यय ; और

(घ) वर्तमान लघु उद्योगिक इकाइयों में स्थिरता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? और अन्य विभागों की उन नीतियों में समन्वय तथा छानबीन करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं।

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) व (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये व्यय सम्बन्धी कोई निणय नहीं किये गये हैं।

(घ) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन व राज्य उद्योग निदेशालय छोटे पैमाने की इकाइयों की कई प्रकार से सहायता करते हैं। केन्द्रीय लाइसेंसिंग समिति उन क्षेत्रों में समन्वय करती है जहां छोटे उद्योग क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन विकसित तो है परन्तु नए लाइसेंस देने पर भी बड़े पमाने के उद्योग क्षेत्रों में नई समर्थताएं नहीं आ सकीं। छोटी इकाईयों की बढ़ती हुई दुर्लभ कच्चे माल की मांग को पूरा करना एक समस्या है जिसके हल के लिये उपलब्ध विदेशी मुद्रा को ही यथासंभव अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

छोटे लघु उद्योग क्षत्रों में विस्तित दूसरी सुविधायें निम्न हैं।

राष्ट्रीय लघ उद्योग निगम द्वारा क्रयावक्रय के आधार पर मशीनों का सम्भरण।

उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम स्टेट बैंक योजना राज्य, वित्तीय आयोग तथा भारत के रिज़र्व बैंक की उधार प्रत्याभूति योजना के अन्तरगत दी गई सुविधाएं।

सरकारी ठेकों का बड़ा भाग प्राप्त करने में सहायता।

Fatuha-Islampur Railway line

605. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether attention of the Govt. has been drawn to the serious mismanagement of Fatuha-Islampur railway line;

(b) if so, the steps taken so far for improving the situation of the railway line; and

(c) whether the Govt. have considered the desirability of taking over the railway line under their direct control ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No, sir.

(b) Question does not arise.

(c)The question of purchase of the railway line arose earlier in 1958, and then it was considered, but the Govt. did not find it proper to purchase the railway line in public interest. The question of its purchase will arise in 1968 and it will be considered.

विदेशों से डीज़ल इंजन

606. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों की छोटी लाइन की रेल के लिए विदेशों से डीज़ल इंजन प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनका वितरण किस प्रकार किया गया है ;

(ग) क्या उन में से कोई इंजन उत्तर रेलवे की कांगड़ा घाटी रेल के छोटी लाइन के हिस्से के लिए नियत किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां तो क्या इस भाग में भीड़ कम करने के लिए एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पहाड़ी रेलों में उपयोग के लिए छोटी लाइन के किन्हीं डीज़ल इंजनों के लिए विशेष रूप से कोई आदेश नहीं दिया गया। तथापि, छोटी लाइन के 25 डीजल इंजनों को विदेशों से प्राप्त करने के लिए आदेश दिया गया है और अक्तूबर 1964 से यह इंजन देश में आने आरम्भ हो गये हैं।

(ख) अस्थायी तौर पर उन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियत किया गया है :—

दक्षिण पश्चिम रेलवे को 15

उत्तर रेलवे को 10 ।

(ग) छोटी लाइन के डीज़ल इंजनों को कांगड़ा घाटी सेक्शन के लिए नियत करने का मामला विचाराधीन है ।

(घ) यह विषय विचाराधीन है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

607. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के खान-पान विभाग में प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी आज तक भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गये;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे का गुप्तचर विभाग इन मामलों की जांच करने के लिए काफी समय लेता है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच में इतना अधिक विलम्ब रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) अब तक एक प्रबन्धक और पांच सहायक प्रबन्धक भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं ।

(ख) भ्रष्टाचार के मामलों की जांच रेलवे सतर्कता संगठन करता है; और जांच उचित समय में समाप्त कर दी जाती है जो उस मामले के स्वरूप पर निर्भर होती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय रेलों में चोरियां

608. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1964 से 31 अक्तूबर, 1964 तक भारतीय रेलों में चोरियों के कितने मामलों की जानकारी मिली है ;

(ख) कितने मामलों में चोरी का माल बरामद किया गया और मालिकों को लौटा दिया गया ;

(ग) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गये; और

(घ) क्या चोरी के मामलों की छानबीन रेलवे संरक्षण बल करता है या उस राज्य की पुलिस करती है जहां चोरियां होती हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 683 ।

(ख) 382 ।

(ग) 310 ।

(घ) चोरी के सभी मामलों की सूचना सरकारी रेलवे पुलिस को दी जाती है । विधि के अनुसार केवल सरकारी रेलवे पुलिस को ही आपराधिक मामलों की जांच करने का अधिकार है । रेलवे संरक्षण बल स्वामी तथा वाहक के रूप में, रेलवे सम्पत्ति की चोरी के सभी मामलों का अभिलेख रखती है, और सरकारी रेलवे पुलिस की यथा सम्भव सहायता करता है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

609. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन के रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े गये ; और

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे में 31 अक्तूबर, 1964 को विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले किस तरह के हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1963–64 में पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी जिले में रेलव कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के 4 मामले पकड़े गये। गोरखपुर डिवीजन नाम का कोई डिवीजन या जिला नहीं है।

1963–64 में गोरखपुर में स्थित रेलव कर्मचारीवर्ग के विरुद्ध 14 मामले पकड़े गये।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे में 31 अक्टूबर, 1964 को विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों का वर्गीकरण इस प्रकार है :

(1) माल की डिलीवरी सम्बन्धी मामले;

(2) कर्मचारियों की सांठ-गांठ से बिना टिकट यात्रा;

(3) विलम्ब शुल्क और उतराई शुल्क के लगाये जाने और उसे समाप्त करने से सम्बन्धित मामले;

(4) ज्यादा किराया लेना या टिकट न देना ;

(5) कर्मचारियों द्वारा गलत वेतन तथा भत्ता दिया जाना;

(6) पास और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग ;

(7) नगदी का दुर्विनियोग।

(8) रेलवे के सामान का दुरुपयोग तथा दुर्विनयोग।

(9) रेलवे के कोयले का दुर्विनियोग ;

(10) सरकारी अभिलेख में गड़बड़ी करना।

(11) आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन संचित करना;

(12) पररूपधारण तथा मिथ्या कथन द्वारा नौकरी प्राप्त करना ;

(13) घूस मांगना और उसे स्वीकार करना; और

(14) चिकित्सा सुविधाओं का कुप्रयोग।

दक्षिण रेलवे में माल-गाड़ी का पटरी से उतरना

610. श्री विश्वनाथ पाण्डेय: क्या रेलवे मन्त्री 18 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 879 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जुलाई, को दक्षिण रेलवे के बंगलौर-अरसिकेरे सेक्शन में बनरुन्द्रा और सम्पीज रोड के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतरने के सम्बन्ध में जो जांच की गयी थी उसकी रिपोर्ट पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) जांच समिति के प्रतिवेदन की छानबीन हो रही है।

रेलगाड़ियों से चोरियां

611. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध विभाग के गुप्तचरों ने एक गिरोह का पता लगाया है जिस में रेलवे का एक संरक्षक तथा एक अन्य कर्मचारी शामिल है जो ब्रेक-डिब्बों में से माल की छोटी मोटी चोरी किया करते थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया है ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सभी रेलवे प्रशासनों को यह हिदायत दी गई है कि उन की रेलवे पर यदि कोई अपराधी गिरोह हैं, तो उन को खत्म करने के लिये वे रेलवे सुरक्षा बल जासूस कर्मचारियों द्वारा इसी प्रकार के छापे मारने का प्रबन्ध करें ।

निर्यात

612. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस से अवगत है कि भारतीय वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के कारण विदेशी मण्डियों में इन की खपत कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिन से कि निर्यात पर बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव न पड़े ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी हां, यह सच है । तथापि, निर्यात करने वालों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा सरकार के प्रयत्नों से अप्रैल—सितम्बर, 1964 में 414 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुएं निर्यात की गयीं जोकि गत वर्ष की इसी अवधि में किये गये निर्यात के मूल्य से 38 करोड़ रुपये अधिक है ।

(ख) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी पहलुओं पर बराबर ध्यान दिया जाता है जिससे कि, जहां तक सम्भव हो, निर्यात की वस्तुओं की कमी तथा बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके ।

दक्षिण रेलवे की रेल बस्तियां

613. **श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे की रेल बस्तियों में क्वाटरों की मरम्मत और संधारण के लिये तीन कर्मकार हर 1000 मकानों के लिये कार्य करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गति से सभी क्वाटरों की मरम्मत और संधारण सम्भव है ; और

(ग) क्या आपात की अवधि में क्वाटरों की सफैदी, मरम्मत तथा संधारण करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा दिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं। क्वाटरों की मरम्मत करने की यह प्रथा ह कि गुरुतर मरम्मत तो क्षेत्रीय ठेकेदारों द्वारा कराई जाती है और लघु कार्य विभागीय श्रम द्वारा करवाये जाते हैं। विभागीय आधार पर की जाने वाली मरम्मत के लिये अपेक्षित श्रम को मरम्मत की मात्रा तथा किसम के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(ख) क्वाटरों की मरम्मत कराने की उक्त व्यवस्था संतोषजनक समझी गई है और इस व्यवस्था का पुनर्विलोकन वर्षानुवर्ष किया जाता है।

(ग) जी हां। भवनों में सफेदी तथा छोटी नियमित मरम्मत कराने पर लगाई गई रोक जुलाई 1964 से हटा दी गई है।

निर्यात उद्योग सामग्री निगम

614. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशीय व्यापार की भारतीय संस्था ने हाल में हुई विचार गोष्ठी में निर्यात उद्योग सामग्री निगम की स्थापना के लिये सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सिफारिश के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जैसे ही विचार गोष्ठी का प्रतिवेदन प्राप्त होगा, सरकार इस सिफारिश पर विचार करेगी।

बेल्लारी-होसपेट क्षेत्र में लोह-अयस्क निक्षेप

615. **श्री पें० वेंकटासुब्बया**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेल्लारी होसपेट क्षेत्र में लोह-अयस्क निक्षेपों के सर्वेक्षण का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण पूरा होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) भारतीय खान ब्यूरो ने बेल्लारी होसपेट क्षेत्र में तीन निक्षेपों में से एक निक्षेप रमनदुर्ग में लोह अयस्क की मात्रा तथा श्रेणी जाने के लिये बेधन कार्य शुरू कर दिया है। दूसरे दो निक्षेपों का भी परीक्षण बाद में किया जायगा। इस के साथ-साथ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इस क्षेत्र में खनन परियोजना को चालू करने के लिये आर्थिक स्थिति और सुकरता की जांच करने के लिए एक सामान्य सर्वेक्षण कर रहा है।

(ख) जबकि भारतीय खान ब्यूरो का रमनदुर्ग क्षेत्र में कार्य मार्च, 1965 में पूरा हो जाने की सम्भावना है, दूसरे दो निक्षेपों के सम्बन्ध में कार्य तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सामान्य सर्वेक्षण कार्य को पूरा होने में कुछ अधिक समय लगने की सम्भावना है।

नेपाल से व्यापार

616. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल के बीच, विशेषत: उत्तर प्रदेश–नेपाल सीमा के पार, व्यापार में हाल ही में कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1962–63 को छोड़ कर गत पांच वर्षों में नेपाल के साथ हमारा व्यापार निरन्तर बढ़ा है। आशा है यह प्रवृत्ति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पार होने वाले व्यापार के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भिलाई में स्लैग ग्रेनूलेशन संयंत्र

617. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में स्लैग ग्रेनूलेशन संयंत्र को पूरा कर दिया गया है और चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस की लागत तथा संस्थापित क्षमता क्या है ; और

(ग) इस संयंत्र को स्थापित करने के लिये सामग्री तथा कार्यकर्ताओं के रूप में विदेशी प्राविधिक सहायता की कहां तक आवश्यकता थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) भिलाई में स्लैग ग्रेनूलेशन संयंत्र स्थापित कर दिया गया है और उस पर परीक्षणार्थ कार्य शुरू कर दिया गया है। इस संयंत्र को 34.7 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है और इस की वार्षिक संस्थापित क्षमता लगभग 950,000 टन है।

इस संयंत्र के लिये डिजाइन, कार्यवहन नमूने और कुछ अन्य उपकरण सोवियत संघ से प्राप्त हुए थे। संयंत्र की स्थापना सम्भरणकर्त्ताओं के प्रतिनिधियों की मदद से भारतीय इंजीनियरों ने की थी।

अद्रक की किस्म पर नियंत्रण

618. **श्री यु० सिं० चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अद्रक और हल्दी पर भी किस्म नियंत्रण लगा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) नीति के तौर पर संघ सरकार ने यह स्वीकार किया है कि किस्म नियंत्रण देश से निर्यात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं पर भी लागू होना चाहिये। इस नीति के अनुसरण में निर्यात

की जाने वाली अद्रक तथा हल्दी पर बहुत शीघ्र अनिवार्य रूप से किस्म नियंत्रण लागू करने का विचार है। वास्तव में, किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण द्वारा देश के निर्यात व्यापार को विकसित करने के लिए संसद् ने गत वर्ष निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963, पारित किया था।

Price of Imported Salt

619. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) the cost price of rock-salt is being imported from Pakistan ;

(b) whether it is a fact that it is being sold in Delhi and other places at a price much higher than the cost; and

(c) whether Government have taken any action in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Rs. 26.80 per Metric ton F.O.R. Wagha.

(b) Yes, Sir.

(c) No action by Government is necessary as the price charged to the consumers is considered reasonable.

फास्फोरस के तेज़ाब का कारखाना

620. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सहयोग से गुजरात में फास्फोरस के तेजाब का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस कारखाने की कितनी लागत तथा क्षमता होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं। फिर भी इस बात की छानबीन की जा रही है कि क्या फास्फोरस के तेजाब के लिए किसी जापानी फर्म द्वारा मशीनें दी जा सकती हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात

621. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्रीमती लक्ष्मीबाई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रशुल्क के वर्तमान ढांचे की वैज्ञानिक व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणियज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख) हाल ही में भारत सरकार ने एक समिति बनाई है जिसके सभापति वाणिज्यिक जानकारी तथा आंकड़ों के भूतपूर्व महानिदेशक श्री एस० सुब्रह्मण्यम् हैं। यह समिति भारत में सीमा शुल्क के ढांचे की छानबीन करेगी और इस बारे में सरकार को राय देगी कि प्रशुल्क में किस प्रकार परिवर्तन किए जायें। आयात प्रशुल्क के ढांचे का परीक्षण करते हुए समिति निर्माण उद्योगों के लिए रुचिकर मशीनों के वर्गीकरण की ओर विशेष ध्यान देगी।

निर्यात प्रशुल्क अनुसूची में सम्मिलित 23 मदों में से फिलहाल केवल कुछ किस्म की कच्ची रुई, हार्ड काटन वेस्ट और पारे पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है। समिति को इस अनुसूची के बारे में और वर्गीकरण में भी उपयुक्त संशोधन करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन

622. श्री राम हरख यादव : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का इस मास दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यक्रम का क्या ब्योरा है; और

(ग) उसमें किन मामलों पर चर्चा हुई।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधन्द्र मिश्र) : (क) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की छठी त्रिवर्षीय महासभा तथा संबद्ध बैठकें विज्ञान भवन, नई दिल्ला में 8 से 21 नवम्बर, 1964 तक हुई थीं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की महासभा, अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन परिषद् और विभिन्न विषयों सम्बन्धी समितियों की बैठकों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3486/64]**।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने परिषद् की पिछली बठक (जून, 1963) से काम की प्रगति की समीक्षा की और यह देखा कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की 80 नई सिफारिशें (मानक) मंजूर की गई हैं। इन मानकों में कच्चा मैंगनीज़, वस्त्र उद्योग के लिए सामान, मोटर गाड़ियां, जहाज़ निर्माण, रंग-रोगन, सुगंधित तेल, मशीनी औजार और कसरत तथा खेल-कूद का सामान जैसे महत्वपूर्ण विषय, आ गये हैं। परिषद् ने मानकीकरण के नये विषयों का कार्य करने के लिये पांच नई तकनीकी समितियां स्थापित कीं।

तकनीकी समितियों में जिन विषयों पर चर्चा की गई है उनमें कृषि उत्पाद तथा खाद्य पदार्थ, पौष्टिक खाद्य, इस्पात की चीजें, लोहा और कच्चा मैंगनीज़, नट तथा बोल्ट सम्मिलित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मानक करण संगठन क· महासभा ने संगठन क·परिषद् के लिए 1965 से 1967 तक 3 वर्ष क; अवधि के लिए पांच सदस्यों वाले निकायों का निर्वाचन किया। उसने 1965–67 की तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत के श्री जे० जे० घेन्डी को संगठन के सभापति के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए रिक्त स्थान

623. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित रिक्त स्थानों को आगे बढ़ाने के नियम में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह संशोधन किस प्रकार का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अब यह निश्चित किया गया है कि भरत; के किसी वर्ष में भी सामान्य रक्षित और "आगे ले जाये गये" रक्षित रिक्त स्थानों क; संख्या कुल रिक्त स्थानों की संख्या के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 45 प्रतिशत से अधिक रिक्त स्थान भरती के अगले वर्षों में आगे ले जाये जायेंगे परन्तु आगे ले जाये गये विशिष्ट रिक्त स्थान दो वर्षों से अधिक पुराने हो जाने के कारण काल तिरोहित नहीं हो जायेंगे।

चांदा का भूगर्भीय सर्वेक्षण

624. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने ज़िला चांदा (महाराष्ट्र) का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) क्या किसी खनिज धातु के सक्रिय निक्षेपों का पता लगा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां। इस जिले के आधे पश्चिमी भाग का प्रादेशिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

(ख) जी हां। कोयला, लौह अयस्क, मिट्टी और बैराइट के सक्रिय निक्षेप चांदा में पाये गये हैं। कोयले के निक्षेपों का पता लगाने के लिए खुदाई का काम चल रहा है।

विदर्भ में कोयला और लौह-अयस्क के निक्षेप

626. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और लौह अयस्क के निक्षेपों का पता लगाने के लिए सरकार ने विदर्भ (महाराष्ट्र) प्रदेश में अभी हाल में कोई सवक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन सवर्क्षणों का क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।]

(ख) भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने चांदा ज़िले में लोहारा, पूसर, देवल गांव और सूरजगढ़ में ऊंचे किस्म के लौह अयस्क के सक्रिय निक्षेपों का पता लगाया है। भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने 1963 में कोयला प्राप्त करने के लिए चांदा ज़िले के वर्धा घाट कोयला क्षेत्र में छिद्रण कार्य आरम्भ किया और अब तक 1 करोड़ मट्रिक टन कोयले के भंडारों का पता लगा है। यह कार्य प्रगति कर रहा है।

भारतीय खान ब्यूरो

627. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण तथा ऐसे ही दूसरे समान प्रयोजनों के हेतु नागपुर के निकट भारतीय खान ब्यूरो ने जिन क्षेत्रों को अधिकार में ले लिया है उनके लिए किसानों को प्रतिकर अदा किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) तथा (ख). नागपुर के निकट काम्पटी कोयला क्षेत्र में छिद्रण कार्य से हुई क्षति के लिए जो प्रतिकर स्वरूप 7,536 रुपये की कुल राशि निर्धारित की गई है, उसमें से 7,436 रुपये पहिले ही अदा किये जा चुके हैं। शेष धन अदा नहीं किया गया है क्योंकि बार-बार लिखने पर भी संबंधित व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का लमडिंग--बदरपुर हिल सेक्शन

628. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग--बदरपुर हिल सेक्शन में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनायें बार-बार होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सेक्शन में रेलगाड़ियों को चलाने की व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इस लाइन को दोहरी करके यात्री-गाड़ियों का यात्रा का समय कम करने का कोई प्रस्ताव है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। माल-गाड़ियों की पटरी से उतरने की घटनायें बार-बार हुई हैं किन्तु यात्री-गाड़ियों की नहीं।

(ख) इंजन डिब्बों आदि के विस्तारपूर्वक जांच करने सम्बन्धी वर्तमान अनुदेशों के अतिरिक्त लमडिंग हिल सेक्शन में रेलवे ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण देने, रेलों को तेज न चलाने के लिये, बार-बार फुट-प्लेटों के निरीक्षण आदि के लिये नीचे दिये गये कुछ अतिरिक्त कदम उठाये गये हैं :—

(एक) चूंकि अधिकतर दुर्घटनायें मोड़ों पर हुई हैं अतः आवश्यक सर्वेक्षण के पश्चात् उनके पुनर्निर्माण की व्यवस्था की गयी है।

(दो) लमडिंग की पिट-लाइन का हाल ही में विस्तार किया गया है ताकि हिल सेक्शन में जाने वाले मालडिब्बों की अच्छी प्रकार जांच हो सके।

(तीन) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के प्रश्न पर विचार करने और इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये और अन्य उपायों का सुझाव देने के लिये हाल में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मैकेनिकल तथा पुल विभागों के उप प्रधान एवं स्टैन्डर्ड्स, रिसर्च डिजायन्स तथा स्टैन्डर्ड्स आर्गेनाइजेशन के संयुक्त संचालक को मिलाकर एक समिति बनाई गई थी। समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

लघु उद्योग सेवा संस्थायें

629. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं की कुल कितनी संख्या है;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा 1963-64 की अवधि में कितनी राशि ऋण, नकद और वस्तु अनुदान के रूप में राज्यवार दी गई; और

(ग) इन संस्थाओं ने किस प्रकार के उद्योगों को सहायता दी ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उमंपत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 16 सेवा संस्थायें, प्रत्येक राज्य में एक, 5 शाखा संस्थायें और 65 विस्तार उत्पादन केन्द्र।

(ख) इन संस्थाओं के द्वारा कोई ऋण अथवा अनुदान नहीं दिया जाता है। लघु उद्योगपतियों को राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने 'उद्योगों को राज्य-सहायता अधिनियम' के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान दिये जाते हैं।

(ग) जिन उद्योगों का विकास हथकर्घा बोर्ड, रेशम बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग आदि जैसे अखिल भारतीय बोर्डों/आयोगों द्वारा किया जाता है उनको छोड़कर, अन्य सभी लघु उद्योगों को ये संस्थायें नये एककों की स्थापना, उत्पादन योजनाओं एवं आधुनिक औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में प्रविधिक सलाह देती हैं।

Ujjain-Agar Line

630. **Shri Kachhavaiya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the annual expenditure incurred on the Ujjain-Agar narrow gauge branch line and the earnings therefrom annually;

(b) whether it is running at a loss;

(c) whether Government propose to extend this line after converting it into a meter gauge line; and

(d) if so, when and if not the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath):

(a)

(Figures in thousands of Rupees)

Year	*Expenditure*	*Income*
*1961-62	3,10	2,71
1962-63	3,23	2,73

(b) Yes.

(c) & (d). No such proposal is under consideration. It has not been included in the Third Five Year Plan.

*(a) These figures have been derived on a very approximate basis, as precise accounts of Expenditure and Earnings are not maintained separately for every section of railway lines. Apportioned figures for the year 1963-64 are not yet available.

Collision near Kotah Junction

631. **Shri Onkar Lal Berva :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several persons were killed and heavy loss incurred due to the collision of two goods trains on the 31st October, 1964 nearabout Kotah Junction;

(b) if so, whether the cause of this accident has been enquired into; and

(c) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath : (a) As a result of the collision no one was killed. However, a railway employee sustained minor injuries.

The approximate cost of damage to Railway property was Rs. 19,500/-.

(b) & (c) The accident was enquired into by a Committee of Railway Officers and thier report is under scrutiny.

Kotah Railway Workshop

632. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kotah Railway workshop of the Western Railway was established in 1962 in Kotah;

(b) if so, whether it is working up to its full capacity; and

(c) if not, the details about the number of labourers working and the number proposed to be put on the job and the number of carriages repaired monthly ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The consrtuction of Kotah Wagon Repair Workshop was started in 1957 and completed in 1962. The work of repairing wagons in this workshop was commenced in October 1963 and has been progressively stepped up since.

(b) The capacity is being developed gradually to match the requirements and full potential capacity has not yet been reached. From a modest figure of 30 wagons per month at the commencement in October 1960, the capacity has now been brought up to 425 wagons per month.

(c) The present strength of staff, including supervisors, is 1445. The incentive system is being gradually extended in this workshop, and for increasing the capacity to about 550 wagons per month, which is the present target, only about 100 staff are expected ro be added.

Only wagons are repaired in this workshop and not carriages.

कलकत्ता के निकट बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी की दुर्घटना

633. श्री यशपाल सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 नवम्बर, 1964 को कलकत्ता से लगभग 60 मील दूर पूर्व रेलवे के मेमारी स्टेशन पर एक बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी के साथ हुई दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुये ;

(ख) इस दुर्घटना का क्या कारण था ; और

(ग) दुर्घटना के परिणामस्वरूप रेलवे विभाग को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) यह दुर्घटना मेमारी स्टेशन पर हुई । 16 व्यक्ति घायल हुये जिनमें तीन को गम्भीर चोटें आईं ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

(ग) रेलवे सम्पत्ति को लगभग 1,00,700 रुपये की हानि हुई ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में खाद्य ज़ोनों को समाप्त करने तथा कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू करने के बारे में किया गया निर्णय

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : **

अध्यक्ष महोदय :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I call the attention of the Minister of Food and Agriculture to the following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon :

"Decisions taken at the Chief Ministers' Conference regarding abolition of food zones and introduction of statutory rationing in major cities."

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन 17 और 18 नवम्बर, 1964 को नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में देश की मौजूदा खाद्य सप्लाई स्थिति की समीक्षा की गयी और आने वाले महीनों में अपनायी जाने वाली नीति के बारे में चर्चा की गयी। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय हुआ कि :—

(1) गेहूं के संचालन पर वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगा रहने दिया जाए और मार्च, 1965 में जब आगामी गेहूं की फसल की सम्भावनाएं मालूम हो जाएं तब इस स्थिति की फिर समीक्षा की जाए ।

(2) प्रत्येक राज्य के लिये चावल का एक पृथक क्षेत्र बनाया जाए किन्तु उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब राज्य और संघीय क्षेत्र दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश सम्मिलित हैं, में इस समय जो स्थिति है वैसी ही रहने दी जाए।

(3) कमी वाले राज्यों को सरकार से सरकार के आधार पर चावल की सप्लाई करने के लिए विशेष राज्यों में सरकारी खाते में चावल खरीदा जाएगा। सम्बन्धित राज्यों ने कमी वाले राज्यों को देने के लिए पहली नवम्बर, 1964 से 31 अक्तूबर, 1965 तक की अवधि में चावल की निम्नलिखित मात्राएं उपलब्ध करना स्वीकार कर लिया है :—

	लाख मीट्रिक टन
आन्ध्र प्रदेश	8
मद्रास .	2
मध्य प्रदेश	4
पंजाब	2·5
उड़ीसा .	3

इसके अतिरिक्त, राज्यों की आन्तरिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चावल की जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी उतनी ही खरीदी जाएगी।

(4) खरीदारी और आयात नीति का मुख्य उद्देश्य चावल और गेहूं का एक बड़ा समीकरण भंडार तैयार करना है इससे फसल के बाद की अवधि में सरकारी भंडारों से खाद्यान्नों की निकासी में कमी होगी ।

(5) कलकत्ता में संविधिक राशन व्यवस्था उस तारीख से लागू की जाएगी जिससे कि राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाए। जहां तक 10 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले अन्य नगरों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों पर ऐसे निमायक उपाय जैसे कि वह आवश्यक समझें लागू करना छोड़ दिया गया है और केन्द्रीय सरकार इन नगरों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आवश्यक सप्लाई सुलभ करेंगी। केरल में लागू अनौपचारिक राशन व्यवस्था जारी रहेगी।

(6) राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों से मोटे अनाजों के निर्यात पर रोक लगाने की अनुमति दी जाए किन्तु अधिशेष राज्य जोकि परम्परा से दूसरे राज्यों को मोटे अनाजों का निर्यात करते रहे हैं, को नियमित आधार पर ऐसा निर्यात करते रहें।

(7) दालों के संचालन पर लगे सभी प्रतिबन्ध तुरन्त हटा लिए जाएं किन्तु चने के निर्यात पर लगे वर्तमान प्रतिबन्धों को चने की आगामी फसल के आने तक लगा रहने दिया जाए और सम्बन्धित राज्य व्यापारियों द्वारा रखे गए चने के स्टाक का 50 प्रतिशत निर्यात करने देंगे।

(8) राज्य सरकारों द्वारा तेल और तिलहन के संचालन पर लगाए गए सभी प्रतिबन्ध तुरन्त हटा लिए जाएं किन्तु उत्तर प्रदेश में सरसों के संचालन पर लगे वर्तमान प्रतिबन्धों को आगामी फसल के आने तक जारी रहने दिया जाए।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that due to the food zones, the deficit areas suffer because of difficulties in the way of a movement of foodgrains and this leads to blackmarketing ? May I also know which of the states voiced their opposition to the abolition of these zones ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह निर्णय अभी हाल में किया गया है, इसलिये इसके कारण होने वाली कठिनाइयों का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता हम आशा करते हैं कि आधिक्य वाले राज्यों द्वारा कमी वाले राज्यों के लिये अनाज की खरीद से स्थिति का मुकाबला किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : किन किन राज्यों ने जोन तोड़ने का विरोध किया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वहां पर आम चर्चा हुई थी और अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये थे। परन्तु निर्णय एकमत से किये गये थे।

Shri Bade (Khargone) : Will Government reconsider the question of doing away with these zones later because the rabi harvest is in offing ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : नई रबी फसल के आने पर स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू करने के लिये 10 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले 7 नगर चुने गये थे। क्या अधिकतर मुख्य मंत्री केन्द्र द्वारा अपर्याप्त संभरण तथा राज्य स्तर पर पर्याप्त स्टाक तथा उचित वितरण व्यवस्था के न होने के कारण इस से सहमत नहीं हुए ? यदि हां, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है और उन्हें क्या सुझाव दिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन सब बातों पर चर्चा हुई थी और उसके बाद ही यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार को अपने राज्य में विद्यमान स्थिति का पुनर्विलोकन करना चाहिए और इन बड़े शहरों में उन के द्वारा किये जाने वाले नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के बारे में निर्णय करने चाहिएं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह बड़े खेद का विषय है कि केवल ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव पर ही मंत्री महोदय ने सम्मेलन में किये गये निर्णयों के बारे में सभा को जानकारी दी है जबकि पत्रों में यह समाचार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। बार बार आश्वासन दिये जाने पर भी सरकार संसद् की उपेक्षा करती रही है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो चर्चा हुई, बाद में उस पर विचार करके उसे निर्णयों का रूप दिया गया। मैं उन्हें यहां पर बताने वाला ही था कि यह प्रस्ताव गया।

श्री स० मो० बनर्जी : पत्रों में प्रधान मंत्री का उल्लेख किया गया था कि उनके कहने पर संसद् में इन निर्णयों की घोषणा न करने का फैसला किया गया है। मैंने आपको पत्र लिखा था कि इससे संसद् की उपेक्षा की जा रही है आपने मेरा नाम भी ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समाचार में कोई सचाई है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा संभव नहीं है कि सरकारी अधिकारी अथवा मंत्रीगण संसद् के बाहर कभी भी कोई वक्तव्य ही न दें। परन्तु यहां पर बार बार कहा गया है कि जब ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो संसद् को सब से पहले विश्वास में लिया जाना चाहिए।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रक्रिया)

Re: Calling Attention Notices Procedure

अध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी के ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को कल 5 बजे लिया जाना था परन्तु गणपूर्ति न होने के कारण इसका उत्तर नहीं दिया जा सका।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उसका छोटा सा उत्तर भी दिया जा चुका था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। शेष उत्तर को मंत्री महोदय सभा पटल पर रखने की कृपा करें।

हमारे नियमों के अनुसार एक बैठक में एक ही ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को लिया जा सकता है। इसलिए मैं 5 बजे इन प्रस्तावों को लेकर इन्हें निपटाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसपर भी स्वयं विरोधी सदस्यों द्वारा यह आपत्ति उठाई जाती है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया जाता है तो इसमें सभा का कोई दोष नहीं है। इसलिए अब माननीय सदस्य के प्रस्ताव का यहां पर उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, सभा में ऐसी प्रथा है कि यदि किसी विधेयक आदि पर बहस गणपूर्ति के कारण स्थगित कर दी जाती है तो उसे अगले दिन लिया जाता है। इसलिए मेरे प्रस्ताव का भी यहां पर उत्तर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बैठक के सामान्य समय के पश्चात् लिये गये ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को पुनः नहीं उठाया जा सकता। इस प्रस्ताव का केवल लिखित उत्तर ही सभा पटल पर रखा जा सकता है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : भविष्य में हम आपके इस निश्चय को ध्यान में रखेंगे। परन्तु इतने दिनों से इसका जो उत्तर नहीं दिया गया था इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं शीघ्रतिशीघ्र उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। यदि किसी मामले में बहुत अधिक विलम्ब किया जाता है तो मैं ऐसा होने के कारणों का पता लगाऊंगा। जानकारी राज्यों के माध्यम से प्राप्त की जाती है और कभी कभी ऐसा करने में देरी हो जाती है।

श्री नाथपाई : यह उचित नहीं है कि सभा में पूर्ण उत्तर न दिया जाये। मंत्री महोदय ने सभा में कल अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया था कि गणपूर्ति के बारे में आपत्ति उठाए जाने पर सभा को स्थगित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बेरकपुर) : ऐसी अलिखित परम्परा है कि 5 बजे के पश्चात् लिये गये किसी विषय पर गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। यदि ऐसा किया जाता है तो सरकार जिन ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों का उत्तर नहीं देना चाहेगी वे बेकार हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि स्वयं विरोधी सदस्य यह आपत्ति करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : * *

Mr. Speaker : This will not go on record. The reply cannot be had in this way.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The majority party is responsible for lack of quorum in the House and the opposition members have to suffer on account of that. What is the remedy for this after all ?

Mr. Speaker : The objection comes from the opposition side. The remedy is that they should not raise the question of quorum.

Shri Bagri (Hissar) : My only submission is. . . * *

Mr. Speaker : The hon. Member should kindly resume his seat.

Shri Bagri : Members of Parliament represent the whole body of people of this country. Matters pertaining to big people are allowed to be debated here but the question of the starving people is not allowed to be raised. People are dying in Kerala for want of food. . . .

Mr. Speaker : The hon. Member should sit down, otherwise I would be compelled to take action against him.

Shri Bagri : The people in Kerala are allowed only three ounces of rice and there is a ute shortage of foodgrains. They are dying of hunger.. I request you not to exclude this rference from the proceedings of the House. . .

Mr. Speaker : I request him to leave the House for the rest of the day.

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

**Not recorded

Shri Bagri : For what fault of mine I am being asked to leave the House?

Mr. Speaker : The hon. Member is persisting. I name Shri Bagri that he should leave the House for the rest of the day.

Shri Bagri : Mr. Speaker, this is too much.

(इसके पश्चात् श्री बागड़ी सभा से उठ कर चले गये)

(Shri Bagri then left the House)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय उत्पादिता दल के तिवेदन

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): मैं निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पश्चिम जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तकनीकों के बारे में भारतीय उत्पादिता दल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3476/64]

(2) पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका में माल की सभाल के बारे में भारतीय उत्पादिता दल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3477/64]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं श्री सें० वें० रामस्वामी की ओर से केन्द्रीय रेशम बोर्ड की वर्ष 1963-64 की गतिविधियों सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3478/64]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधयक

सचिव : श्रीमान, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 25 नवम्बर, 1964 को हुई अपनी बैठक में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964 को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी संलग्न प्रस्ताव पास

[सचिव]

किया है तथा यह निवेदन करने का निदेश मिला है कि उक्त प्रस्ताव से लोक-सभा की सहमति तथा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक-सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित कर दिये जायें।"

प्रस्ताव

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के 45 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें राज्य सभा के 15, अर्थात् :—

श्री जयरामदास दौलतराम, श्री पी० के० कुमारन्, प्रो० मुकुट बिहारी लाल, श्री तारकेश्वर पाण्डेय, डा० बी० एन० प्रसाद, डा० निहार रंजन राय, श्री एन० नरोत्तम रेड्डी, श्री एम० रत्नास्वामी, श्री पी० एन० सप्रू, श्रीमती शारदा भार्गव, श्री आर० पी० एन० सिन्हा, श्री दत्तोपन्त ठेंगरी, श्री एस० के० वैशमपायन, प्रो० ए० आर० वाडीया, तथा श्री एम० सी० चागला।

और लोक-सभा के 30 सदस्य हों ;

"कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि अन्य मामलों में प्रवर समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों सहित लागू होंगे जैसा कि सभापति उचित समझें ;

कि समिति आगामी सत्र के पहले दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी ; तथा

कि यह सभा लोक-सभा को सिफारिश करती है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सभा को उन सदस्यों के नाम सूचित करे जो लोक-सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने हैं।"

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि सोमवार, 30 नवम्बर, 1964 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) वर्ष 1964–65 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)
(आगे चर्चा और मतदान)

(2) मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 1964
(विचार तथा पास करना)

(3) धन-कर (संशोधन) विधेयक, 1964

(विचार तथा पास करना)

(4) बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक, 1964

(विचार तथा पास करना)

(5) खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क) संशोधन विधेयक 1964

(विचार तथा पास करना)

(6) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1964

(विचार तथा पास करना)

(7) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(विचार तथा पास करना)

(8) वर्ष 1964-65 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल)

(चर्चा तथा मतदान)

(9) श्री बड़े द्वारा पेश किये जाने वाले संकल्प पर, जो अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश, 1964 को अस्वीकार कराने के लिये है, चर्चा ।

(10) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, 1964 ।

(विचार तथा पास करना)

(11) शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा ।

(12) शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1964 को प्रश्नों को निपटाये जाने के बाद, श्री बागड़ी तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाये जाने वाले मोटर गाड़ियों के निर्माण, खपत और मूल्य के बारे में नियम 1963 के अन्तर्गत चर्चा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The report of the Bonus Commission should be discussed in the House before the expiry of the current session because this issue is agitating the minds of the labourers as some companies have not distributed bonuses as yet.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : उप-समिति ने यह भी स्वीकार किया था कि देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये एक प्रस्ताव को लिया जाये । इसलिये यह उचित होगा कि आगामी सप्ताह की कार्यावलि में इसे भी शामिल कर लिया जाये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : On an earlier occasion, it was agreed that time would be found for discussing the issue of the judgment of the Supreme Court in the constitutional dispute between U.P. Vidhan Sabha and the Allahabad High Court. May I know when that issue is likely to be discussed here?

Shri Satya Narayan Sinha : I had stated last week that Government was thinking over that matter. Now, I think and perhaps the House may also agree with me, that it would be better to discuss this issue after the opinion of the Speakers' Conference is available to us. The Conference is going to meet in January. It can be brought up in this session also if the House so desires, but Government think it advisable to know the Speakers' opinion first.

Mr. Speaker : The speakers' opinion is very clear in this matter. We should rather have the opinions of the Members of Parliament on this important issue, so that something may be done in that direction. It would be very difficulty for legislatures in India to function if they would be deprived of the privilege to furnish anybody for their contempt.

Shri Satya Narayan Sinha : Then, it is all right. We have no two opinions and a date can be fixed. I shall inform about this next week.

So far as Bonus Commission's Report is concerned, I have already stated that a Bill is being brought before the House in this very Session and Members would have ample opportunity to discuss the report.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : The hon. Minister had stated during the last session that the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be discussed during the next session. May I know when that discussion is going to take place?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बेरकपुर) : खाद्य स्थिति पर चर्चा की मांग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। नई फसल मण्डियों में आ रही है और किसानों को उचित मूल्य दिलाने की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खाद्य मंत्री का ध्यान इन सब बातों की ओर दिलाया जाना चाहिये और इस विषय पर शीघ्र ही चर्चा होनी चाहिये। फसल समाप्त होने के पश्चात् चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री सत्य नारायण सिंह : खाद्य स्थिति पर तो सभा में किसी न किसी रूप में चर्चा होती ही रही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन पर बहस के लिये समय के बारे में मैं अगले सप्ताह बताऊंगा।

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक--(जारी)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SECOND AMENDMENT) BILL—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब 26 नवम्बर, 1964 को श्री जगन्नाथ राव द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे चर्चा होगी :—

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Bade (Khargone) : We all welcome the provisions contained in this Bill but feel that it has come a bit late. Further I feel that this Bill is not a comprehensive Bill as to overcome all the difficulties experienced in the

elections. No provision has been made about the election expenses. Therefore according to me it was desirable to introduce a comprehensive Bill with all the provisions for solving the difficulties.

I think there are two Private members Bills pending in the House. One is regarding election expenses and the other is that the ministers should resign before contesting elections. What I feel that we should have a foolproof Bill having all the provisions instead of peacemeal Bills.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker I have tabled an amendment to omit following words from clause 2, lines 16 and 17 :

"Subject to any privilege which may be claimed by that person under any law for the time being in force."

I want that by omitting these lines we can give equal opportunities to all persons in regard to elections whether anybody is Governor or an ordinary man.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक के द्वारा निर्वाचन आयोग को अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्वाचन आयोग किसी को भी गवाह के रूप में बुला सकता है। तथा न्यायालय के रूप में काम कर सकता है। परन्तु मैं माननीय उपमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने गोंडा चुनाव में हुई गड़बड़ियों, अनियमितताओं पर भी विचार किया था ।

मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विधि मंत्रालय अथवा निर्वाचन आयोग के कुछ सरकारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश इसकी जांच के लिए भेजा था कि निर्वाचन आयोग द्वारा गोंडा चुनाव में कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप सच हैं अथवा नहीं।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया। यह कहा गया कि सरकार द्वारा 1957 में हुए चुनाव पर निर्वाचन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशें धीमी गति से लागू की जा रही हैं। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह सिफारिशें उनके द्वारा व्यक्त विचारों के रूप में हैं।

इस समय जो विवाद का विषय है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यद्यपि किसी भी कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि निर्वाचन आयोग गवाही आदि न ले सके परन्तु फिर भी ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था कि जिसके अधीन आयोग कोई निश्चित निर्णय दे सके। इसका पता उस समय लगा जब उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री बीरेन मित्रा का मामला आयोग को सौंपा गया था। तत्पश्चात् ही आयोग ने विशिष्ट सिफारिश की और सरकार ने यह विधेयक पेश किया।

व्यापक निर्वाचन विधि बनाने के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक निर्वाचन आयोग ऐसा करने की सिफारिश नहीं करेगा तब तक सरकार ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं कर सकेगी। इसलिए राजनैतिक दलों को निर्वाचन आयोग से कहना चाहिए कि वह इस बारे में सरकार को लिखें।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु सरकार स्वयं विस्तृत तथा व्यापक विधेयक पेश कर सकती है ।

श्री जगन्नाथ राव : जी हां सरकार स्वयं भी ऐसा कर सकती है परन्तु निर्वाचन आयोग को एक प्राधिकार बना दिया गया है और वह राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श करके ऐसा कर सकता है ।

मैं श्री यशपाल का संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब खण्डवार विचार होगा ।

खण्ड 2--(धारा 145 के बाद नये अध्याय तथा धाराओं का रखा जाना)

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 1 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1; the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

भाण्डागार निगम (अनुपूरक) विधेयक

Warehousing Corporations (Supplementary) Bill.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : श्री चि० सुब्रह्मण्यम की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 के उपबन्धों की अनुपूर्ति करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्य जानते हैं कि 1954 के कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार निगम) अधिनियम के अधीन व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य में राज्य भाण्डागार निगम तथा राष्ट्रीय सहकार विकास तथा भाण्डागार बोर्ड बनाया जाये। परन्तु सभा जानती है कि राष्ट्रीय सहकार विकास तथा भाण्डागार बोर्ड के सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अधीन हो जाने तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम के खाद्य मंत्रालय के अधीन हो जाने के कारण यह ठीक समझा गया कि दोनों को अलग अलग स्वतंत्र संगठनों का रूप दिया जाना चाहिए। तदनुसार 1962 में कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार निगम) अधिनियम, 1954 को निरसित करके राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अधिनियम, 1962 तथा भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 पारित किये गये और इनके अधीन ये दोनों निगम बनाये गये।

यद्यपि केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कृत्य वही रहे जो 1956 के अधिनियम के अधीन थे परन्तु इनमें संग्रहित होने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ा दी गई। परन्तु फिर भी विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों ने यह मांग की कि तम्बाकू, लाख, ऊन आदि को भी गोदामों में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

तम्बाकू के लिए भाण्डागार बनाने का आन्ध्र प्रदेश से 1958 में प्रस्ताव आया था। ऊन का भाण्डागार बनाने के लिये भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार का प्रस्ताव आया था तथा उसको अखिल भारतीय ऊन व्यापार संघ ने आगे बढ़ाया था। इस प्रकार इनके लिए भाण्डागार बनाना बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त इनका उत्पादन केन्द्रों तथा पत्तन नगरों में भण्डार बनाने से इनका निर्यात बढ़ने में भी सहायक होगा।

भाण्डागार निगम अधिनियम संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 43 तथा 44 में तथा संविधान की सातवीं सूची की कांकरेंट सूची की प्रविष्टि 33 में आती हैं। इसलिए यह संसद् के अधिकार में नहीं आता है कि वह तम्बाकू, ऊन, लाख आदि जैसी वस्तुओं के भाण्डागार बनाने का अधिकार दे। परन्तु यदि राज्य विधान मंडल, अनुच्छेद 252 के अनुसार ऐसा संकल्प पारित करके संसद् को ऐसा करने का अधिकार दे देती है तो ऐसा करना सम्भव हो जायेगा।

इसी कारण राज्य विधान मण्डलों को एक पत्र भेजा गया कि संविधान 252 के अधीन ऐसा संकल्प पारित कर दें। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश ने अपेक्षित संकल्प पारित कर दिये हैं तथा आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा तथा राजस्थान से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। जब दो से अधिक

[श्री दा० रा० चव्हाण]

राज्यों ने ऐसे संकल्प पारित किये हैं तो इसीलिये यह आवश्यक हम ने समझा कि भाण्डागार निगम (अनुपूरक) विधेयक, 1964 को पेश किया जाये और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह इसको पारित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि कुछ वर्षों से आन्ध्र, मैसूर तथा राजस्थान के तम्बाकू के उत्पादक तथा ऊन और अभ्रक के मालिक बार बार यह मांग कर रहे हैं कि इनके भाण्डार तथा संरक्षण के लिये विधान बनाया जाना चाहिए।

यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि तम्बाकू जैसी वस्तु जिससे हम को करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा मिलती है भांडार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नष्ट हो जाये और तम्बाकू उगाने वालों को आवश्यक संरक्षण न मिले। आज बहुत से तम्बाकू के निर्यातकर्त्ता दिखाई देते हैं। छोटे तथा बड़े निर्यातकर्त्ता हैं। ये बड़े निर्यातकर्त्ता तम्बाकू का मूल्य निर्धारित करते हैं तथा कभी कभी बेचारे उत्पादक को मूल्यों के कम अधिक होने के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि पूर्व यूरोपीय देश विदेशों में हमारी प्रतिद्वन्द्विता करने को आ गये हैं। वहां पर राज्य व्यापार निगम हमारी सहायता करता अवश्य है परन्तु इतनी अधिक सहायता नहीं कर पाता जितनी आवश्यक होती है। इसी कारण हम को विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाती है और नुकसान होता है।

इसीलिये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने उत्पादकों को यह सुविधा दें, लगभग एक वर्ष पहले आन्ध्र प्रदेश के मंत्री वाणिज्य मंत्री से मिले थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनको यह सुझाव दिया था कि ऐसा अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। संघ सरकार के परामर्श पर उन्होंने अपने विधान मंडल में ऐसा संकल्प पारित कराया परन्तु बड़े ही खेद की बात है कि इस सभा में इस विधेयक को पेश करने में इतना समय लगा।

मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्रालय और निर्यात के लिए जिम्मेदार मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय देश के रक्षित बैंक तथा अनुसूचित बैंकों से सहायता लेने का प्रयत्न करेंगे तथा तम्बाकू, ऊन, लाख और अभ्रक आदि निर्यात होने वाले पदार्थों के कुल उत्पादन के 30 प्रतिशत से अधिक भाग को केन्द्रीय भाण्डागारों में रखने में सहायता करने के लिये अपने पूर्ण प्रभाव का उपयोग करेंगे ताकि निर्यातक हमारे उत्पादकों का शोषण न कर सकें और अन्य देशों के निर्यातक हमारे द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य कम न करवा सकें। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र के सम्बन्धित मंत्रालय मेरी इन बातों पर विचार करेंगे हमारे उत्पादकों को संरक्षण देंगे।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker Sir, I welcome this Bill but want to say something in regard to things which are missing and which should have been incorporated in this Bill.

First thing is that we are finding corruption in all round and specially in the Tobbaco. I want to tell you that in U.P. the price of tobbaco is Rs. 45 per maund but the tax on it is Rs. 75 per maund and so the inspectors, who are friends and relatives of Ministers, ask growers to store two maunds in the warehouses and allow the remaining to sell at thier own prices. In this way growers do not pay that tax and inspectors, also earn by this unfair means. So I want that this should be checked.

Our Government agree that every year about Rs. 47 lacs of worth of wheat is being lost as there are no proper storing facilities exist in this country Therefore the first necessity these days is to increase our storage facilities so that we can save the wheat.

The next point that I want to emphasize is that we should not have dual system in this regard. We have provided that the head office of this food corporation will be at Madras while the head office of the warehousing Corporation will be in New-Delhi. According to my belief the Government officials will prepare T.A. Bills of lakhs of Rupees and will be benefited. Therefore I suggest that we should have both these offices at one place. Further I suggest that we should demarcate the jurisdictions of these both corporations so that these should not have any misunderstanding in that regard.

Shri Bade (Khargone) : I welcome the provisions of this bill because we are allowing state Governments to store tobbaco, lac and wool in these warehouses. I agree that the central Government cannot legislate in this regard as this was state subject, unless state Governments pass resolution under article 252. I am happy that Andhra Predesh, Gujarat, Kerala, Madras, Panjab and U.P. passed such resolution. But I want to know whether centre would not provide for this if such resolutions would not be passed by other states. This is a anomalous situation. When we know that our producers are being affected and they are losing them we should ask state Governments to legislate in this regard and allow producers to store thier products in these warehouses. We should also provide that not only these things which are mentioned but all other commodities should also be allowed to be stored in these warehouses.

Now a days we have provided this storage facility for traaer only and producers themselves cannot store their product. Therefore I suggest that we should provide these storage facilities to our farmers and producers so that traders only should not be benefited.

Shri Sivamurthy Swamy (Koppl) [Mr. Speaker, Sir, I welcome this Bill and want to draw the attention of the Minister that only traders are being benefited by these warehouses and the farmers and agriculturists are not getting benefit. This is due to the fact that all these warehouses have been established in big cities and not in villages.

I support the provisions made in this Bill regarding tobbaco but want to emphasise that the farmers and growers of tobbaco also should be allowed to store. I want only farmers should be allowed to store because they suffer much and big traders flourish by this storing.

श्री कृ० ला० मोरे (हतंकगले) : मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक पेश किया । विधेयक के उद्देश्यों में बताया गया है कि इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा राज्य भाण्डागार निगम को, बीज, खाद, उर्वरक आदि का भाण्डार करने के अधिकारों के अतिरिक्त उनमें तम्बाकू, ऊन आदि रखने के भी अधिकार मिल जायेंगे ।

1962–63 के लिए केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रतिवेदन में बताया गया है कि इस समय केन्द्रीय भाण्डागार निगम की क्षमता 78 भाण्डागार है जिनमें 18,01,730 बोरे रखे जा सकते हैं । राज्य भाण्डागार निगम के पास 422 भाण्डागार तथा 80 उप-भाण्डागार हैं जिनमें 4,31,887 मीट्रिक टन माल रखा जा सकता है । यह क्षमता 31 मार्च 1963 को थी । मैं जानना चाहता हूं कि देश की बढ़ती हुई भाण्डागार की मांग को वर्तमान क्षमता से किस प्रकार पूरा किया जायेगा ।

खाद्य निगम विधेयक ने भाण्डागार निगम के काम को महत्वपूर्ण बना दिया है । हम जानते हैं कि खण्ड 7(1)(सी) के अधीन भाण्डागारों का प्रबन्ध निदेशक खाद्य निगम के निदेशकों में से एक होगा । इसके अतिरिक्त ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने यह सिफारिश की है कि भाण्डागार तथा स्टोर करने की संगठित योजना से कृषि वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण की समस्या हल हो सकेगी । हम जानना चाहते हैं कि इन सिफारिशों को लाग करने से क्या परिणाम निकले हैं ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 22 पर दिया हुआ है कि भाण्डागारों के निर्माण हो पाया है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि भाण्डागारों के निर्माण का काम तालुका पंचायतों, ज़िला परिषदों तथा किसानों के संगठनों को सौंपा जाना चाहिए । तथा उनको ऐसा करने के लिए सरकार को पेशगी धन देना चाहिए । अन्त में मेरा एक सुझाव यह है कि इन भाण्डागारों में अपनी वस्तुएं रखने का अधिकतम अधिकार किसानों को ही दिया जाना चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं परन्तु साथ ही साथ यह बताना चाहती हूं कि हमारे देश में गरीब किसान हैं और उनको अपनी बुवाई, कटाई के लिए ऋण लेना पड़ता है जिससे अनाज उगते ही या तो ऋणदाता उनकी फसल उठा कर ले जाते हैं अथवा किसानों को अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है । इसलिये यदि सरकार चाहती है कि भाण्डागारों की सुविधा से वास्तव में किसानों को लाभ पहुंचे तो उनको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे किसानों की ऋणग्रस्तता दूर हो ।

सभा में बताया जाता है कि किसानों को बड़े प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं और हमको गलतफहमी हो जाती है । मैं बताना चाहती हूं कि वास्तव में बिचौलियों को इन प्रोत्साहनों से लाभ होता है । मैं हाल में ही अपने राज्य का दौरा करने गई थी और वहां पर मुझे बताया गया कि सरकार ने धान के भाव 14 रुपये 20 पैसे निश्चित किए हैं परन्तु व्यापारी तथा महाजन अधिकतम 11 रुपये के भाव पर खरीद रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि भाण्डागार निगम को यह अधिकार सौंप दिया जाना चाहिए जिससे यह निगम सरकार की ओर से अनाज खरीद कर अपने भाण्डारों में जमा कर सके और किसानों को सरकार द्वारा घोषित मूल्य मिल सकें । अन्यथा किसानों को फसल पर कम मूल्य पर अनाज बेचना पड़ता रहेगा तथा फसल समाप्त हो जाने पर अपने

खाने के लिये भी अधिक भाव पर खरीदना पड़ता रहेगा। इसलिये आप इन दोनों निगमों को यह अधिकार दे दें जिससे ये किसानों को ऋण दे सकें तथा सरकार द्वारा घोषित भाव पर अनाज खरीद सकें ।

Shri K. N. Tiwari (Bagha): Sir, I welcome and support this Bill. This Bill is meant for the storge of Tea, Wool and Tobboco so I want to tell you the storing capacaity and the production figures of 1962-63. In 1962-63 the total production of lack was 22,115 in Ranchi and Palau of Bihar but the storage capacity there was of 500 tons. In West Bengal the production was 6,345 tons but the storage capacity was of 500 tons. The production of wool in M. P. was 8,400 tons but the storage capacity was of 500 tons. The production in Maharashtra was 1500 tons but storage capacity was 500 tons, the production in Rajasthan was 16,000 tons but there was no storage facility available. Out of this 16,000 tons, about 60 percent was exported. If there would have been storage facility than I think all this production would have been exported.

I suggest that storage capacity should be provided at Bombay and Madres for tobacco.because we export this commodity to the tune of Rs. 21.1 crores. And if storge capacity will be provided at these parts then we can check the wastage which this commodity suffer due to pests and otherwise.

Further I suggest that we should make provision for the storage of foodgrains which we are going to procure from farmers. In the end I welcome and support this Bill.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : यह बड़ा ही लाभदायक विधेयक है क्योंकि इसके द्वारा ऊन, लाख आदि को भाण्डागारों में रखने की व्यवस्था की जा रही है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the chair.*]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि किसान गरीब हैं और इसी कारण उनको कम मूल्य पर पहले अपनी फसल बेचनी पड़ती है तथा बाद में जब अनाज खत्म हो जाता है तो अपने खाने के लिए भी बाजार से अधिक मूल्यों पर खरीदना पड़ता है । संभव है एक सीमा तक उनकी यह बात सच हो परन्तु मेरा अपना विचार यह है कि भारतीय किसान अपने खाने योग्य अनाज पहले ही रोक लेता है तथा फसल का उतना ही भाग बेचता है जिसको वह समझता है कि उसके अपयोग से अधिक है ।

अतः मैं समझता हूं कि यह बड़ा ही लाभदायक विधेयक है ।

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर–उत्तर): हमने देश में कितने ही गोदाम बनाये हैं । इन में से कुछ राज्य भाण्डागार निगम के अधीन तथा कुछ केन्द्र के अधीन आते हैं । परन्तु मैं समझता हूं कि इन गोदामों में बहुत ही कम स्थान है । इसलिए जरूरी है कि हम इन गोदामों का डिजाइन आदि इस प्रकार का बनायें जिससे इनमें पर्याप्त स्थान हो तथा चूहे आदि अनाज को बरबाद न कर सकें । मैं जानता हूं कि स्वतन्त्रता मिलने से पहले एक बार बेलगाम में उचित भाण्डागार सुविधा न होने के कारण 10,000 टन चावल नष्ट हो गया था इसलिए मेरा यही सुझाव है कि हमें अपने गोदामों का निर्माण ऐसा करना चाहिए जिनमें पानी न जा सके तथा न चूहे हो सकें और इस प्रकार खाद्य पदार्थों को बरबाद होने से बचाया जा सके ।

श्री दा० रा० चव्हाण : मेरे मित्र श्री रंगा ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए बताया कि इसको काफी समय पहले पेश किया जाना चाहिए था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद तम्बाकू जैसी बहुत सी वस्तुएं भाण्डागारों में रखी जा सकेंगी ।

श्री मोरे ने बताया कि 1962–63 में 78 भाण्डागार थे । मैं बताना चाहता हूं कि 1963–64 में इनकी संख्या बढ़ कर 85 हो गई तथा इनमें 20,49,000 टन सामान रखा जा सकता था । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हम गोदामों तथा उनकी क्षमता को क्रमशः बढ़ाते जा रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने सुझाव दिया कि भाण्डागार निगम को किसानों से अनाज खरीदने के अधिकार दिए जाने चाहिएं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इन निगमों का काम अनाज खरीदना नहीं अपितु अनाज तथा अन्य वस्तुओं को भाण्डागारों में रखने की व्यवस्था करना है । इस काम के लिए हमने खाद्यान्न निगम बनाया है। इस विधेयक को पेश केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि इन भाण्डागारों में तम्बाकू, लाख, ऊन आदि को रखने की व्यवस्था हो सके ।

मेरे एक मित्र ने यह सुझाव दिया कि भाण्डागारों में अनाज बड़ा नष्ट हो जाता है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय भाण्डागारों में अनाज 0·197 प्रतिशत नष्ट हो जाता है । मैं समझता हूं कि यह क्षति बहुत कम है । उन्होंने यह भी कहा कि एक विशेष डिज़ायन के भाण्डागार बनाए जाने चाहिए । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम नये भाण्डागार ऐसे बना रहे हैं जो "डेम्प प्रूफ", "रोडेट प्रूफ" तथा "बर्ड प्रूफ" हैं । श्री बड़े ने कहा कि अन्य राज्य अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत संकल्प क्यों नहीं पारित कर रहे हैं तथा उनको ऐसा संकल्प पारित करने को बाध्य किया जाना चाहिए । मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी राज्यों को बार बार याद दिला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अपेक्षित संकल्प पारित कर दें ।

इन शब्दों से अनुरोध करता हूं कि कृपा करके इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 के उपबन्धों की अनुपूर्ति के विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 added to the Bill

खण्ड 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Schedule, Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री बा० रा० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

करों की अस्थायी वसूली (संशोधन) विधेयक

PROVISIONAL COLLECTION OF TAXES (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

'कि करों की अस्थायी वसूली (संशोधन) अधिनियम, 1931 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

यह एक साधारण सा विधेयक है और मैं इसके उद्देश्यों के बारे में ही कुछ बताऊंगा ।

करों की अस्थायी वसूली (संशोधन) अधिनियम, 1931 से सरकार घोषणा करके सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने अथवा उसको बढ़ाने के सम्बन्ध में किसी भी विधेयक को उसके संसद् में पुरःस्थापित होने के बाद, लागू कर सकती है । इस प्रकार घोषित विधेयक के उपबन्ध उसके संसद में पुरःस्थापित होने की तिथि के तुरन्त बाद लागू हो जाते हैं और केवल 60 दिन तक लागू रहते हैं । इस प्रकार यदि इस अवधि के समाप्त हो जाने तक विधेयक, कानून नहीं बन जाता तो इसके प्राधिकार के अन्तर्गत उगाहा गया शुल्क वापस करना पड़ता है ।

सभी सदस्य जानते हैं कि सीमा शुल्क अथवा उत्पादन शुल्क लगाने अथवा उसमें वृद्धि करने के प्रस्तावों का बाज़ार पर तुरन्त असर पड़ता है और प्रायः प्रत्येक बार शुल्क लगाये जाने अथवा उसमें वृद्धि करने के प्रस्तावों की घोषणा किये जाने के तुरन्त बाद आम जनता को अधिक मूल्य देना पड़ता हैं । निर्माताओं के पास जो माल पड़ा होता है अथवा बन्दरगाहों की गोदियों अथवा भाण्डागारों में से जो माल बाजार में जाने के लिए बाहर निकलने वाला होता है उस पर, इसके परिणामस्वरूप जो उनको अनुचित लाभ होता है उसको सरकार को वसूल करना होता है और

[श्री रामेश्वर साहू]

ऐसा करों की अस्थाई वसूली अधिनियम के अधीन किया जाता है। तदनुसार इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक वित्त विधेयक में हर बार यह घोषणा रखी जाती है और कभी कभी सीमा शुल्क अथवा उत्पादन शुल्क लगाये जाने या इनको बढ़ाने सम्बन्धी अन्य विधेयकों में भी ऐसी घोषणा शामिल की जाती है ।

पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिये अतिरिक्त साधनों को इकट्ठा करने के लिये जो अधिक कर लगाये गये हैं इसी कारणवश वार्षिक वित्त विधेयकों में पहले वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक खंड तथा उपखंड रहे हैं और यह उचित ही है कि माननीय सदस्य इन विधेयकों पर विचार करने के लिये अधिक समय मांगें। परन्तु इसको इस सम्बन्ध में एक अड़चन है और वह यह है कि करों की अस्थायी वसूली अधिनियम में 60 दिन का समय निर्धारित किया गया है। हमने इसी अड़चन को दूर करने के लिये यह विधेयक पेश किया है और इन 60 दिनों की अवधि को बढ़ा कर 75 दिन की अवधि रखने की व्यवस्था करने का उपबन्ध किया गया है। इससे हमको पर्याप्त समय मिल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि करों की अस्थायी वसूली (संशोधन) अधिनियम 1931 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

'कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये :

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री रामेश्वर साहू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1964-65

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1964-65

वर्ष 1964-65 के लिए सामान्य आय-व्ययक के संबंध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
9	शिक्षा	1,000
41	खाद्य तथा कृषि मंत्री का अन्य राजस्व व्यय	2,00,00,000
76	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	25,000
90	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय	9,93,000
95	अणु शक्ति विभाग	98,000
96	अणु शक्ति अनुसंधान	33,87,000
108	लोक सभा	10,00,000
110	राज्य सभा .	8,40,000
125	खाद्यान्न का क्रय	1,00,00,00,000
136	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,000

अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
125	15	श्री स० मो० बनर्जी	. विभिन्न राज्यों को आयात खाद्यान्न की अपर्याप्त सप्लाई	100 रुपये
9	18	श्री बड़े	. शिक्षा आयोग के निर्देश पद .	100 रुपये
41	21	श्री बड़े	. चीनी निर्यात नीति की असफलता	100 रुपये
90	23	श्री बड़े	. पूर्वी पाकिस्तान के अप्रव्रजकों के शिविर की असंतोषजनक दशा	100 रुपये
96	24	श्री बड़े	. चीन के बम विस्फोट का पता लगाने में असफलता	100 रुपये
136	28	श्री बड़े	. मध्य प्रदेश में कोबरा एलुमीनियम परियोजना तथा एलुमीनियम स्मैलटरको अन्तिम रूप देने में विलम्ब	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये मांगें और कटौती प्रस्ताव अब सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : (कोप्पल) : श्रीमन्, मेरे भी कुछ कटौती प्रस्ताव हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह बताते हुए खेद है कि वे सभी के सभी ठीक नहीं हैं। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। श्री बनर्जी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : शिक्षा मंत्रालय की मांग संख्या 1 के सम्बन्ध में मुझे यह कहना हैं कि सरकार ने कोठारी आयोग के नाम से जो एक शिक्षा आयोग की स्थापना की है वह मुझे बहुत पसन्द है। कोठारी आयोग जैसे आयोग की वास्तव में बहुत आवश्यकता थी और शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था इसे चाहती थी। मैं शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि मुदालियर आयोग के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई हैं। श्री चागला ने कहा था कि प्राथमिक पाठशालाओं, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को कुछ रियायतें दी जायेंगी। अध्यापकों के लिये एक त्रि-लाभ योजना तैयार की गई थी। और यह कहा गया था कि यदि कोई राज्य सरकार उसकी क्रियान्विति पर 50 प्रतिशत व्यय करेगी तो शेष 50 प्रतिशत व्यय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जायेगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। शिक्षा मंत्री सदन को कृपया यह बतायें कि क्या उपदान, सेवा निवृत्ति वेतन तथा भविष्य निधि सम्बन्धी योजना, जो कि अध्यापकों के लिये बुढ़ापे की अवस्था में तथा इस समय भी लाभदायक हैं, को क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है और यह कि कितने राज्य इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं।

अब मैं मांग संख्या 92 को लेता हूं। कलकत्ता के लेखन सामग्री तथा मुद्रण संघ के सभापति ने मुझे बताया है कि उस विभाग में कर्मचारी पिछले 8 अथवा 9 वर्षों से कार्य कर रहे हैं—सामान्य मामलों में लगभग पांच वर्षों से और वे अभी तक या तो कार्य-भारित अथवा आकस्मिक कर्मचारी ही हैं। सरकार ने तथा मुद्रण महानियंत्रक (चीफ कंट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग) ने स्थायीकरण सम्बन्धी एक योजना स्वीकार की थी परन्तु फिर भी उन कर्मचारियों को अभी तक भी नियमित कर्मचारी नहीं बनाया गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस विषय में दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करे।

चीनी के निर्यात सम्बन्धी मांग संख्या 41 में यह कहा गया है कि अमेरिका, तथा पश्चिमी यूरोप, हांग कांग आदि देशों को चीनी के निर्यात में चीनी उद्योग को हुए घाटे को पूरा करने के लिये राजकीय वित्तीय सहायता देने के हेतु 2 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की आवश्यकता है। हमारे यहां चीनी का अभाव है। 33 लाख टन के अपने लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाये हैं। इस मौसम में भी गन्ने की दर को बढ़ाकर 2 रुपया कर देने की गन्ना उगाने वालों की मांग को पूरा नहीं किया गया है जिससे ऐसी संभावना हो सकती है कि वे अपने गन्ने से गुड़ अथवा खांड बनायें। उन्हें यह प्रोत्साहन दिया गया हैं कि यदि विश्लेषण करने पर उनके गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक पाई गई तो उन्हें अधिक मूल्य दिया जायेगा। गन्ने के मूल्य को गन्ने में चीनी की मात्रा के साथ

सम्बन्ध करना अनुचित है; इसकी सदन में भी आलोचना की गई थी। हमारे देश में चीनी की खपत 22 लाख टन से बढ़कर 26 लाख टन हो गई है। देश में चीनी का अभाव है और उस पर राशन है। फिर हम इसका निर्यात किस प्रकार कर सकते हैं? हमें निर्यात में भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। सदन को स्पष्टतया यह बताया जाना चाहिये कि हम कितनी चीनी का निर्यात करने के लिये वचनबद्ध हैं और यह कि वह निर्यात कब तक पूरा हो जायेगा। यदि देश की खपत की अपेक्षा करके चीनी का निर्यात किया गया तो इसका खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अब मैं आयात किये गये खाद्यान्न के राज्यों को अपर्याप्त सम्भरण से सम्बन्धित अपने कटौती प्रस्ताव सख्या 15 के बारे में कुछ कहूंगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद में खाद्यान्न का बहुत अभाव है। लखनऊ जैसे नगर में लोगों को 8 किलो प्रति माह और कानपुर में इससे भी कम 6 किलो प्रति माह आयातित गेहूं दिया जा रहा है। यह बड़ी विचित्र बात हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को जो खाद्यान्न दिये गये हैं वे सस्ते मूल्य वाली दुकानों के द्वारा राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भी पर्याप्त नहीं हैं। अक्टूबर के महीने में जब नया चावल कानपुर आदि स्थानों पर उपलब्ध था तो वह एक रुपये का एक सेर छः छटांक मिल रहा था। एक सप्ताह पश्चात ही वह एक रुपये सेर हो गया। इस सरकार के राज्य में बैंगन, टमाटर और आटा सभी एक रुपये सेर बिक रहे हैं। अब इस सम्बन्ध में क्या कहा जाये। आज के 'पैट्रियट' नामक समाचारपत्र में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में चावल मिल ही नहीं रहा है। सरकार को लोगों के लिये अनाज की व्यवस्था करने, शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने तथा लोगों के प्रति न्याय करने के लिये प्रशासन को चलाने के अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिये।

मेरी अन्तिम बात संघ राज्य क्षेत्रों और अणु शक्ति संगठन में दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के बारे में है। लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों का भत्ता 21 रुपये प्रतिदिन से बढ़ा कर 31 रुपये प्रतिदिन और वेतन 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है परन्तु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। कल भी वित्त मंत्री महोदय इस संशय में प्रतीत होते थे निर्वाह-व्यय सूचनांक के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाये अथवा एक व्यक्ति के आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जाय। देश भर के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी विक्षुब्ध हैं क्योंकि उन्हें सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों ने सस्ते अनाज की दुकानों की मांग की परन्तु उसे इस दलील पर अस्वीकार कर दिया गया कि संविधान के अनुसार किन्ही दो कर्मचारियों, व्यक्तियों अथवा नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। खाद्य मंत्री महोदय खाद्यान्न के अभाव की स्थिति पर ध्यान दें तथा कर्मचारियों की कठिनाई और उनकी विक्षुब्धता को देखते हुए सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूर्ण करने का शीघ्र प्रयत्न करें। वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि साल भर में निर्वाह व्यय के 10 अंक बढ़ जाने पर सरकार को अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि अनिवार्यतः करनी चाहिये। इस सिफारिश की क्रियान्विति करके सरकार अपने आश्वासन को पूरा करे।

Shri S.N. Chaturvedi (Firozabad) : Mr. Deputy speaker, Sir, regarding Demand No. 41 dealing with sugar industry I may point out that Government are bearing the loss to the tone of 2 crores of rupees for earning foreign exchange worth Rupees 18 crores. Our cost of production of suger comes to Rs. 895 per ton while it is being exported at such a low rate as Rs. 387 per ton. I am at a loss to understand as to how this transaction is deemed to be justified when there is scarecity of sugar in the country and its cost of production is higher. I am not aware of the export commitments made by the Government and of the fact whether any price was fixed therein or not. It is stated that our sugar is being exportrd at the rate of Rs. 387 to Rs. 977 per ton. If it is exported at the rate of Rs. 977 per ton then it is justified because we must earn at least some profit on our cost of production. We should not be put to any loss in overall export transactions.

In Demand No. 96 regarding Atomic Energy Rs. 33.87 lakhs have been asked for but most of it is meant to meet the dearness allowance etc. and only Rs. 8 lakhs have been provided for specialised items of equipment and stores—both indigenous and imported. More funds should be provided for research in atomic Energy since the Chinese explosion of an atom bomb has increased the danger to the security of the country. We must pay atmost attention on developing our Atomic Energy so that after some time we may have the capacity and be in a position to manufacture the atom bomb, though we may not like to manufacture it as at present. It is stated that it entails such a heavy expenditure as will effect the development of the country. But nothing could be said about the success of research. Many things costing very high earlier are available at much cheaper rates,now *e.g.* penicillin. It may be possible that while conducting research in Atomic Energy our scientists find out some such thing which may enable us to produce it at a lower cost and derive maximum utility. More funds may, there fore be provided for reseaceh in Atomic Energy and maximum possible assistance given. At present our plutonium production capacity does not stand in comparision to China. There are possibilites that China may have an atomic artillery or manufacture atomic bullets for use in conventional weapons, consequent to which our weapons may prove obsolete, endangering the security of the country. I, therefore feel that keeping in view all these things it has become necessary for us to keep pace with the scientific progress in the world.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैंने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है परन्तु मैं सामान्यतया कुछ कहना चाहता हूं। मैं पहले मांग संख्या 41 के बारे में कुछ कहूंगा। चीनी निर्यात करने की सरकार की नीति का मैं कोई औचित्य नहीं समझता। 1961-62 में चीनी के अधिक उत्पादन के कारण सरकार तथा उद्योग दोनों परेशान हो गये और उन्होंने मिलकर चीनी के निर्यात के बारे में समझौता किया जिसका परिणाम यह हुआ कि हम निर्यात के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके और वह स्थिति अब भी बनी हुई है। चीनी के वितरण पर कड़ा नियंत्रण होने के बावजूद भी चीनी का मूल्य बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में सरकार को च नी का निर्यात बन्द कर देना चाहिए और चीनी का निर्यात तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक हम देश की मांग उचित मूल्य पर पूरी करने की स्थिति में नहीं हो जाते हैं।

अब मैं मांग संख्या 96, 108 तथा 110 पर आता हूं। ये मांगें महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि तथा लोक-सभा और राज्य-सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों में हुई वृद्धि के कारण उत्पन्न

हुई हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब सरकार को इन खर्चों को पूरा करने के लिये धन की स्वीकृति तुरन्त दे दी जाती है तब सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई का लाभ देने में इतनी देरी क्यों करती है। सरकार की मुद्रास्फीति की नीति के कारण है मूल्यों में वृद्धि होती है और उसका सबसे अधिक प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर पड़ता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे निर्वाह मूल्य में वृद्धि होने के साथ साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में स्वतः ही वृद्धि की जा सके। जब गैर-सरकारी उद्योगों को इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये कहा जाता है तो कोई कारण नहीं कि सरकार अपने कर्मचारियों के बारे में, विशेषकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बारे में यह व्यवस्था न करे। मेरा निजी अनुभव है कि इन कर्मचारियों को महंगाई के कारण बड़ी कठिनता से अपना निर्वाह करना पड़ता है। मुझे आशा है कि इन अनुपूरक मांगों पर दिये गये सुझावों का उत्तर देते समय सरकार यह घोषणा करना उचित समझेगी कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निर्वाह मूल्य में हुई वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए तुरन्त ही पर्याप्त बढ़ोतरी करेंगी।

मैं मांग संख्या 136 के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह कोयला तथा कोर्बाएल्युमिनियम परियोजनाओं के बारे में है। कोयना एल्युमिनियम परियोजना की एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा जांच की गई थी। ऐसी परियोजना पर बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। खटाऊ ग्रुप द्वारा इस परियोजना को दो कारणों से छोड़ दिया गया। एक कारण यह था कि सरकार उत्पादन की काफी मात्रा को निर्यात करना चाहती थी चूंकि एल्यूमिनियम का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारत के मूल्य से काफी कम है इसलिये कोई भी गैर-सरकारी सार्थ यह हानि उठाने के लिये तैयार नहीं होगा। दूसरा कारण यह था कि औद्योगिक वित्त निगम ने इतना अधिक ऋण देने में अपनी असमर्थता प्रकट की। परिणामतः यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में लेनी पड़ी।

मेरा पहला सुझाव यह है कि जब इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र में लिया जा रहा है तो इसका उत्पादन लक्ष्य और अधिक क्यों नहीं किया जा रहा है, प्रस्तावित लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। जब इस परियोजना पर आरम्भ में विचार किया गया था तो मैसूर सरकार ने भी इस में भागीदार बनने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। एल्युमिनियम उद्योग के लिये बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है और मैसूर सरकार की शारावती परियोजना से काफी बड़ी मात्रा में बिजली उपलब्ध होने की आशा है। इसलिये मुझे आशा थी कि मैसूर में भी इस परियोजना से सम्बन्धित एक स्मेल्टर प्लांट आदि लगाया जायेगा ताकि यह परियोजना लाभदायक सिद्ध हो सके। परन्तु यहां पर उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसलिये इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र की परियोजना नहीं कहा जा सकता।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्यात की शर्त जो गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजना के रूप में इस पर लागू की गई थी, वह अब भी लागू होनी चाहिए। मुझे यह इसलिये कहना पड़ा क्योंकि यहां पर उस शर्त का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

जहां तक कोर्बा एल्युमिनियम परियोजना का सम्बन्ध है, वह एक असंतुलित परियोजना है। यह कारखाना 1,20,000 टन एल्युमिनियम पैदा करेगा और 30,000 टन क्षमता का एक एल्युमिनियम स्मेल्टर होगा। एल्युमीना तथा एल्युमिनियम में सामान्य अनुपात $2\frac{1}{2} : 1$ होता है। इसलिये सरकार को यह बताना चाहिये कि इस अतिरिक्त एल्युमीना को वह किस प्रयोग में लाना चाहती है यदि इसकी खपत के लिये और कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, तो फिर एल्युमीना के उत्पादन का इतना अधिक लक्ष्य रखना सारहीन है।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : मैं अणुशक्ति विभाग की मांगों का तब तक स्वागत करती रहूंगी जबतक अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिये किया जाता रहेगा। हाल ही में जो महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं, उनमें चीन द्वारा अणु बम का विस्फोट भी एक है। इस विस्फोट के कारण हमें अपना संतुलन नहीं खो देना चाहिये अपितु शांतिपूर्वक इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। हमें इस विस्फोट के पीछे चीन के उद्देश्यों का अध्ययन करना चाहिये और तभी कोई रास्ता अपनाना चाहिये।

मेरी राय में चीन का मुख्य अभिप्राय डर उत्पन्न करके एक प्रकार का सम्मान प्राप्त करना है। विकासशील देशों को डरा कर चीन उन्हें अपने प्रचार का शिकार बनाना चाहता है। इसलिये हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे चीन का यह उद्देश्य पूरा हो जाये। यदि हम अणु बम बना भी लें तो उसका विस्फोट करके हम मास्को टेस्ट बैन संधि का उल्लंघन करने के दोषी ठहराये जायेंगे। इससे विश्व में हमारे सम्मान को आघात पहुंचेगा। अणु विस्फोटों से पास के देशों के लोगों के स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है। चीन ने ऐसा करके स्वयं अपने लिये ही नहीं अपितु एशिया के अन्य देशों के लिये भी खतरा उत्पन्न कर दिया है। इसलिये हमें इन सब देशों का समर्थन प्राप्त करके इस विस्फोट का कड़ा विरोध करना चाहिये और चीन की चाल को निष्प्रभावी कर देना चाहिये। हमें जल्दी में कोई निर्णय करके गलत कदम नहीं उठाना चाहिये।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन से, जो 25 नवम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लाइसेंसों, परमिटों आदि के विवरण के नियंत्रण के लिये बोर्ड के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : BOARD FOR THE CONTROL OF DISTRIBUTION OF LINCENCES, PERMITS ETC.—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 3 अक्तूबर, 1964 को श्री प० ह० भील द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :—

"इस सभा की राय है कि देश में लाइसेंसों, परमिटों और कोटा के वितरण का नियंत्रण करने के लिये एक स्वतंत्र गैर-राजनीतिक संविहित बोर्ड नियुक्त किया जाये।"

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि भूतपूर्व उद्योग तथा संभरण मंत्री श्री दासप्पा द्वारा आरम्भ किये गये कार्य को समाप्त करने का भार मुझ पर आ पड़ा है, उन्होंने ठीक ही अपने भाषण को सरकार की आर्थिक नीति के मूल सिद्धान्तों से शुरू किया था। हम इस सभा द्वारा स्वीकृत योजना-बद्ध विकास कार्यक्रम को कार्यरूप में परिणित करने के काम में लगे हुए हैं।

1951 में उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम पास किया गया था। उसका उद्देश्य उद्योगों का विनियमित रूप से विकास करना था। उस में यह भी उपबन्ध था कि यदि किसी उद्योग की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है तो उस दिशा में कदम उठाए जायें। बाद में औद्योगिक नीति संकल्प सभा द्वारा एकमत से पास किया गया। उसमें विकास के कुछ तरीके निर्धारित किये गये थे। उस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिये बहुत संगठन तथा निकाय कायम किये गये थे जिनका काम यह देखना था कि उन योजनाबद्ध विकास पद्धतियों को ठीक तरह अपनाया जाता है अथवा नहीं। लाइसेंसिंग समिति भी उनमें से एक है और इसका काम यह देखना है कि उद्योग ठीक दिशा में प्रगति करें।

इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि केवल एक स्वतंत्र निकाय इतने सारे कामों को कैसे कर सकता है जैसाकि इस संकल्प में सुझाया गया है। राज्य स्तर पर भी लाइसेंस आदि देने का कार्य किया जाता है। दिल्ली स्थित ऐसा एकमात्र निकाय इन सब कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। इसलिये इस प्रकार का कोई सुझाव देने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। जब हम देश का तेजी से विकास करना चाहते हैं तो संसाधनों की कमी की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। प्रत्येक उन्नत देश को विकासकालीन अवधि में ऐसी कमी का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में किसी न किसी संगठन को इन सीमित संसाधनों के आवंटन का कार्य हाथ में लेना होता है। मेरा विचार था कि इन कार्यों के विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया जायेगा परन्तु इस के विपरीत इस संकल्प द्वारा इनका केन्द्रीयकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह सुझाव केन्द्र के लिये है ; राज्यों में इसी प्रकार की समितियों की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री त्रि० ना० सिंह : इस संकल्प का तो केवल यही अर्थ निकलता है। यहां तक कि इसके समर्थन में बोलने वाले वक्ता ने भी इसका कोई अन्य अर्थ नहीं लगाया है। अपने सीमित संसाधनों का आवंटन करने की समस्या बहुत जटिल है। हमें विदेशी मुद्रा तथा देश में उत्पादन आदि की समस्याओं को ध्यान में रखना होता है। अतः एक स्वतंत्र निकाय सरकार के नियमित संगठनों की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकता।

श्री कपूर सिंह ने इस संकल्प पर बोलते हुए कहा है कि संकल्प में सुझाया गया निकाय नीति निर्धारित नहीं करेगा अपितु उसका काम नीति को कार्यान्वित करना होगा। परन्तु इस तरीके से समस्या को हल नहीं किया जा सकता। यह कहा गया है कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिये जो लाइसेंस आदि की मंजूरी देने में सरकार को परामर्श दे तथा नीतियां निर्धारित करे। उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् पहले से ही मौजूद है उसके नीचे एक पुनर्विलोकन समिति कार्य करती है जो किसी विशेष मामले की ओर ध्यान दिलाया जाने पर तथा स्वतः

[श्री त्रि० ना० सिंह]

भी लाइसेंस के किसी मामले की जांच करती है । उस समिति में उद्योगों के प्रतिनिधि, संसद् सदस्य तथा अन्य गैर-सरकारी व्यक्ति मौजूद हैं । इसलिये लाइसेंस, आदि देने के नीति सम्बन्धी अथवा अन्य प्रश्नों की जांच करने का अधिकार पहले ही एक गैर-सरकारी निकाय को प्राप्त है ।

इस संकल्प की अन्य बातों की ओर आने से पूर्व मैं कुछ उन बातों के बारे में कहूंगा जिनका कि कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। श्री शिवामूर्ति ने कमालपुर चीनी उद्योग को लाइसैन्स न मिलने की शिकायत की है। इस बारे में स्थिति यह है कि 1961 में चीनी के उत्पादन में काफी वृद्धि हो गयी थी, जिसके फलस्वरूप विस्तार का कार्य चीनी मिलों में रोक दिया गया था। इसी कारण यह आवेदन पत्र भी ऐसे ही निलम्बित पड़ा रहा। 1963 में मामले को पुनः जांचा गया है। तमाम निलम्बित आवेदन पत्रों का पुनः परीक्षण किया गया है। नये उपक्रम स्थापित करने के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने 31 आवेदन पत्रों को लाइसेन्स देने की सिफारिश की है। कमालपुर के मामले में निश्चय को रोका गया है । यह प्रश्न मौके पर जाकर अध्ययन करने का था। क्योंकि कई बार यह भी देखा गया है कि मिलों को गन्ना ही उपलब्ध नहीं होता। हम चाहते हैं कि जब सब कुछ करके, धन लगा कर कोई उपक्रम स्थापित किया जाता है, तो उसे पूरी तरह चलना चाहिए। यह बात बहुत ही महत्व की है इसे आंखों से ओझल नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इस बात का ज्ञान है कि दक्षिण बिहार में भी चीनी मिलों की कुछ ऐसी ही स्थिति है। अतः मैंने स्थिति बताई है। अच्छा ही है कि इस उपरोक्त एक मामले के अतिरिक्त और कोई मामला भी संकल्प में किये गये भाषणों के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री रंगा ने कुछ दोषों का उल्लेख किया है। हम दोषों को सुधारने को हर समय तैयार हैं। आखिर किसी को तो लाइसेन्स देने अथवा सारे उद्योग को नियन्त्रित करने का काम करना होगा। परन्तु इतना निवेदन करना चाहता हूं कि लाइसेन्सिंग समिति का कोई मंत्री सदस्य नहीं है। और जहां तक निर्णय करने का प्रश्न है इस मामले में सदन को सब अधिकार प्राप्त हैं। कई बार कुछ भ्रांति रह जाती है। आखिर जो भी निर्णय सदन करेगा उसको कार्यपालिका द्वारा ही तो कार्यान्वित किया जायेगा। और किसी निकाय को तो यह काम नहीं सौंपा जा सकता। जैसा कि सुझाव है यदि कोई स्वतन्त्र संस्था को यह काम सौंप दिया जाय तो वह किस अनुभव के आधार पर कार्य करेंगे। अतः मैं इस स्वतन्त्र सस्था के सुझाव से बिलकुल सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में ऐसी संस्था बिलकुल कार्य नहीं कर सकेगी।

श्री रंगा : वह संस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिसकी नीति तो सदन निर्धारित कर दे और उसे कार्यान्वित वह करे जैसे संघ लोक सेवा आयोग है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार में इस बारे में जिम्मेदारी कार्यापालिका पर ही रहनी चाहिए। और इस बारे में आदि से अन्त तक उसी का उत्तरदायित्व रहना चाहिए। मैं

इस बात से सहमत हूं कि कोई समिति अथवा संस्था गैर-सरकारी तौर पर हमारी सहायता करे। केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के अन्तर्गत एक पुनरीक्षण समिति है। इस तरह का कोई सुझाव हो, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। इन शब्दों से मैं इस संकल्प का जो कि सदन के समक्ष है, कड़ा विरोध करता हूं।

श्री प० ह० भील (दोहद) : मैंने माननीय मंत्री का उत्तर सुन लिया है परन्तु मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि उनके तर्क सन्तुष्ट करने वाले नहीं हैं। उससे यह भी पता चलता है कि हमारे अधिकारियों के दिल में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोई भावना नहीं है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार का इरादा राजनीतिक पक्षपात को त्याग देने का नहीं है। वह इसे परमिटों और लाइसेंसों को देने के रूप में जारी रखना चाहती है।

इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप में मेरा यही निवेदन है कि क्योंकि इससे पूर्व सरकार तथा संसद् जन जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का निश्चय कर चुकी है अतः सरकार को यह संकल्प स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री रंगा : हम इस पर मत विभाजन चाहते हैं।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : यह लज्जा की बात है कि हमारी सरकार इस प्रकार के संकल्प का विरोध कर रही है। यह बात रिकार्ड पर रहनी चाहिये। ताकि आने वाले चुनावों में यह पता लग सके कि लोगों ने किस प्रकार के दल को सत्ता प्रदान की है जो कि इस प्रकार का संकल्प स्वीकार करने से भी इन्कार करती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"इस सभा की राय है कि देश में लाइसेंसों, परमिटों और कोटा के वितरण का नियन्त्रण करने के लिए एक स्वतन्त्र गैर-राजनीतिक संविहित बोर्ड नियुक्त किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 17 विपक्ष में 78

Ayes : 17 Noes : 78

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

The Resolution was negatived

राष्ट्रीय एकता के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE : NATIONAL INTEGRATION

श्री सोनावने (पंढरपुर) : मैं संकल्प करता हूं :—

"इस सभा की राय है कि पूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण की योजना तैयार करने के लिए और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, खास कर गोआ और नगर हवेली राज्य क्षेत्रों के महाराष्ट्र में, पांडिचेरी के मद्रास में और दमन और दीव के गुजरात में विलय के सम्बन्ध में, अगले सामान्य निर्वाचनों से पहले, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सरकार से सिफारिश करने के निमित्त संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : यह बड़ा नाजुक और महत्वपूर्ण मामला है। संकल्प में यद्यपि समिति की स्थापना की बात कही गयी है परन्तु वास्तव में यह मामला विलय का है। इन मामलों पर बड़ा गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अतः मैं यह प्रस्तुत करता हूं कि :—

"कि संकल्प पर वाद-विवाद स्थगित किया जाय।"

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता केन्द्रीय) : मैं नहीं समझ सका कि माननीय मंत्री क्यों संकल्प को स्थगित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस संकल्प को पूरे औपचारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहा गया है कि इसके अन्तर्गत बहुत नाजुक और महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। मेरे विचार में तो यह सिद्धान्त का प्रश्न है और सिद्धान्त के प्रश्न को स्वीकार कर लेना बड़ा जरूरी है। उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय के संकल्प को स्थगित कर देने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मेरा निवेदन है कि सदन इस मामले पर विचार कर सकता है। हमें राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्न को सिद्धान्त रूप में मान लेना चाहिए भाषावार राज्यों का प्रश्न भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था का आधारभूत प्रश्न है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस मामले में सरकार की कठिनाइयां क्या हैं। यदि गोआ, दमन और दीव अन्य राज्यों में विलीन हो जायेंगे तो क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। हम चीन, पाकिस्तान के मामलों की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, हमें यह भी पता कर ही लेना चाहिए कि इस दिशा की कठिनाइयां क्या हैं। हमें साहस के साथ इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए।

मैं इसीलिए संकल्प को स्थगित किये जाने का विरोध करता हूं। इन मामलों पर स्वतन्त्र और स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य बेलगाम में जो स्थिति पैदा हो गई है उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी समझ कर बोलेंगे। हमें इस मामले पर चर्चा बन्द नहीं करनी चाहिये।

सम्बन्धित माननीय सदस्य को अपना संकल्प पेश करने के पश्चात उसके उद्देश्यों के बारे में बोलना चाहिए और उसके बाद गृह मंत्री को सरकार की राय बतानी चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय राज्यों के भाषाई एकीकरण के सिद्धान्त को दोहरायेंगे और यह भी बतायेंगे कि इस नीति की क्रियान्विति में क्या कठिनाइयां उपस्थित हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संकल्प को स्थगित करने का विरोध करता हूं। यह केवल एक गैर सरकारी संकल्प है। पिछले 8 वर्षों में यह परम्परा रही है कि यदि प्रस्तावकर्त्ता शासक दल का सदस्य हो और सरकार को वह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो प्रस्तावकर्त्ता अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेता है। दूसरे इस संकल्प में राष्ट्रीय एकीकरण की बात है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य राज्यों से मिलाने की। सदस्यों को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। यदि आज इसे स्थगित कर दिया जाता है तो इसी सत्र में यह अगले दिन भी आ सकता है।

ये सब बातें माननीय मंत्री के उस वक्तव्य से पैदा हुई हैं जिसमें उन्होंने कहा कि गोआ 10 वर्षों तक केन्द्र के अधीन रहेगा। प्रतिरक्षा मंत्री की भी लोगों ने आलोचना की है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि चर्चा होनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेवारियां समझते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri(Bijnor). Of late it has become a sort of habit of Government of India to postpone the matters of national importance and afterwards make them complicated and at last express its helplessness. This is exactly what happened in regard to Kashmir Govt. have not so far abrogated Article 370 of the Constitution. Government is repeating the same thing in regard to Goa. Till 2 years since the independence of Goa we were not able to arrange elections there. After the elections the people of Goa demanded merger of Goa with Maharashtra since Goa being a very small territory. Government wants to shirk fromits responsibility. This will rather worsen the situation and create wrong impression in the minds of the people.

Shri Bade (Khargone) : Two separate statements were given by Shri Patil and Shri Chavan regarding Goa. On account of these statements there was great unrest among the people. Before adjourning this resolution I want the Government to assure that this resolution will be accepted and that sentiments of the people of Goa will be respected. Otherwise the Government will be multiplying its difficulties.

Shri A.S. Saigal (Janjgir) : The Government should allow discussion on the resolution and afterwards the mover of the resolution may be asked to withdraw the resolution. I feel at least there should be no objection to its being discussed here. After all we have to decide this question sooner or later.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : इस स्थगन प्रस्ताव में चर्चा को बन्द करने की कोई बात नहीं है। चर्चा को एक तिथि से दूसरी तिथि तक स्थगित करना केवल एक औपचारिक प्रश्न है। ऐसा करना इस सभा की कोई असामान्य बात नहीं है। सभा ने भी प्रकाश वीर शास्त्री के महत्वपूर्ण विधेयक को स्थगित करना भी स्वीकार किया था। अभी अवसर बाकी है और चर्चा की जा सकती है।

श्रीमती सावित्री निगम(बंदा) : यह एक बहुत बारीक मामला है और इस पर चर्चा करने से बहुत विवादास्पद बातें उठ खड़ी होंगी। अतः इस मामले पर हमें बड़े शांतिपूर्ण ढंग से विचार करना है।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मेरी समझ में नहीं आता कि इस स्थगन प्रस्ताव को क्यों लाया गया है। संसद ने अनेक बारीक प्रश्नों पर निर्णय किये हैं और हम, संसद सदस्य, अपनी जिम्मेवारियों को भली भांति समझते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर चर्चा हो जिससे हमें तथ्यों का पता लगे और बाद में कोई निर्णय किया जा सके।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अभी जो माननीय सदस्य बोले हैं वे हमें चर्चा से वंचित रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मामला बड़ा नाजुक है और इसलिए यह संसद् इस पर उचित रूप से चर्चा नहीं कर सकती। मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिए मेरा कहना है कि प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि संकल्प पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

गोआ के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : GOA

श्री (अल्वारिस) (पंजिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि . .

उपाध्यक्ष महोदय : आपके संकल्प की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभानी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

इस से पहले कि आप फैसला सुनाएं मेरा यह निवेदन है कि इस संकल्प का विषय तथा इस में प्रयोग किये गये शब्द भिन्न हैं। आप इस पर कृपया विचार करें।

इस संकल्प में गोआ के चुनावों के परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और इसमें गोआ को तुरन्त मिलाने की ओर ज़ोर दिया गया है, जब कि श्री सोनावने का प्रस्ताव राष्ट्रीय एकीकरण पर विशेष रूप से ज़ोर देता है। उसमें गोआ और नगर हवेली को महाराष्ट्र, पांडीचेरी को मद्रास और दमन और दीव को गुजरात में मिलाने की बात पर ज़ोर दिया गया है।

दोनों संकल्पों के विषय भिन्न हैं इसलिये यह संकल्प रुद्ध नहीं है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा निवेदन है कि यद्यपि श्री अल्वारेस और श्री सोनावने के संकल्पों में एक से शब्दों का प्रयोग किया गया है, फिर भी उनके वास्तविक विषय भिन्न हैं। इस संकल्प का मुख्य उद्देश्य गोआ को मतदाताओं के फैसले के आधार पर मिलाने का है जब कि पहले वाले संकल्प में ऐसा मुख्य रूप से नहीं कहा गया है। संकल्प तब ही रुद्ध हो सकता है जब कि दोनों संकल्प एक ही जैसे हों। मैं भी कानून जानता हूं। यह संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको कुछ कहना है ?

श्री अल्वारिस : जी, हां । मेरा संकल्प श्री सोनावने के संकल्प से मूल रूप से भिन्न है । उस संकल्प का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण है । मैं ने नगर हवेली अथवा पांडीचेरी का प्रश्न नहीं उठाया है । मेरा संकल्प तो केवल गोआ के मसले से सम्बन्धित है । इसलिये ये दोनों संकल्प सर्वथा भिन्न हैं ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : श्री अल्वारेस का संकल्प वास्तव में वही है जो श्री सोनावने का है । केवल उस में दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है । श्री सोनावने के संकल्प में गोआ का प्रश्न भी आ जाता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री सोनावने का संकल्प राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्न को ले कर चलता है और सारे देश से सम्बन्ध रखता है । गोआ इस संकल्प का केवल एक भाग है । इस में संसद् सदस्यों की समिति बनाने के लिये कहा गया है । इसलिये श्री अल्वारेस के संकल्प को स्वीकृति मिलनी ही चाहिये ।

मैं याद दिला दूं कि खाद्य स्थिति पर मेरा और श्री यशपाल का अलग अलग प्रस्ताव था । दोनों एक जैसे थे । उनमें कुछ शब्दों का हेर फेर था । उनमें मामूली सा अन्तर था । मुझे याद है कि दोनों प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे ।

ये दो संकल्प एक जैसे नहीं हैं । यदि गृहकार्य मंत्री श्री अल्वारेस या प्रति सदस्यों से अपील करें तो वह और बात है । मैं इस विषय पर अनेक उदाहरण तथा नियम उद्धृत कर सकता हूं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : श्री सोनावने के संकल्प में यह कहा गया था कि योजना आदि तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये । वह समिति कुछ भी निर्णय कर सकती है । परन्तु श्री अल्वारेस के प्रस्ताव में यह बात है कि गोआ के चुनाव से यह प्रतीत होता है कि वहां के लोग गोआ को महाराष्ट्र में मिलाना चाहते हैं ।

इस संकल्प का उद्देश्य गोआ के महाराष्ट्र से मिलाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करना है । इसलिये यह कहना कि दोनों संकल्प एक जैसे हैं गलत है । इसलिये किसी भी नियम के अन्तर्गत इस संकल्प को रोका नहीं जा सकता ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : अध्यक्ष महोदय द्वारा इन दोनों प्रस्तावों का स्वीकार किया जाना और आज की कार्यसूची में तरतीबवार रखना इस बात का प्रमाण है कि वे दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं । श्री अल्वारेस के प्रस्ताव पर जगह जगह चर्चा हो रही है । सारे देश में इसकी चर्चा है । मेरी समझ में नहीं आता कि हमें यहां पर इस विषय पर चर्चा करने से क्यों रोका जाता है । यह बड़ा विचित्र नियम है जिसके कारण हमें इस पर चर्चा करने से रोका जा रहा है । ये दोनों संकल्प किसी भी तरह से एक दूसरे से नहीं मिलते । मेरी समझ में नहीं आता कि गृहकार्य मंत्री के आदेश पर इस संकल्प को क्यों धकेला जा रहा है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : These two resolutions are essentially different. The very fact of these two resolutions having been admitted and published separately and having been given different headings is itself evidence of the fact that they are rather different. The heading of the first resolution is "national integration" and that of the second is "Goa" Had these been identical these would not have been admitted by the Secretariat.

Therefore my submission is that Shri Hathi should give assurance regarding this resolution also that this resolution may also be adjourned. But this should not be treated as identical.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : यह फैसला करने के लिये कि ये दोनों संकल्प एक जैसे हैं या नहीं हमें पहले उनके उद्देश्यों को देखना है। पहले संकल्प में भारत के विभिन्न भागों का उल्लेख किया गया था और बताया गया था कि उन्हें भारत में कैसे मिलाया जाये। उसमें दिये गये क्षेत्रों में से गोआ भी एक है। दूसरा संकल्प केवल गोआ के बारे में है। चूंकि गोआ पहले संकल्प में भी है, इसलिये जो निर्णय गोआ के बारे में पहले संकल्प में लिया गया, स्पष्टतः वह निर्णय दूसरे संकल्प पर भी लागू होता है। यह तो एक मोटी समझ की बात है।

श्री कोया (कोज़ीकोड) : पहले संकल्प का उद्देश्य पूर्ण राष्ट्रीयकरण के लिये समिति नियुक्त करना है। गोआ का प्रश्न पांडीचेरी और अन्य क्षेत्रों से सर्वथा भिन्न प्रश्न है। गोआ के मामले में मतदाताओं का फैसला है कि वे महाराष्ट्र में मिलना चाहते हैं। यह कहना कि दोनों संकल्प एक जैसे हैं यह कहने के बराबर होगा कि न्यूक्लीयर बम्ब का संकल्प भी इन से मिलता है।

Shri Sheo Narain (Bansi) : Sir, this resolution is only a part of the resolution of Shri Sonavane and is covered by that. As the first resolution has been adjourned this resolution can also be taken along with the earlier resolution.

श्री सोनावने (पंधारपुर) : इस मामले में नियम 182 लागू होता है। इस नियम के अनुसार कोई भी ऐसा संकल्प अथवा संशोधन जिसमें पर्याप्त रूप से वही प्रश्न उठाया गया हो एक वर्ष तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। श्री अल्वारेस के संकल्प में जिस प्रश्न को लिया गया है वह मेरे संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न नहीं है। मैं ने अपने संकल्प में राष्ट्रीय एकीकरण का प्रश्न उठाया है। परन्तु इस संकल्प में गोआ के सार्वजनिक चुनावों के परिणामों को लिया गया है। इसलिये दोनों संकल्प एक दूसरे से भिन्न हैं।

श्री पु० र० पटेल : यदि गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि दोनों संकल्प वास्तव में एक जैसे ही हैं। पहले संकल्प में समिति नियुक्त करने के लिए कहा गया है। परन्तु किस लिये ? गोआ आदि संघ राज्य क्षेत्रों के एकीकरण के लिये कार्यवाही करने के लिये। दूसरा संकल्प मूलतः वही है। दोनों संकल्प गोआ के विलय के सम्बन्ध में हैं। मुझे आश्चर्य है कि गृह-कार्य मंत्री ने इस को स्थगित करने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा।

एक माननीय सदस्य : यह अवरुद्ध है।

श्री पु० र० पटेल : यह अवरुद्ध है तो सरकार को ऐसा प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। पहले संकल्प में 5 बातें हैं। गोआ भी उनमें से एक है। इन सब को स्थगित कर दिया गया है। इसलिए वह निर्णय दूसरे संकल्प पर भी लागू होता है।

श्री शिकरे (मरमागोआ) : मेरे विचार में हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए और श्री प्रकाश वीर द्वारा दिया गया यह सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये कि गृह-कार्य मंत्री कुछ ऐसा आश्वासन दें कि सरकार इस सारी समस्या पर विचार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 182 (1) कहता है :

"जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया गया हो तो सारवान रूप से वही विषय उठाने वाला कोई संकल्प या संशोधन पूर्व संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ।"

मुख्य बात यह है कि ये दोनों संकल्प एक जैसे हैं अथवा नहीं । श्री अल्वारेस द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प पहले पेश किये गये संकल्प जैसा ही है अथवा नहीं, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । प्रश्न यह है कि श्री अल्वारेस द्वारा प्रस्तुत किये गये और श्री सोनावने द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्पों का उद्देश्य एक ही है या नहीं । मेरी राय में उनका उद्देश्य काफी सीमा तक एक ही है । इसलिये व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और श्री अल्वारेस का संकल्प अवरुद्ध है ।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, हम आपके निर्णय का पालन करते हैं । परन्तु एक विशेष बात को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर सभा में चर्चा नहीं की जा रही है । इस लिए क्या मैं मंत्री महोदय से यह आशा कर सकता हूं कि वह इस ओर ध्यान देंगे । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव को सभा में इतना अधिक समर्थन मिला है क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार इस विषय में विलम्बकारी कार्य नहीं करेगी और गोआ की जनता की अभिलाषा का आदर करते हुए इस बारे में शीघ्र निर्णय करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय: इस संकल्प पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री नाथ पाई : मैं चाहता हूं कि वह इस आश्वासन के बारे में उत्तर दें । यह इसमें कोई प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बाद में मंत्री महोदय को मिल सकते हैं ।

आणविक अस्त्रों के निर्माण के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. MANUFACTURE OF NUCLEAR WEAPONS

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Deputy Speaker, I introduce the following resolution in the House :

"This House is of opinion that Government of India should manufacture nuclear weapons".

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि भारत सरकार को आणविक अस्त्रों का निर्माण करना चाहिये ।"

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I want that the Minister in charge of the Department of Atomic Energy should be called in the House.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): मैं यहां उपस्थित हूं। इस संकल्प का उत्तर प्रधान मंत्री देंगे।

Shri Hukam Chand Kachhaviaya : Mr. Deputy Speaker, some days back this House discussed the problem which crept up in the wake of Atomic Explosion by China. Many members expressed their opinion that India should also manufacture atom bomb but the Prime Minister, and the Minister of External Affairs paid no heed to the wishes of the House. In this connection I want to bring forth the reasons why we need it. We have strained relations with China and fear of a fresh attack is looming large on our head. On 21st November, 1962 we took a solemn pledge in this House to get the Chinese aggression vacated however long the stuggle might be and we are making preparations with a view to achieve this end. We want to prepare modern arms. This modern armoury at our disposal should include atom bomb and nuclear weapons also. But our Prime Minister put us off on the plea that it would involve heavy expenditure. On the other hand Dr. Bhaba has said that it would cost only rupees 17 lakhs.The question of cost should not be the task of our Prime Minister but it should be left to the scientists. The opinion of the House as well as of the people at large should be known whether India need manufacturing atom bomb or not.

We are involved in a dispute with China for many years. There is a danger of fresh attack. It is correct that we have to progress in every field *i.e.*, industrial, agricultural etc. But have we ever given it a thought what would happen to all this progress consequent to the use of atom bomb by China. All our plans will be left as they are. Humanity will be destroyed. Everything will be reduced to smithereens. Therefore, it is imperative that we must manufacture atom bomb. It is agreed that we follow the policy of peace and non-violence and we want to see world at large also treating on this very path. But peace and strength go side by side. Take the instance of America and Russia. They are two powerful nations. Because both of these nations are equally powerful, there is no dispute between them. China has got two enemies today—America and India. But China does not think of lanuching an attack on America beccause she possesses all the modern weapons including atom bomb. On the other hand China is a constant embarrassment for us and she has forcibly taken away a portion of our territory. That is why we must manufacture atom bomb. We cannot rely on the promises made by the foreign countries that they will help us in the event of Chinese attack. They may fail us in time of need. We had an agreement with Russia for supply of Migs. But our hopes were belied. So we must depend on ourselves. Indian people who have high sense of sacrifice and aspire for a powerful nation will bear the cost of atom bomb. This has been examplified when people contributed liberally to the National Defence Fund. Government can even tax the people for this purpose.

Government takes the plea that atom bomb should not be manufactured because India is following the policy of peace and non-violence. But then Government spend rupees 800 crores on the army. What is the basis for this huge expenditure. If even in spite of the policy of non-violence we are making military preparations then we must not ignore what kind of preparation this should be. We must have such weapons which can enable us to face the enemy. We may have to reduce the size of our plans but we must manufacture atom bomb. Some people say that in the event of our manufacturing atom bomb the world will not pay us that much regard as we are getting at present. Then why our neighbouring countries are inifferent to us ? Obviously, because they know that while we do not possess powerful weapons, China does possess.

Our Prime Minister suggested at Cairo Conference that a delegation should be sent to bring China round. What was the response? We raise peace slogans but nobody bothers about it. Only the powerful nations can establish peace in the world. I want an assurance from the Prime Minister that whatever the circumstances, we will manufacture atom bomb. We may or may not use it but we must possess it. Even for our small needs we look to other countries. We should do away with this kind of approach and manufacture all weapons including atom bomb ourselves. I would, therefore, request the hon. Minister to accept this resolution without any hesitation as it is the cry of the nation. A weaker nation is exploited by the powerful ones. A nation who cannot defend herself should not preach sermons to the other. Who listen to us in the world today? What is the respect we command in the world? We can establish peace only when we are powerful. We should be strong economically, mentally and militarily. If we have the atom bomb we can command respect and show to the world that even in spite of possessing nuclear weapons we are following the policy of peace and non-violence.

श्री खाडिलकर (खेड) : श्रीमान जी जब से चीन ने अणु बम का विस्फोट किया है बहुत से लोगों ने ऐसे सुझाव दिये हैं कि हमें भी अपनी रक्षा के लिये या तो आणविक शस्त्रों का देश में ही निर्माण आरम्भ कर देना चाहिये या उन्हें विदेशों से प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु हमें इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि ऐसा करने से क्या-क्या परिणाम निकल सकते हैं तथा हमारी आमूल नीति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे विचार से तो आणविक शस्त्रों के समर्थकों ने इन सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया है।

(डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं)
(**Dr. Sarojini Mahishi** *in the chair*)

मैं यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम देशों में चाहे वे हमारे से अधिक समृद्ध हैं, चाहे वे हमारे से प्रत्येक अवस्था में अच्छे हैं, परन्तु वहां पर आणविक युद्ध का भय सर्वदा बना रहता है। हमारा देश दोनों विश्व युद्धों से एक प्रकार से अलग सा ही रहा और देश को युद्ध की विभीषिका का अनुभव नहीं है इसीलिये ही हम आणविक शस्त्रों की मांग कर रहे हैं। परन्तु हमें वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिये कि ये शस्त्र हमारे लिये कहां तक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कुछ लोगों को अणु बम इतना प्यारा लगता है जैसा बच्चों को गेंद और वे इसे प्राप्त करने के लिये अति उत्सुक हैं। वे यह नहीं देखते कि इससे अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। वे यह कहते हैं कि यदि हम इन शस्त्रों का देश में निर्माण नहीं कर सकते तो हमें उन्हें अमरीका से ले लेना चाहिये। परन्तु मेरे विचार से ऐसा करना बहुत हानिकर होगा।

हमें यह भी देखना चाहिये कि चीन ने बम विस्फोट भारत को डराने के लिये किया था या कि अमरीका के आणविक शस्त्रों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिये।

चीन को भी इस बात पर खेद है कि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाया गया है। चीन जोकि प्रत्येक दिशा में उन्नति कर रहा है तथा जिस की जनसंख्या 60 से 70 करोड़ के भीतर है, यदि ऐसे देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य न बनाया जाये तो उसे इस पर अवश्य ही खेद होगा। यदि किसी को समाज से निकाल दिया जाय तो उस से सभ्य व्यक्ति जैसे व्यवहार की आशा नहीं की जानी चाहिये। यही कारण है कि चीन ने ऐसा रुख अपनाया हुआ है। इसलिये हमें इस बात पर गौर से विचार करना चाहिये कि हमें भविष्य में चीन को संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित करना

है या नहीं । हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, जोकि हमारी विदेश नीति के निर्माता थे तथा जो अणु शक्ति के बारे में भी बहुत ज्ञान रखते थे इस बात के समर्थक थे कि हमें चीन को संघ में सम्मिलित कराने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिये । उन का यह विचार ठीक ही था क्योंकि संघ के सदस्य होने के बाद ही हम चीन को राष्ट्र संघ के नियम, जैसे निःशस्त्रीकरण इत्यादि, पालन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं ।

आणविक शस्त्रों के समर्थकों ने अणु बम और आणविक शस्त्रों में शायद कोई भेद नहीं समझा है । परन्तु उन में बहुत भेद है । अणु बम से तो सर्वनाश हो जाता है । आणविक शस्त्र तो बड़े अथवा छोटे राष्ट्रों के पास भी हो सकते हैं । आजकल आणविक शस्त्र पश्चिम जर्मनी के पास हैं तथा इन्दोनेशिया जैसे छोटे देश भी इन के निर्माण की आकांक्षा कर रहे हैं । इस प्रकार के शस्त्र ऐसे देश के पास भी हो सकते हैं जोकि इन को प्रयोग करने में अपने उत्तरदायित्व का भली प्रकार पालन न करें । ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा ?

इसलिये हमारी सरकार को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिये कि हम आणविक शस्त्रों का कड़ाई से विरोध करेंगे । मुझे हर्ष है कि ब्रिटेन की वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण भी आणविक शस्त्रों के लिए प्रतिकूल है । उसका कहना है कि मांगे हुए शस्त्रों का युद्ध में प्रयोग करना अपने गौरव को कम करना है । वह यह भी कहती हैं कि हम शस्त्रास्त्र की होड़ में भाग नहीं लेंगे । अतः हमें भी उन से इस विषय में शिक्षा लेनी चाहिये ।

इस के अतिरिक्त नैतिक दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये । पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का भी यही मत है कि यदि हमें इस विश्व को सर्वनाश से बचाना है तो हमें वर्तमान सभी आणविक शस्त्रों को नष्ट कर देना चाहिये तथा भविष्य में इन का निर्माण न हो ऐसा निश्चय कर लेना चाहिये । दूसरे हमें यह भी देख लेना चाहिये कि क्या हमारे पास इन के निर्माण के लिये पूंजी है या हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ेगा क्योंकि दूसरों पर निर्भर करना स्वतंत्र देश के गौरव को कम करना है ।

इसलिये मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि हमें इस बारे में दृढ़ संकल्प रहना चाहिये । हमें अपनी नीति को दृढ़तापूर्वक व्यक्त कर देना चाहिये । प्रधान मंत्री का यह कहना ठीक ही था कि हम संसार को यह दिखा देंगे कि हम आणविक शस्त्रों की होड़ में भाग नहीं लेंगे तथा उनके नष्ट किये जाने का पूरा प्रयास करेंगे । हमें यह बता देना चाहिये कि हम निःशस्त्रीकरण के पुजारी हैं । मन में यह विचार करना कि यदि आवश्यकता हुई तो हम दूसरे शक्तिशाली देश पर निर्भर कर सकते हैं ठीक नहीं है । ऐसा विचार करना अपने को दूसरों के अधीन समझना होगा ।

इस प्रस्ताव के पेश होने से हमें यह दूसरा अवसर मिला है जब हम अपनी नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं । नेहरू जयन्ती के साथ आणविक शस्त्रों के बारे में सोचना मेल नहीं खाता ।

Shri Prakash Vir Shastri : Madam Chairman I support this resolution but would like to ask a few questions from the Government who are not in favour of the manufacture of nulear weapons. When they say that they are not in a favour of the production of nuclear weapons does it not mean that in the absence of such weapons our independence would be in jeopardy which we have got after 900 years of slavery ? At the time when other

nations are concentrating their attention on the production of nuclear weapons, it would be a wrong policy for India to remain without such weapons and against national interest.

In the All India Congress Committee meeting held at Guntur, Shri Lal Bahadur Shastri declared that it does not behove for the followers of Gandhiji to be in favour of the production of atom bomb. But I would like to point out that Government should not take recourse to the ideologies of Gandhi and Nehru to conceal thier weaknesses. Though Gandhiji was in favour of Ahimsa but not that Ahimsa which makes persons weak. It become apparent in 1942 he had declared his motto 'do or die'. It became more clear when Pakistan attacked India Gandhiji advised to send the Indian Army to fight against the invaders. I would also like to refer to a book entitled 'Now It Can Be Told' written by Prof. A.M. Bali. In that book one incidence of Gandhiji is narrated. When Pakistan attacked India, Pandit Nehru went to Gandhiji and asked for his advice in the matter Gandhiji at once advised Pandit Nehru to send forces at the border to face the situation. When Pandit Nehru was leaving him after taking his advice he called him back and told him that in his opinion when a decision to send the troops to face the Pakistan forces had already been taken, was it not advisable that instead of sending the troops to Kashmir for being massacred they should be sent to Karachi *via* Lahore. I was astonished to read this incidence of Gandhiji as to how a follower of non-violence could give such a counsel.

Therefore I was saying that Government should not take recourse to the creed of Ahimsa and say that a country whose leader was a staunch believer of non-violence should not produce atom bomb. If Government strictly follows the policy of non-violence then they should not even increase their military force and should prevent China of making aggression on Indian soil by doing *satyagrahas* at Peking.

Then I have a complaint to make against the Atomic Energy Department who had given wrong figures to Late Shri Jawahar Lal Nehru when he had declared that China is ten times behind India in terms of atomic energy. Then again at the time when America and Russia exploded their bombs it were Indian scientists who had given this information to the Government while the Atomic Energy Department was not aware of it. I think it is due to the concentration of power in the hands of one man who is the secretary as well as the Chairman of the Department. Therefore, I would like to suggest that Government should set up a Board which would carefully consider over all important things concerning it.

At the end. I would like to point out that it is good if we appeal for non-violence. It is also good if we declare our policy of non-alignment but who will care for our appeal. It is the big countries which can help maintain peace in the world and not the weaker ones.

Although we have declared our intention of not making atom bomb yet we are free to make other kinds of atomic weapons such as atomic rifles etc. Another argument is advanced that that we have already delcared our intention of not manufacturing atom bomb. But we declared this when our enemy country had not produced the atom bomb. Therefore we should have a second thought on our declaration in view of the new development. Another view that is expressed against producing atom bomb is that the cost involved in

the production of atom bomb will adversely effect our economic conditions. In this connection I would like to refer to the statement made by the representative of U.N. in the third conferene of U. N. O. on development of atomic energy. He had told there in that the cost of production of a ten kilo atom bomb is Rs. 17 lakhs and that of two mega-tons is Rs. 30 lakhs. Our cost will be still less as we have plenty of the raw-material, *e.g.* Uranium, needed for the production of atom bomb. Hence raising of finances for this bomb will present no difficulty.

I am reminded of a story in *Panchtantra* where a bird was worried about the welfare of the mankind but himself slept with his legs up and head down. Similarly we are worried about peace in the entire world but neglect our shortcomings. I will, therefore appeal that we must produce an atom bomb.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरी पहली प्रार्थना यह है कि इस संकल्प को प्रस्तुत ही न किया जायें, क्योंकि यदि यह अस्विकृत हो गया तो इससे यह प्रतीत होगा कि इस विषय को गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं ।

मैं कट्टरवादी नहीं हूं यदि हम अणुबम बना सकते हैं तो हमें अपनी देश की रक्षा के लिये अवश्य बनाना चाहिये । परन्तु मेरे विचार में हम अभी बम नहीं बना सकते । इस मामले में भावनाओं और भूतकाल में दिये गये राजनैतिक कथनों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए । यदि हम अणुबम इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे शत्रु देश चीन ने भी बनाया है तो हम चीन को दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि उसने भी अपने शत्रु-देश अमेरिका के विरुद्ध बनाया है । जहां तक हमारे अणुबम बनाने के सामर्थ्य का प्रश्न है, हम ट्राम्बे रिऐक्टर में बनी हुई प्लटोनिम की सहायता से प्रतिवर्ष दो बहुत ही छोटे बम बना सकते हैं । और कनाडा के साथ समझौते के अनुसार हमें शायद बम बनाने की स्वीकृति भी न मिले । यूरेनियम 235, जिसकी अणु विस्फोट के लिये आवश्यकता पड़ती है हम अभी वर्षों तक नहीं बना सकते । इसको बनाने के लिये करोड़ों रुपयों की भी आवश्यकता है । और जबकि हम खाद्य की कमी को दूर करने के लिये और पंचवर्षीय योजनाओं के लिये भी रुपया नहीं जुटा पा रहे, तब क्या हम अणु बम बनाने का साहस कर सकते हैं ? कुछ दिन पहले दूसरी ओर के एक सदस्य ने कहा था कि चीन के अणु विस्फोट का प्रयोजन केवल भारत को उत्तेजित करना था जिससे कि वह भी अणुबम बनाये, और उसकी आर्थिक व्यवस्था का सन्तुलन बिगड़ जाय । और इस गड़बड़ी का लाभ उठा कर समाज विरोधी तत्व सरकार को उलट सकें । परन्तु मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है । हमारी आर्थिक स्थिति पहले ही इतनी बिगड़ी हुई है कि हम अपने देश के लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था भी नहीं कर सकते । हमें यह नहीं भूलना चाहिए। हमें आदर्शवादी नहीं अपितु यथार्थवादी होना चाहिए । पांच या दस वर्ष उपरान्त जब हमारे उद्योग का इतना विकास हो जाय कि हम यूरेनिम 235 की सहायता से आणविक अस्त्र बना सकें, तब यदि हम आवश्यक समझें बना सकते हैं । यदि कोई देश हमारे विरुद्ध अणुबम का प्रयोग करेगा तो हम भी उसके विरुद्ध उसका प्रयोग कर सकते हैं । परन्तु मेरे विचार में कोई भी देश हमारे विरुद्ध अणुबम प्रयोग करने का विचार नहीं कर रहा है ।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha): I support this Resolution. I can understand what Shri Nambiar has said, because he belongs to a party which has got its connections with foreign Countries. But I cannot understand what Shri Khadilkar has stated . I want to quote from the speech made by

Shri Bhabha on All India Radio on 24th October, 1964 on the United Nations day :

"आणविक निरस्त्रीकरण को सामान्य निरस्त्रीकरण से पृथक् नहीं किया जा सकता। यदि पूर्ण आणविक निरस्त्रीकरण हो जाय तो हम 1945 की स्थिति में पहुंच जायेंगे जो कि युद्ध के आतंक से रहित नहीं थी। क्योंकि ऐसे आक्रमण को रोकने का कोई साधन नहीं है, इसलिये ऐसे आक्रमण से प्रतिरक्षा केवल प्रत्याक्रमण करने की समर्थता है। अतः जिस देश के पास भी आणविक हथियार पर्याप्त मात्रा में है उस पर कोई भी सशक्त राज्य आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। एक अ शक्ति केन्द्र स्वयंमेव प्लुटोनिम बनाता है और एक 300 मैगावाट शक्ति के केन्द्र में इतन प्लुटोनियम उत्पन्न हो जाती है कि प्रतिवर्ष 20 से 35 तक अणुबम बनाये जा सकते हैं और अगले पांच या दस वर्ष में कई देश अणुबम बना सकेंगे। और उसकी लागत के बारे में भी काफी गलत धारणा बनी हुई है।"

Dr. Bhabha, an eminent scientist has expressed his views about cost of manufacturing of atom bomb. According to him the cost will be much less than our present expenditure on armaments as a whole. His view in this regard is as follows :—

"इस वर्ष सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जेनेवा में अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों सम्बन्धी तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमरीका ने इस विषय पर एक पत्र परिचालित किया जिसमें हिरोशिमा में डाले गये बम के बराबर 10 किलोटन बम के निर्माण पर 350,000 डालर या 17,50,000 रु० व्यय होता है। जबकि 20 लाख टन टी० एन० टी० के, जिसका मूल्य 150 करोड़ रु० होता है बराबर शक्ति वाले बम के निर्माण पर केवल 30 लाख रु० व्यय होता है।"

"जिसका अभिप्राय है कि रूढ़िवादी विस्फोटकों की अपेक्षा अणु विस्फोटक 20 गुना सस्ते व ताप-नाभिकीय विस्फोटक (थर्मो न्यूक्लीयर एक्सप्लोसिवस) 500 गुना सस्ते हैं। उद्धृत पत्र के अनुसार 50 अणुबमों के संचित भण्डार पर 10 करोड़ रु० से कम व 50 दो मैगेटन उद्जन बमों के संचित भण्डार पर 15 करोड़ रु० के लगभग व्यय होगा। यदि निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ प्रभावी एवं महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये गये तो अनेक देश आगामी पांच या दस वर्षों में परमाणु अस्त्रों से सज्जित हो जायेंगे।"

"चीन द्वारा आणविक विस्फोट इस बात का संकेत हैं कि न तो संयुक्त राष्ट्र और न ही शक्तिशाली देश ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में सफल रहे हैं जिस से कि समर्थ देश स्वेच्छा से अणु अस्त्रों की दौड़ में भाग न लें।"

This expert opinion will clear the apprehension of Shri Krishna, Shri Menon, Shri Nabmbiar and Shri Khadilkar regarding cost of production of an atom bomb.

The explosion of an atomic device by China has increased its influence on our neighbours. Nepal, Bhutan, Sikkim, Burma & Ceylon and on other small African countries. This has weakened us. If we have to exist in the present world, we must strengthen our defences. It is, therefore necessary to manufacture atom bomb to win the support of these nations and exist in the world.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): चीन द्वारा अणुबम का विस्फोट हमारे देश के लिये अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अपनी विकास योजनाओं को ध्यान में रख कर आणविक अस्त्रों की दौड़ में भाग लेना भारत के लिये सम्भव नहीं है। यह कहा गया है कि इस चीन द्वारा पैदा किये गये खतरे का सामना करने के लिये सोवियत संघ व अमरीका यदि सम्भव हो तो दोनों का अन्यथा एक का संरक्षण प्राप्त कर लें।

जैसा कि श्री मसानी ने कहा कि रूस से संरक्षण प्राप्त होने की आशा नहीं है इसलिये अमरीका द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत न्यूक्लियर अम्ब्रैला संरक्षण को मान लेना चाहिये। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यदि इस प्रकार संरक्षण न भी प्राप्त हो या ऐसा करना राष्ट्र हित में न हो तब भी हमें चुप नहीं बैठना चाहिए बल्कि और कदम उठाने चाहिएं।

परमाणु बम के उत्पादन के विपरीत कुछ अन्य उपाय इस सदन में सदस्यों द्वारा तथा बाहर सुझाये गये हैं। एक सुझाव है कि हम संसार में परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न करें। दूसरा सुझाव है कि हम ऐसे देशों की सहायता करें जो परमाणु अस्त्रों का कब्जा सीमित करने में प्रयत्नशील हैं। एक अन्य सुझाव है कि चीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सभ्य व्यवहार करने का प्रभाव डाला जाये ताकि भारत को कोई खतरा न रहे। अन्तिम सुझाव दिया गया है कि हमारी सुरक्षा विश्व शान्ति स्थापित करने के सहयोग में निहित है।

यह सब साधन यथार्थ राजनीति से मेल नहीं खाते। यह सब एक नपुन्सक व्यक्ति को ही शोभा देते हैं न कि एक सभ्य व सुसंस्कृत व्यक्ति को। हम नहीं चाहते कि हमारा देश ऐसी स्थिति में पहुंचे।

चीन द्वारा पैदा की गई विभीषिका का सामने करने के अतिरिक्त अन्य कई प्रतिफल हैं जिनपर हमें परमाणु बम के उत्पादन के सम्बन्ध में अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहिले विचार करना है। परमाणु अस्त्रों की प्राप्ति एक नैतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। यदि हम न्यूक्लियर तकनीक में गतिशील नहीं रहते तो न केवल सुरक्षा का मार्ग अवरुद्ध होता है बल्कि हम सामान्य वैज्ञानिक प्रगति में भी पीछे रह जायेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न होने के नाते हम इसको आदर्शवादी विचारों पर नहीं छोड़ सकते हैं।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी भी अस्त्र का अविष्कार होने के बाद उसके प्रयोग या उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना असम्भव है। हर काल व हर समय में आदर्शवादी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ऐसे अविष्कारों के उपयोग की निन्दा की है तथा प्रतिबन्ध लगाने की मांग की। लेकिन फिर भी बारूद आदि पर रोक नहीं लगाई जा सकी। इसलिये यह आशा करना कि आविष्कृत परमाणु अस्त्रों का उपयोग रोका जा सकेगा या संकुचित किया जा सकेगा स्वप्न मात्र है जिस पर भारत को निर्भर नहीं रहना चाहिए।

मेरे विचार में ऐसी स्थिति में हमें न्यूक्लिअर अम्ब्रैला स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें नाभिकीय गवेषणा व प्रगति के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए चाहे हमें एक समय के भोजन का त्याग ही क्यों न करना पड़े। दासता क्षुधा से भी भीषण है।

Mr Chairman : I would request hon. members to finish their speeches within five minutes.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The resoluation moved by shri Kachhavaiya is very important indeed. Our soldiers were known for their valour, courage and bravery throughout the world. Bur the Congress

Government have let us down and now we are a defeated nation. The defeat has brought a slur on the name of our country and in order to efface this slur, we have no alternative but to start manufacturing atom bomb without which we cannot stand in the world again as a brave nation. It is better to die than to lead a degraded life.

To say that we are a poor nation and cannot, therefore afford to manufacture an atom bomb, is an excuse only. The hon. Minister of Finance had once stated in the House that an amount of Rs. 900 crores is due from Pakistan. This amount should be realised from Pakistan as also the money being wasted on unnescessary luxuries should be saved and utilized for equiping ourselves with all types modern weapons including atom and hydrogen bombs. We can turn our defeat into victory only through these weapons because country's strength lies in them and not in the Punch Sheel which has only brought bad name to us.

The resolution should, therefore, be adopted.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : यह एक ऐसा मामला है जिस के संबंध में कुछ दृढ़तापूर्वक कहना कठिन प्रतीत होता है । क्योंकि इस के पक्ष और विपक्ष में दोनों ओर युक्तियुक्त विचार दिये जा सकते हैं ।

श्री खाडिलकर ने जहां एक ओर अणुबम बनाने का विरोध किया दूसरी ओर यह भी कहा कि चीन ने अणुबम द्वारा एक सभ्य समाज स्थापित करने का रास्ता निकाल लिया है ।

चीन द्वारा किये गये बम विस्फोट के प्रतिक्रिया स्वरूप बम के निर्माण करने का प्रश्न एक मनोवैज्ञानिक समस्या है । अणु बम तो रूस और अमरीका ने भी बनाये थे परन्तु उस समय हमारी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी । यह कहना कि इस के बिना हम एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते यह केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है और मेरे विचार में अणु बम का निर्माण करना आवश्यक नहीं है ।

अन्त में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मानव इतिहास में अणु बम का प्रयोग केवल एक बार हीं किया गया है और जहां तक मेरा विचार है इस का प्रयोग अब पुनः कभी नहीं किया जायगा । इस विवाद से मैं काफी चिन्तित हूं । इस संकल्प में सरकार से परमाणु अस्त्र बनाने के लिए कहा गया है । मेरे विचार में इस बारे में संसद् में संकल्प पारित करना कुछ गैर जिम्मेदारी को ही व्यक्त करता है । और यह देखकर भी मुझे दुःख हुआ है कि सदन में कुछ माननीय सदस्य बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बातें करते रहे हैं । इस मामले में हमें केवल आदर्शवाद से ही प्रभावित नहीं होना चाहिए । आपको एक बात बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि परमाणु बम कोई खिलौना नहीं जो कि आप के पास नहीं है और चीन के पास है, और आपको उस से प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए । परमाणु विज्ञान तो हम और हमारा देश बहुत काल से अच्छी प्रकार जानता है, परन्तु हमारी विचारधारा यह रही है कि इस ज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए । मेरा निवेदन है कि हमें इस विनाशकारी अस्त्र की उपलब्धी के लिए किसी भी चल रही दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए । हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हम परमाणु बम बनाकर बुराई का मुकाबला बुराई से नहीं करेंगे ।

कहा गया है कि क्योंकि चीन के पास परमाणु बम है, इसलिए हमारे पास भी होना चाहिए । मेरा निवेदन इस संदर्भ में यह है कि परमाणु बम प्रतिरक्षा का अस्त्र नहीं है । यह तो आक्रमण करने वालों का ध्वंसकारीं शस्त्र है । परन्तु हम तो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि संसार से

युद्ध का विनाश कर द। हो सकता है कि भावावेश हो परन्तु इसे वास्तविकता का रूप दिया जाना चाहिए । परमाणु अस्त्र सारे संसार का वातावरण खराब कर रहे हैं। जहां तक हमारे जवानों के साहस का प्रश्न है वह तो कमाल है । साहस की दृष्टि से नहीं, नैतिकता तथा व्यवहारिकता की दृष्टि से भी इस दौड़ में जाना हमारे तथा मानवता के हित की बात नहीं है। इससे न हमारा ही हित होगा न किसी अन्य को ही इस से लाभ होगा ।

अणु परीक्षणों को बन्द करने सम्बन्धी सन्धि भी पूर्ण नहीं हो पाई। इसके दोषों को दूर करना चाहिए। अणु खतरे को समाप्त कर इस ज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा । यह एक व्यावहारिक दिशा है जिसकी ओर हमें चलना होगा। भारत ने यह रास्ता अपनी इच्छा से चुना है । कोई ऐसी बात नहीं कि हम चीन के पीछे चलें और परमाणु बम के निर्माण के लिए चिन्तित हो उठें । बताया गया है कि इस अस्त्र के निर्माण से गौरव बढ़ता है । मेरे विचार में तो यह अन्तर्राष्ट्रीय उदंडता की बात है । इसके साथ किसी नैतिक ता का कोई मेल नहीं होता ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr Deputy Speaker in the Chair]

हम अणु अस्त्र और परमाणु बम बना सकते हैं, परन्तु हम ने ऐसा न करने का निश्चय किया है। क्योंकि हमारी मति में शांति और गुटों से अलग रह कर मानवता की अधिक सेवा की जा सकती है। अणु बमों के झंझटों में उलझने का कोई लाभ नहीं। हमें विश्व को युद्ध के खतरे से बचाना चाहिए। इस में न तो कोई आदर्श का ही प्रश्न है और न किसी प्रकार की भावना का ही सम्बन्ध है, भावना के अस्त्र से भी संसार को पराजित किया जा सकता है :—

'एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्रानि हतानि में'

इस पृष्ठ भूमि में मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के संकल्प पर चर्चा करना गैर-जिम्मेदारी वाली ही बात है । मेरा आग्रह है कि सम्बद्ध सदस्य को यह संकल्प वापिस ले लेना चाहिए। सरकार ने जो प्रारम्भ से नीति अपनाई है, उसे पुनः सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। हम परमाणु का निर्माण कर सकते हैं परन्तु अपनी शांति की नीति के कारण हम ऐसा नहीं कर रहे। हम शांति की स्थापना करने के लिए बचनवद्ध हैं।

Shri Bade (Khargone) : I feel surprized when it is stated here that according to Foreign Minister of China atomic weapon has not been manufactured by keeping India in view, but this explosion has been done due to the other world situations. This is protecting the China lobby. My Submission is that we should clearly under stand that the explosion of an atom bomb by China is positively directed against India and no other country. I would urge upon the Government that they should modify its policy in the light of the changed circumstances. I feel it would be wrong to stick very rigidly to a particular attitude.

We have been asked for nuclear disarmament. But Dr. Bhabha Says that even if it were possible to achieve complete nuclear disarmament while leaving conventional weapons untouched, we-would be returning to a world of 1945 which was not free from horrors of war. According to Dr. Bhabha, the cost of manufacturing nuclear weapons would be less than that of other conventional weapons. Even if the cost was high, the country was prepared

to make any sacrifices for national defence. I must remember this that when the case came people's response was spontancous. People offered their everything, for the sake of the country's defence, at the time of China's attack.

It has been said that we must leave the policy of Shri Nehru. As he was the architect of our foreign policy. We must know that even Panditji said that non-alignment does not mean that we should not accept the help from any body. For the sake of our nation we can get help from any source. In the interest of the country we should be prepared to leave one policy and adopt another. Even Dr. Bhabha admits that atom bomb is a great deterrent power, if you have it the other power dare not use it against you.

In the end I may once again urge upon the Government to manufacture nuclear weapons and keep themselves in readiness to meet any emergency. We must remain alert as far as the defence of our country is concerned.

The Prime Minister and the Minister for Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : Dr. Bhabha's statement has been often referred, but I think if the statement of Dr. Bhabha is read objectively and with a little attention, one would immediately come to the conclusion that, if nuclear weapons are to be used, the results mine be very dreadful and disastrous. Dr. Bhahba has himself said that nuclear devices should never be used for destructive purposes. He is of the opinion that this may be used for development purposes as much as possible. Accordingly our Atomic Energy Department was proceeding in that direction.

The estimate of cost which Dr. Bhabha has given relates to the United States of America ; the figures were not about India. As for India he has stated that the establishment of a plant alone will mean a tremendous cost. This ia very clear that if we decide to undertake this venture, it will create an adverse effect on our entire economy. I therefore request the honourable members to read Dr. Bhabha's Statement as a whole so that the entire correct picutre may come before us.

I must also understand the difference between the nuclear weapons and the other conventional weapons. The nuclear weapons can having great and infinite destruction and disaster as compared with the conventional weapons. We have also to look to the moral aspect of the matter, that is also very important. It has an added importance for the country like ours. We had always attached great importance to the moral values. It is all right that we can also manufacture atom bomb or the nuclear weapons. But we are of the opinion that this cult of the bomb and the proliferation of the atomic weapons is very dangerous. We are not coward but are guided by the interests and the security of our country.

In spite of all this we had no rigid attitude on this important issue. We will watch the world situation accordingly take decisions, whatever we shall think proper and correct in the interest of our country. Non-violence should not be interpreted as cowardice.

Shri Prakash Vir Shastri : On some previous occasions I stated here in the House that the late Prime Minister once said that China was ten years after the India in the direction of nucloar development. I wanted to inquire how the late Prime Minister got the wrong information from Atomic Energy Department, whether only one man is doing the whole work. I am of the opinion that the Services of the other Scientists may also be obtained.

Shri Lal Bahadur Shastri : This is correct, but now this is a matter of ten years old. When Shri Chou-en-lai came to India he saw atomic organization. At that time he remarked that we are 15 years behind India in this matter. In this way he tried to mislead us. In the same Shri Pannikar's report was correct but I do not want to go into it. That thing has become pretty long. But as far as the second point is concerned I may state that the Atomic Energy commission which had Dr. Bhabha as its Chairman has included many other scientists who were regularly consulted.

श्री रंगा (चित्तूर) : समाचार पत्रों के अनुसार इस मामले में प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत है । मंत्रिमंडल द्वारा अभी उसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद ही यह दृष्टिकोण अपनाया है, और क्या उन्हें इस बारे में मंत्रिमंडल का पूरा समर्थन प्राप्त है ?

डा० भाभा चोटी के वैज्ञानिक और योग्य व्यक्ति हैं। अतः उन के प्रति हमारे मन में आदर है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े वैज्ञानिक को प्रशासनिक कार्य भी सौंपा गया है । अणुबम के बारे में डा० भामा द्वारा दिये गये वक्तव्य से जनता में एक खलबली सी मच गई है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि भविष्य में वैज्ञानिकों को ऐसे नाजुक मामलों पर जो कुछ कहना है सरकार के द्वारा कहें । उनका स्वतंत्ररूप से व्यक्तिगत विचार करना देश के लिए हानिकारक है ।

श्री नाथ पाई (राजापूर): माननीय प्रधान मंत्री ने मेरे वक्तव्य में कही गई कुछ बातों का दो बार उल्लेख किया है । प्रधान मंत्री जी ने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने मेरी बात का गलत अर्थ लगाया है । अतः मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । मेरे कहने का अर्थ यह था कि यदि भारत में एक शताब्दी में एक गांधी भी जन्म लेंगे तो भारत का गौरव अद्वितीय ही रहेगा । मेरा अभिप्राय प्रधान मंत्री जी के लिए अपशब्द प्रयोग करने का नहीं था कि वह गांधी जी की नकल करते हैं। मैं समझता हूं कि हम सब को गांधी जी की शिक्षा तथा जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए । मेरे कहने का तात्पर्य तो यह था कि कोई भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद को संभालने पर अपनी आन्तरिक इच्छाओं को दबाने का प्रयत्न करता है । अतः मैं प्रधान मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरा अभिप्राय उन्हें बुरा भला कहने का नहीं था ।

मैं एक और अन्य बात के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं ने अपने वक्तव्य में यह कभी नहीं कहा है कि हमें अणुबम बनाना चाहिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम अणु बम नहीं बनायेंगे । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी घोषणा कर के हम चीन की धमकी का सामना नहीं कर सकते। इस बारे में हमारी एक व्यापक दृढ नीति होनी चाहिए ।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा (आनन्द): सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने अंतिम दिनों के एक भाषण में कहा था कि हमें अहिंसा का उत्तर अहिंसा से तथा शक्ति का उत्तर शक्ति से देना चाहिए। इस से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि हम चीन के अणुबम का उत्तर अणुबम बनाकर ही दें। यह ठीक है कि हम अणु बम न बनायें । किन्तु क्या मैं यह जान सकता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर प्रधान मंत्री अणुबम वाले देशों की सहायता का उपयोग करेंगे ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I agree that I admitted in my reply the other day that it was not formally considered and approved by the Cabinet. I believe that it is our old policy. I did not say any thing new at that time. We will certainly discuss this matter formally in the Cabinet at some proper time.

I am thankful to Shri Nath Pai but I like to make it clear that nothing is final in this world and the things go on changing. It has been an ancient heritage of our country that Krishna was there to inspire Arjuna and a Sadhu to inspire Shivaji. India has produced persons like Mahatma Gandhi who showed the path of non-violence to achieve freedom. To-day most of the countries are following this very path for securing independence for their countries.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —जारी

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd.*

(2) न्यू जेमेहारी खास कोयला खान में ताल बन्दी

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बंध में एक वक्तव्य दें :

> "बिना सूचना दिये न्यू जेमेहारी खास कोयला खान में तालाबन्दी जिसके परिणामस्वरूप लगभग एक हजार श्रमिक बेकार हो गये ।"

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मुख्य श्रम आयुक्त (सी), नई दिल्ली को दिनांक 20 नवम्बर, 1964 और 21 नवम्बर, 1964 को आसनसोल कोयला खान मजदूर सभा के व्यवस्थापक सचिव श्री सुनिल सेन तथा न्यू जेमेहारी खास कोयला खान के प्रबन्धक से क्रमश: दो तार प्राप्त हुए । सभा ने न्यू जेमेहारी खास कोयला खान के प्रबन्धकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 20 नवम्बर, 1964 से खान के सभी मजदूरों को काम पर आने से रोक दिया है जबकि खान प्रबन्धकों ने शिकायत की है कि लगभग 340 खान श्रमिकों ने 20 नवम्बर, 1964 की पहली पारी से अवैध रूप से काम करना बन्द कर दिया ।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार तथ्य यह है कि न्यू जेमेहारी कोयला खान के प्रबन्धकों को 27 तथा 28 अगस्त, 1964 को भूमि के अन्दर किये जाने वाले सभी कार्यों को, इस कारण बन्द कर देना पड़ा । क्योंकि खान उप-महानिरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पिट संख्या 18 तथा 19 में काम बन्द कर देने के आदेश जारी किये गये थे । वहां पर काम बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप पिट संख्या 18 तथा 19 के लगभग 371 श्रमिकों को 31-8-64 को काम से छुट्टी दे दी गई । चूंकि प्रबन्धकों द्वारा काम से छुट्टी दिये जाने की कोई पूर्वसूचना नहीं दी गई थी और काम से छुट्टी दिये जाने वाले प्रतिकर के हकदार श्रमिकों को प्रतिकर भी नहीं दिया गया, इसलिये कोयला खान मजदूर सभा ने 25 सितम्बर 1964 को एक नोटिस दिया जिसमें 10 अक्टूबर, 1964 के बाद किसी भी दिन हड़ताल करने की धमकी दी गई । किन्तु केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क व्यवस्था के अधिकारियों के हस्तक्षेप करने के परिणामस्वरूप 2 अक्टूबर, 1964 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया,

जिसके अनुसार जिन श्रमिकों को काम से छुट्टी दे दी गई थी उन्हें बिना वेतन के एक महीने की छुट्टी दे दी गई। समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3474/64**]

समझौता करते समय प्रबन्धकों को आशा थी कि वे पिट संख्या 18 तथा 19 में नवम्बर, 1964 के प्रथम सप्ताह में पुनः काम चालू कर सकेंगे। दुर्भाग्यवश प्रबन्धक उन पिटों में इस समय तक पुनः काम चालू नहीं कर सके। तथापि सम्बद्ध श्रमिक काम पर आने लगे और 20 नवम्बर, 1964 तक उनकी संख्या 150 तक पहुंच गई। उन श्रमिकों को पिट संख्या 20 तथा 21 में काम देने के लिये प्रबन्धकों ने उन पिटों में काम करन वाले नये श्रमिकों को निरशा कोयला खान नामक अपनी एक अन्य कोयला खान में काम पर भेजने का निर्णय किया। इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिये 20 नवम्बर को 65 श्रमिकों को स्थानांतरण आदेश दिये गये। किन्तु उन श्रमिकों को अनायास ही स्थानान्तरण आदेश मिलने से दुःख हुआ और उन्होंने उस आदेश को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इस आदेश के विरोध में श्रमिक 20 नवम्बर, 1964 की प्रथम पारी में काम करने नहीं गये दूसरी और तीसरी पारियों में भी श्रमिक काम पर नहीं गये जिसके परिणामस्वरूप तीनों पारियों में काम बन्द रहा।

समझौता अधिकारी (केन्द्रीय), रानीगंज उसी दिन कोयला खान में गये और उन्होंने प्रबंधकों के प्रतिनिधियों तथा मजदूर सभा के व्यवस्थापक सचिव श्री सुनिल सेन से बातचीत की। बातचीत के दौरान सभा के प्रतिनिधियों ने मांग की कि 28 नवम्बर तक काम पर आने वाले श्रमिकों को, 2 अक्टूबर, 1964 के समझौते के अनुसार उनके काम से छुट्टी की बकाया राशि आदि के रूप में, एक सप्ताह की मजरी दी जाये और उनकी पूर्व स्थिति बनाई रखी जाये तथा पिट संख्या 21 तथा 22 के श्रमिकों के स्थानान्तरण आदेश स्थगित किये जायें।

दूसरी ओर प्रबन्धक इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक श्रमिक हड़ताल वापस नहीं लेते और अपने काम पर नहीं आते तब तक वे उनकी मांगों पर विचार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारी संघ के कर्मचारी गत दो सप्ताहों से धीमी गति से काम करने की चाल अपना रहे हैं वह समाप्त की जाये ताकि खान में सामान्य स्थिति स्थापित हो सके।

अभी तक दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हो सका है। समझौता अधिकारी अभी दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने दोनों पक्षों के विचार सभा के सामने रखे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तार मिलने के बाद मुख्य श्रम आयुक्त ने, यह पता लगाने के लिये क्या नियोजकों द्वारा समझौते का उल्लंघन किया गया है, वहां किसी अधिकारी को भेजा है अथवा क्षत्रीय श्रम आयुक्त को अनुदेश दिये हैं और, यदि हां तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री संजीवय्या : मुख्य श्रम आयुक्त ने किसी अधिकारी को नहीं भेजा किन्तु रानीगंज में समझौता अधिकारी समूचे मामले की जांच कर रहे हैं। यदि आवश्यक हुआ तो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त वहां जायेंगे। मैं समझता हूं कि समझौते का उल्लंघन नहीं किया गया है। किन्तु दुर्भाग्यवश सुरक्षा की दृष्टि से इन दो पिटों में पुनः काम चालू नहीं किया जा सका।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know the main demands of the workers and the reasons of delay in solving their problem ? Are some elements come in the way, and if so, who are these persons ?

श्री संजीवय्या : सुरक्षा की दृष्टि से जिन श्रमिकों को पिट संख्या 18 तथा 19 में काम पर नहीं लगाया जा सकता प्रबन्धक उन्हें पिट संख्या 20 तथा 21 में काम पर लगाना चाहते हैं अतः इन पिटों के नये श्रमिकों को किसी अन्य स्थान में काम पर भेजना पड़ेगा। नये कर्मचारी ऐसा नहीं करना चाहते। इसी कारण कठिनाई हो रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question was about the demands of the workers and the reason for delay in solving the problem.

The Deputy-Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya) : As the hon. Minister has stated that the main demand of workers was that the workers, who had reported for duty should be engaged in their work.

The result of it would be that the new workers employed in pits 20 and 21 would have to be transferred to some other place. It was not acceptable to the workers employed in pits 20 and 21 and they went on strike.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya ; I asked for the reasons for not solving the problem.

श्री संजीवय्या : स्थिति स्पष्ट है। श्रमिकों को, सुरक्षा की दृष्टि से पिट संख्या 18 तथा 19 में काम पर नहीं लगाया जा सकता किन्तु प्रबन्धक उन्हें पिट संख्या 20 तथा 21 में काम पर लगाने के लिये तैयार हैं। इसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि पिट संख्या 20 तथा 21 में काम करने वाले श्रमिकों को कहीं अन्य स्थान पर काम पर लगाया जाये। श्रमिक दूसरे स्थान पर जाने के लिये राजी नहीं हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question has not been answerd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

(3) मरमागोवा पत्तन के कर्मचारियों की हड़ताल के समाचार

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : आज प्रातःकाल अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार मैं मरमागोवा के बारे में श्री स० मो० बनर्जी की कल की ध्यान दिलाने वाली सूचना के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्य एल० टी० 3475/64]

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 30 नवम्बर, 1964/9 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 30, 1964/Agrahayana 9, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—2042 (Ai) LS—30-4-65—600

P.L.S. 48, XXXV. 10. 64. (N)
600

© 1964 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक
भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1964 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI.